55वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22
55th Annual Report 2021-22

यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम)

Uranium Corporation of India Limited
(A Government of India Enterprise)

विषय सूचि

	विषय सूचि	पृष्ट सं.
1.	निदेशक मंडल	3
2.	कार्यकारी	4
3.	अध्यक्ष के डेस्क से	5
4.	निदेशक की रिपोर्ट	7
5.	निदेशकों की रिपोर्ट की अनुलग्नक-I	18
6.	शेयरधारकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-II	20
7.	सी एस आर अनुलग्नक	24
8.	लेखा विश्लेषण	
	(i) प्रमुख आंकड़े	27
	(ii) कंपनी का वित्तीय स्थिति	28
	(iii) कंपनी की आय और व्यय का विवरण	29
9.	पाई एवं बार चार्ट	
	(i) आय का वर्गीकरण	30
	(ii) व्यय का विवरण	30
	(iii) आय में वृद्धि	31
	(iv) नेटवर्थ में वृद्धि	31
	(v) सकल और नेट ब्लॉक	32
	(vi) नियोजित पूँजी	32
10.	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	34
11.	निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	50
12.	31 मार्च, 2022 तक तुलन–पत्र	51
13.	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण	52
14.	इक्विटि में परिवर्तन का विवरण	53
15.	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा पर नोट्स	54
16.	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स	63
17.	लेखा पर अतिरिक्त नोट्स	79
18.	नकदी प्रवाह का विवरण	85
19.	पच्चीस साल का सार–संग्रह	86

निदेशक मंडल

डॉ. सी. के. असनानी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री राजेश कुमार
निदेशक (तकनीकी) (15.06.2021 से)

देबाशीष घोष *(31.01.2022 तक)*
निदेशक (वित्त)

श्री सुखदेव सिंह, *भा.प्र.से. (27.05.2020 से)*
मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार

श्री ए. आर. सुले *(20.05.2020 से)*
संयुक्त सचिव (आई एंड एम)
परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार

श्री संजय कुमार *(20.05.2020 से)*
संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं लेखा)
परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार

डॉ. दिनेश श्रीवास्तव
मुख्य कार्यकारी, एन.एफ.सी.

डॉ. डी. के. सिन्हा
निदेशक, एएमडी

कर्नल श्री प्रवत कुमार पांडा
स्वतंत्र निदेशक

श्री बी. सी. गुप्ता
कंपनी सचिव

ऑडिटर्स

मेसर्स कदमावाला एंड कंपनी (SP0276)
दुकान सं.–115, प्रथम तल्ला, ब्लॉक ए क्रिस्टल आर्केड, राजीव नगर,
लोधी पाड़ा चौक के समीप, रायपुर – 492007

कार्यकारी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	:	डॉ. सी. के. असनानी
निदेशक (तकनीकी)	:	श्री राजेश कुमार
निदेशक (वित्त)	:	श्री देबाशीष घोष (31.01.2022 तक)
महा प्रबंधक (प्रोजेक्ट्स साउथ)	:	श्री पी. के. पाढ़ी
महा प्रबंधक (अभि. सेवाएं, एपी)	:	श्री एम. एस. राव
महा प्रबंधक (जादू गोड़ा खान समूह)	:	श्री मनोज कुमार
महा प्रबंधक (तुरामडी खान समूह)	:	श्री चंचल मन्ना
महा प्रबंधक (प्रोजेक्ट्स नार्थ)	:	श्री एम. के. सिंघई
महा प्रबंधक (ई., का. एवं औ. सं./सी.पी)	:	श्री एस. के. शर्मा
कंपनी सचिव	:	श्री बी. सी. गुप्ता

अध्यक्ष के डेस्क से

प्रिय शेयरधारकों,

आपकी कंपनी, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से, मैं कंपनी की 55वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करता हूं।

निदेशकों की रिपोर्ट के साथ वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के खातों का लेखापरीक्षित विवरण आपको प्रस्तुत किया जाता है और आपकी सहमति से, मैं उन्हें पढ़ा हुआ मानता हूं।

वर्ष 2021–22 की शुरुआत कोविड–19 के सबसे घातक डेल्टा प्लस संस्करण के साथ हुई। इस अवधि के दौरान, चिकित्सा समुदाय, सफाई कर्मचारी, आवश्यक सेवा प्रदाताओं, कानून प्रवर्तन प्रतिष्ठानों और हमारे कर्मचारियों और निदेशकों ने इस महामारी के प्रभाव को कम करने में एक सराहनीय काम किया है, जिससे उत्पादन से संबंधित गतिविधियां सुचारू रूप से चलाते हुए जीवन को बचाने में मदद की है। यह अवधि यूसीआईएल की कई इकाइयों के उत्पादन संबंधी कार्यों के रुक–रुक कर होने और कोविड–19 आवश्यकताओं के कारण तुम्मलापल्ले मिल के लिए आवश्यक मात्रा में औद्योगिक ऑक्सीजन की आपूर्ति में लंबे समय तक व्यवधान से जुड़ी थी।

इन वैश्विक महामारी प्रतिबंधों के बावजूद वर्ष 2021–22 के दौरान आपकी कंपनी का प्रदर्शन संतोषजनक रहा। इस वर्ष के दौरान, U_3O_8 का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में अधिक था और MoU लक्ष्य से 3.7% अधिक था जो लगातार पांचवें वर्ष 'उत्कृष्ट' MoU रेटिंग प्राप्त करने के मानदंडों को पूरा करने के हमारे प्रयासों में मदद करेगा।

झारखंड क्षेत्र से उत्पादन के वर्तमान स्तर को बनाए रखने के लिए, भाटिन खदान से विकास और उत्पादन के लिए एक दीर्घकालिक खनन अनुबंध प्रदान किया गया है और कई नए ट्रैकलेस भूमिगत खनन उपकरणों की खरीद के लिए आदेश दिए गए हैं। वर्ष के दौरान, जादूगोड़ा मिल में ड्रम फिल्टर को हॉरिजॉन्टल बेल्ट फिल्टर से बदल दिया गया है जो निस्पंदन नुकसान को कम करने और वसूली में सुधार करने में मदद करेगा।

इस वर्ष, कंपनी ने विभिन्न ग्रीन और ब्राउन फील्ड विस्तार परियोजनाओं से संबंधित पूर्व–परियोजना गतिविधियों में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। राजस्थान राज्य सरकार ने राजस्थान के सीकर जिले में स्थित रोहिल यूरेनियम परियोजना को खोलने के लिए यूसीआईएल को आशय पत्र (LOI) प्रदान किया है। इसके बाद, यूसीआईएल ने परियोजना के लिए आवश्यक पानी की आपूर्ति के लिए सीकर नगर निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना के लिए तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (TEFR) को अंतिम रूप दे दिया गया है। एएमडी ने नरवापहाड़ खदान से सटे बानाडुंगरी जमा की 'भूवैज्ञानिक रिपोर्ट' डीएमजी, झारखंड को सौंप दी है और यूसीआईएल ने इस परियोजना के लिए TEFR की तैयारी शुरू कर दी है। इसके अलावा, जादूगोड़ा और भाटिन खानों के मौजूदा पट्टा क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में गहरे क्षितिज में होने वाले अतिरिक्त संसाधनों

का मूल्यांकन एएमडी और यूसीआईएल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया और परिणाम उत्साहजनक हैं। इसके बाद इन अतिरिक्त संसाधनों के दोहन के लिए TEFR रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू किया गया है।

विदेशी यूरेनियम खदानों में रणनीतिक हिस्सेदारी के अधिग्रहण के माध्यम से भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आपकी कंपनी ने मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका आदि जैसे प्रमुख देशों से उपलब्ध वैश्विक अवसरों की पहचान करने के लिए वैश्विक बोलीदाताओं से रुचि के लिए अनुरोध आमंत्रित किया था और प्रतिक्रियाएं उत्साहजनक हैं।

अच्छा कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रथाएं यूसीआईएल की मूल्य प्रणाली के मूल में बनी हुई हैं। आपकी कंपनी कॉरपोरेट गवर्नेंस के मानदंडों को बनाए रखे हुए है। गुणवत्ता, सुरक्षा और पर्यावरण प्रणालियों में प्रणालीगत सुधार के लिए, यूसीआईएल आईएसओ 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, आईएसओ 14001:2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और आईएस 18001:2015 व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणन रखता है।

वर्ष 2021–22 के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। विभिन्न संवर्गों में रिक्त पदों को भरने के लिए प्रवेश स्तर और वरिष्ठ अधिकारियों और भूमि विस्थापित व्यक्तियों की भर्ती प्रक्रिया जारी है।

आसपास के ग्रामीणों के लाभ के लिए, यूसीआईएल सीएसआर योजना के तहत विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों का संचालन करता है। विभिन्न स्तरों के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोविड –19 से संबंधित कल्याणकारी गतिविधियों के लिए सीएसआर फंड आवंटन ने झारखंड और आंध्र प्रदेश में यूसीआईएल की विभिन्न इकाइयों की आसपास की आबादी ने बहुत सराहना की है।

मैं इस अवसर पर परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के नेतृत्व, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए हमारे जनादेश में नई ऊंचाइयों और मील के पत्थर हासिल करने के लिए निरंतर समर्थन को रिकॉर्ड में रखता हूं।

मैं इस अवसर पर परमाणु ऊर्जा विभाग और इसकी विभिन्न इकाइयों जैसे बीएआरसी, एएमडी, एनएफसी, एनपीसीआईएल और अन्य को हर संभव तरीके से समर्थन देने के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं कंपनी के सभी कर्मचारियों और मेरे सहयोगियों के अथक प्रयासों और सभी अवसरों पर समर्पित प्रतिबद्धता के लिए उनके योगदान को भी रिकॉर्ड में रखना चाहूंगा।

अब, मैं निदेशकों की रिपोर्ट, 31 मार्च, 2022 को बैलेंस शीट और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता आपके विचार, अनुमोदन और अपनाने के लिए पेश करता हूं।

स्थान : मुंबई
दिनांक : 14 सितंबर 2022

डॉ. सी.के. असनानी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण,

निदेशक मडंल की ओर से 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं अंकेक्षित लेखा और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ, आपकी कंपनी की 54वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है।

1.0 उल्लेखनीय प्रदर्शन :

1.1 वित्तीय प्रदर्शन :

(रू. लाख मे)

	वर्तमान वर्ष 2021-22	गत वर्ष 2020-21
आय	261472.02	235290.24
मूल्यह्रास से पहले लाभ	100562.87	85015.46
घटाएं : (क) मूल्यह्रास	22815.23	22694.73
कर पूर्व लाभ	77747.64	62320.73
घटाएं : (क) कर प्रावधान	21598.06	17018.33
(ख) पहले वर्ष के लिए		
(ग) स्थगित कर प्रावधान	(1522.43)	(879.30)
कर अदायगी के बाद लाभ	57672.01	46181.70
अन्य व्यापक आय (कर का शुद्ध)	(271.80)	1074.43
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	57400.21	47256.13

वर्ष के दौरान कंपनी ने कॉरपोरेट आयकर, लाभांश, जीएसटी के रूप में सरकारी खजाने से रू. 52403.93 लाख (गत वर्ष में रू. 39346.20 लाख) का योगदान किया है।

1.2 संचालित इकाइयों का प्रदर्शन:

वर्ष 2021–22 के दौरान आपकी कंपनी की सभी परिचालन इकाइयों का समग्र प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। झारखंड और आंध्र प्रदेश में संचालित सभी खदानों (भाटिन खदान को छोड़कर, जो वर्तमान में विकास के अधीन है) और प्रसंस्करण संयंत्रों ने संतोषजनक प्रदर्शन किया।

1.3 चालू एवं नई परियोजनाएँ:

चालू परियोजनाएं

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान अधिकांश हिस्सों के खानों और मिलों के संचालन को प्रभावित करने वाली COVID-19 स्थिति के बावजूद बोर्ड के अनुमोदन से शुरू की गई विभिन्न चालू परियोजनाएं अच्छी तरह से प्रगति कर रही हैं।

- **झारखंड क्षेत्र**

जून 2020 में प्रदान किया गया नरवापहाड़ खदान के गहरे क्षितिज को विकसित करने के लिए दीर्घकालिक अनुबंध अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है। दिसंबर 2020 में दिया गया तुरामडीह खदान के लिए इसी तरह का एक अनुबंध भी अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है। 283 मीटर गहरे मोहुलडीह शाफ्ट सिंकिंग, जिसके लिए मई 2020 में एक अनुबंध दिया गया था, अगस्त 2022 तक 280 मीटर की गहराई तक बढ़ गया है। फरवरी 2020 में दिए गए 6–वर्षीय खदान विकास और संचालन अनुबंध के हिस्से के रूप में बंदुहुरंग ओपनकास्ट खदान के गहरे क्षितिज का विकास अनुसूची के अनुसार प्रगति कर रहा

है। भाटिन खदान के विकास और उत्पादन के लिए दिसंबर 2021 में दिया गया एक दीर्घकालिक अनुबंध पहले ही शुरू हो चुका है।

झारखंड में लंबे समय से इस्तेमाल हो रही भूमिगत खदानों के लिए ट्रैकलेस माइनिंग इक्विपमेंट की ओवरहालिंग का काम पूरा हो गया है। पुराने खनन उपकरणों को चरणबद्ध तरीके से बदलने के लिए नए भूमिगत खनन उपकरणों के लिए खरीद आदेश दिया गया है।

कम दक्षता वाले ड्रम फिल्टर को बदलने के लिए जादूगोड़ा मिल में तीन क्षैतिज बेल्ट फिल्टर के एक सेट की स्थापना पूरी हो चुकी है और चालू हो गई है।

इसके अलावा, जादूगोड़ा और भाटिन खदानों के मौजूदा लीजहोल्ड क्षेत्र और उनके आसपास के स्थलों के भीतर एएमडी द्वारा खोजे गए अतिरिक्त संसाधनों के खनन के लिए एक तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (TEFR) की तैयारी यूसीआईएल और एएमडी द्वारा संयुक्त मूल्यांकन के बाद शुरू की गई है।

- **आंध्र प्रदेश क्षेत्र**

  मार्च 2020 में शुरू हुए 8 साल के खदान विकास और संचालन अनुबंध के हिस्से के रूप में तुम्मलापल्ले खदान के पश्चिमी भाग का विकास अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है।

  तुम्मालपल्ले टेलिंग इंपाउंडमेंट सुविधा के मुख्य टेलिंग डैम की ऊंचाई 360 मीटर से बढ़ाकर 380 मीटर और मिल टेलिंग और संबंधित कार्यों के लिए अतिरिक्त बांधों का निर्माण जैसे नए स्पिलवे को मौजूदा से जोड़ने वाले एक खुले चैनल का निर्माण और तुम्मलापल्ले मिल टेलिंग इंपाउंडमेंट सुविधा में पिचिंग के साथ ढलान की सुरक्षा, मौजूदा टेलिंग पॉन्ड सतह क्षेत्र पर एचडीपीई और मिट्टी के अस्तर प्रदान करना और रखना पूरा होने वाला है।

नई परियोजनाएं

1. तुम्मालपल्ले विस्तार परियोजना, आंध्र प्रदेश का वाईएसआर जिला

आंध्र प्रदेश में तुम्मालपल्ले खदान और मिल की क्षमता को 3,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 4,500 टन प्रतिदिन करने के लिए ईआईए/ईएमपी अध्ययन आयोजित किया गया है और आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एपीपीसीबी) को प्रस्तुत किया गया है।

एपीपीसीबी ने 6 जनवरी, 2021 को पर्यावरणीय जन सुनवाई को अधिसूचित किया, इस बीच, एक स्थानीय एनजीओ ने यूसीआईएल की विस्तार गतिविधि को चुनौती देते हुए आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में 29.12.2020 को एक रिट याचिका (पीआईएल) संख्या 323/2020 दायर की। रिट याचिका के आधार पर, आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने 31 दिसंबर, 2020 को स्टे ऑर्डर जारी किया। इसके जवाब में, 4 जनवरी, 2021 को यूसीआईएल ने स्टे ऑर्डर को ख़ारिज करने के लिए एक जवाबी हलफनामा दायर किया। 16 फरवरी, 2021 को माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी कर स्थगन को ख़ारिज करते हुए जनसुनवाई करने की अनुमति दी। यूसीआईएल ने एपीपीसीबी से जल्द से जल्द जनसुनवाई करने का अनुरोध किया था। हालांकि, यूसीआईएल के 17 मई 2021 के अनुरोध पत्र के जवाब में, एपीपीसीबी ने अपने पत्र संख्या के–216/पीसीबी/आरओ/केडीपी/2021–48 दिनांक 19 मई, 2021 के माध्यम से सूचित किया कि COVID-19 महामारी में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध के कारण जन सुनवाई आयोजित नहीं की जा सकती है। यूसीआईएल इस मामले को राज्य सरकार के साथ सुलझाने की कोशिश कर रही है।

2. कन्नमपल्ले परियोजना, आंध्र प्रदेश का वाईएसआर जिला

यूरेनियम पर आधारित आंध्र प्रदेश के वाईएसआर जिले में एक नई यूरेनियम अयस्क खनन और प्रसंस्करण परियोजना, कन्नमपल्ले परियोजना के उद्घाटन के लिए तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) की तैयारी एएमडी द्वारा क्षेत्र में खोजे गए संसाधनों को लिया गया है, और यूसीआईएल ने एएमडी को टीईएफआर में प्रस्तावित पट्टा सीमा के डीजीपीएस निर्देशांक प्रदान किए हैं। उसके बाद, एएमडी ने खनन और भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी), आंध्र प्रदेश सरकार को एएमसीआर–2016 नियम 4(5) (बी) के अनुसार सटीक क्षेत्र के सीमांकन और भूमि अनुसूची की तैयारी के लिए भूवैज्ञानिक रिपोर्ट सौंप दी है। राज्य सरकार ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है। इस प्रक्रिया के पूरा होने पर, अन्य प्रक्रियाएं

जैसे परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) द्वारा एक सरकारी कंपनी का नामांकन, यूसीआईएल द्वारा लीज और वन मंजूरी के लिए आवेदन जमा करना, UCIL को राजय सरकार द्वारा एएमसीआर–2016 नियम 6 (2) के अनुसार आशय पत्र (एलओआई) जारी करना और यूसीआईएल द्वारा पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्राप्त करने पर विचार किया जाएगा।

3. गोगी और कंचनकयी परियोजनाएं, कर्नाटक का यादगीर जिला

दो नई परियोजनाओं, गोगी और कंचनकई परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए, एएमडी द्वारा क्षेत्र में खोजे गए यूरेनियम संसाधनों के आधार पर तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) की तैयारी कर्नाटक के यादगीर जिले में एक ऑफ–साइट सामान्य अयस्क प्रसंस्करण सुविधा के साथ शुरू किया गया है। यूसीआईएल ने एएमडी को प्रस्तावित पट्टा सीमा के डीजीपीएस निर्देशांक प्रदान किए हैं। उसके बाद, एएमडी ने खनन और भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी), कर्नाटक सरकार को सटीक क्षेत्र के सीमांकन और भूमि अनुसूची की तैयारी के लिए एएमसीआर–2016 नियम 4(5) (बी) के अनुसार भूवैज्ञानिक रिपोर्ट सौंप दी है। राज्य सरकार ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है। इस प्रक्रिया के पूरा होने पर, अन्य प्रक्रियाएं जैसे परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) द्वारा एक सरकारी कंपनी का नामांकन, यूसीआईएल द्वारा लीज और वन मंजूरी के लिए आवेदन जमा करना, एएमसीआर–2016 नियम 6 (2) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा यूसीआईएल को आशय पत्र (एलओआई) जारी करने और यूसीआईएल द्वारा पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्राप्त करने पर विचार किया जाएगा।

4. रोहिल अन्वेषणात्मक खनन परियोजना, राजस्थान में सीकर जिला

राजस्थान के सीकर जिले में स्थित रोहिल यूरेनियम जमा, परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) द्वारा अन्वेषण के अधीन है। सतह से खोजी खनन के लिए विकसित गिरावट 230 मीटर तक बढ़ गई है, जो जमीनी स्तर से 32 मीटर नीचे की गहराई तक है। जी1 स्तर की भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए एएमसीआर 2016, अनुसूची–बी के अनुसार यूएनएफसी मानदंडों के अनुसार विभिन्न वैज्ञानिक जांच करने के लिए खोजपूर्ण खनन किया जा रहा था। इस उद्देश्य के लिए हस्ताक्षरित एक समझौते के अनुसार एएमडी की ओर से यूसीआईएल द्वारा खोजपूर्ण खनन कार्य निष्पादित किया गया था।

एएमडी द्वारा प्रदान किए गए बोरहोल डेटा और हैदराबाद में बीएआरसी के खनिज प्रसंस्करण प्रभाग द्वारा निष्कर्षण प्रक्रिया के बेंच–स्केल अध्ययन के परिणामों के आधार पर, यूसीआईएल ने मेकॉन को सलाहकार के रूप में शामिल करके अयस्क के 3–डी मॉडल और तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) की तैयारी पूरी कर ली है। इस बीच, एएमडी ने खनन और भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी), राजस्थान सरकार को AMCR-2016 नियम 4(5) (बी) के अनुसार सटीक क्षेत्र के सीमांकन और भूमि अनुसूची की तैयारी के लिए टीईएफआर में प्रस्तावित पट्टा सीमा के डीजीपीएस निर्देशांक के साथ एक भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसके पूरा होने पर, राज्य सरकार ने परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) से यूरेनियम अयस्क के खनन और प्रसंस्करण के लिए एक खनन कंपनी को नामित करने का अनुरोध किया, और बाद में उपरोक्त उद्देश्य के लिए यूसीआईएल को नामित किया। नामांकन होने पर यूसीआईएल ने राज्य सरकार को खनन पट्टा प्रदान करने के लिए आवेदन किया। इसके अनुसरण में राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से खनन पट्टा की पूर्व स्वीकृति देने का अनुरोध किया। केंद्र सरकार की अधिकार के साथ निहित उपयुक्त विभाग के रूप में डीएई ने पूर्व अनुमोदन प्रदान किया। इसकी प्राप्ति पर, खनन और भूविज्ञान विभाग (DMG), राजस्थान ने 23 जून, 2022 को AMCR-2016 नियम 6 (2) के अनुसार UCIL के पक्ष में एक आशय पत्र (LOI) जारी किया। उसके बाद, 24 जून 2022को यूसीआईएल ने बाद के चरण में वाणिज्यिक खनन संचालन के लिए आवश्यक औद्योगिक और पीने के पानी की आपूर्ति हासिल करने के लिए सीकर नगर परिषद के साथ एक नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यूसीआईएल नियत समय में टीओआर के अनुदान के लिए एमओईएफएंडसीसी को एक आवेदन प्रस्तुत करेगा।

5. यूरेनियम रिकवरी प्लांट, मोसाबनी, जिलाः सिंहभूम (पूर्व), झारखंड

जादूगोड़ा में यूसीआईएल के यूरेनियम अयस्क प्रसंस्करण

संयंत्र में इस सांद्रण से हीट–ट्रीटेड यूरेनियम पेरोक्साइड (एचटीयूपी) के बाद के उत्पादन के लिए यूसीआईएल ने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) के मोसाबनी कॉन्सेंट्रेटर प्लांट में उत्पन्न कॉपर टेलिंग के भौतिक बेनिफिशिएशन (टेबलिंग) द्वारा यूरेनियम कॉन्संट्रेट को पुनर्प्राप्त करने के लिए मोसाबनी में 0.9 एमटीपीए की कुल क्षमता के लिए चरणों में दो यूरेनियम रिकवरी प्लांट का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया था। MoEF&CC ने परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्रदान की थी। परमाणु ऊर्जा विभाग की परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) ने परियोजना के अनुमोदन की सिफारिश की। उसके बाद, यूसीआईएल ने संबंधित अधिकारियों को पानी, बिजली और भूमि अधिग्रहण की आपूर्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किए, और ये प्रक्रिया में थे। निविदा पैकेज जारी करने से पहले, यूसीआईएल ने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) द्वारा पत्र संख्या एचसीएल/सीएमडी/2021, दिनांक 12 अप्रैल, 2021 के माध्यम से प्रस्तुत किए गए तांबे के टेलिंग के अनुमानित उत्पादन कार्यक्रम की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान, यूसीआईएल मोसाबनी बेनीफिकेशन प्लांट से फीड रेट में अनिश्चितता और इस प्लांट को अयस्क की आपूर्ति करने वाली तांबे की खदान के लिए लंबित वैधानिक मंजूरी को नोट किया और आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया। पीएसी ने मामले पर विचार किया और परियोजना को कुछ समय के लिए बंद करने की सिफारिश की। डीएई ने नवंबर 2021 में इस सिफारिश को मंजूरी दी थी।

6. जजावल परियोजना, सूरजपुर जिला, छत्तीसगढ़

एएमडी द्वारा क्षेत्र में खोजे गए यूरेनियम संसाधनों के आधार पर छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर के निकट जजवाल में एक नई यूरेनियम अयस्क खनन और प्रसंस्करण परियोजना के उद्घाटन के लिए तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) की तैयारी शुरू की गई है, और यूसीआईएल ने एएमडी को टीईएफआर में प्रस्तावित पट्टा सीमा के डीजीपीएस निर्देशांक प्रदान किए हैं। 03 मार्च, 2020 को, एएमडी ने सटीक क्षेत्र के सीमांकन और भूमि अनुसूची की तैयारी के लिए एएमसीआर–2016, नियम 4(5) (बी) के अनुसार, खनन और भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी), छत्तीसगढ़ को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। डीजीपीएस सर्वेक्षण के दौरान, खनन पट्टा क्षेत्र के लिए आवश्यक भूमि की समीक्षा की गई, और 07 मार्च, 2022 को एएमडी ने संशोधित निर्देशांक और एक नक्शा डीएमजी, छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किया।

7. गराडीह परियोजना, झारखंड का पूर्वी सिंहभूम जिला।

एएमडी ने झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में नरवापहाड़ और तुरामडीह निक्षेपों के बीच स्थित गराडीह निक्षेप में 280–300 मीटर के उर्ध्वाधर प्रभाव तक यूरेनियम खनिजीकरण की स्थापना की थी। इसके बाद, एएमडी ने सतह के नीचे 450–570 मीटर के ऊर्ध्वाधर प्रभाव तक और अन्वेषण किया, और यह जारी है। एएमडी द्वारा अब तक खोजे गए यूरेनियम संसाधनों के आधार पर इस जमा को खोलने के लिए तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) की तैयारी शुरू की गई है, और यूसीआईएल ने एएमडी को टीईएफआर में प्रस्तावित पट्टा सीमा के डीजीपीएस निर्देशांक प्रदान किए हैं। हालांकि, गहरे क्षितिज के लिए चल रहे अन्वेषण कार्यक्रम के लंबित होने तक, एएमडी ने अभी तक भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है और डीजीपीएस सटीक क्षेत्र के सीमांकन और भूमि अनुसूची की तैयारी के लिए एएमसीआर–2016, नियम 4(5) (बी) के अनुसार राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित करता है और जमा को खोलने के लिए आगे आवश्यक कार्रवाई करता है।

8. बानाडुंगरी परियोजना, पूर्वी सिंहभूम जिला, झारखंड

एएमडी द्वारा गहरे क्षितिज में खनिजकरण की स्थापना के बाद, कोर ड्रिलिंग द्वारा, बानाडुंगरी क्षेत्र में, इसके पश्चिमी हिस्से में नरवापहाड़ जमा के निकट स्थित, यूसीआईएल ने इस जमा को खोलने के लिए एक तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) की तैयारी की है। यूसीआईएल ने टीईएफआर में प्रस्तावित पट्टा सीमा के डीजीपीएस निर्देशांक एएमडी को प्रदान किए हैं। 17 सितंबर, 2021 को, एएमडी ने सटीक क्षेत्र के सीमांकन और भूमि अनुसूची की तैयारी के लिए एएमसीआर–2016, नियम 4(5)(बी) के अनुसार, खनन और भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी), छत्तीसगढ़ को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। राज्य सरकार द्वारा सटीक क्षेत्र का सीमांकन और भूमि अनुसूची की तैयारी अभी तक पूरी की जानी बाकी है।

विदेशों में यूरेनियम संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए पहल

अगले 10 वर्षों में उत्पादन क्षमता बढ़ाने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना के एक हिस्से के रूप में, यूसीआईएल घरेलू संसाधनों को विकसित करने के अलावा एक उपयुक्त रणनीतिक साझेदार के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाकर अंतरराष्ट्रीय विस्तार के लिए भी प्रयास कर रहा है। उपयुक्त परिसम्पत्तियों की पहचान के संबंध में, प्रमुख यूरेनियम उत्पादक कंपनियों से जारी आरएफआई के खिलाफ प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुई हैं और डेटा की उचित जांच प्रक्रिया में है।

लेन–देन प्रक्रिया के अगले चरण के रूप में, यूसीआईएल के साथ साझेदारी में विदेशी यूरेनियम परिसंपत्तियों को विकसित करने और संचालित करने के लिए वित्तीय और तकनीकी क्षमता रखने वाली फर्मों की पहचान/शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक प्रतिष्ठित भारतीय फर्म को एक रणनीतिक भागीदार के रूप में ऑन–बोर्ड करने के लिए एक ईओआई मंगाई गई थी। सबमिट किए गए डेटा के मूल्यांकन के बाद, यूसीआईएल द्वारा बाद में चयन प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, जिसके बाद शॉर्टलिस्ट में से इक्विटी पार्टनर के अंतिम चयन के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

1.4 समझौता ज्ञापन प्रदर्शन :

परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के संदर्भ में आपकी कंपनी के प्रदर्शन को वर्ष 2021–22 के लिए 'उत्कृष्ट' दर्जा दिए जाने की उम्मीद है।

2.0 लाभांश और लाभांश पर कर

आपके निदेशकों को 2,09,461.78 लाख रुपये की चुकता पूंजी पर 19724.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष 17763.00 लाख रुपये) के लाभांश की सिफारिश करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

3.0 शेयर पूंजी

वर्ष के दौरान, 31.03.2022 तक कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी रु.3,500 करोड़ और सब्सक्राइब्ड शेयर पूंजी रु.2094.62 करोड़ रहा।

4.0 ऊर्जा/प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन, नवाचार और प्रयुक्त और अर्जित विदेशी मुद्रा का संरक्षण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधान के अनुसार निदेशकों की रिपोर्ट में दी जाने वाली जानकारी के साथ–साथ बोर्ड की रिपोर्ट, नियम– 8 में शामिल किए जाने वाले मामलों के संरक्षण के संबंध में ऊर्जा, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय इस रिपोर्ट के अनुबंध–I में दिए गए हैं।

जादूगोड़ा मिल शुरू से ही केवल जादूगोड़ा अयस्क का उपयोग करके रोटरी ड्रम वैक्यूम फिल्टर के साथ परिचालन में थी। अन्य खदानों से अयस्क को भी समय के साथ क्षमता वृद्धि के साथ जादूगोड़ा मिल में संसाधित किया जाता है। अयस्क मिश्रण में परिवर्तन ने क्षमता और ड्रम दक्षता को प्रभावित किया है। इसे दूर करने के लिए जादूगोड़ा मिल में तीन बेल्ट फिल्टर खरीदे और लगाए गए और चालू किए गए।

लाभ :

- बेहतर निस्पंदन दक्षता
- संचालन और रखरखाव में आसानी
- उच्च क्षमता थ्रुपुट

वर्ष 2021–22 के दौरान हासिल किए गए प्रमुख मील के पत्थर और फिसलन का कारण, यदि कोई हो

- पैकेज 1 के अंतर्गत मुख्य संयंत्र भवन का सिविल एवं संरचनात्मक कार्य दिनांक 30/09/2020 को पूर्ण कर लिया गया है।
- 28/11/2020 को नए भवन के ईओटी क्रेनों का निर्माण और चालू करने का कार्य पूरा कर लिया गया है।
- मुख्य तकनीकी पैकेज 2 के तहत हॉरिजॉन्टल बेल्ट फिल्टर–3 नंबरों की आपूर्ति और इरेक्शन का काम पूरा कर लिया गया है। उपकरण का कमीशनिंग कार्य 2022 के दौरान पूरा किया गया था। परियोजना के कार्य की भौतिक प्रगति शत–प्रतिशत।

COVID&19 महामारी की दूसरी लहर के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई।

5.0 औद्योगिक संबंध :

अवधि के दौरान आपकी कंपनी के सभी इकाइयों में औद्योगिक संबंध संतोषजनक रहे। कल्याण, पदोन्नति, प्रशासन, आवास आवंटन आदि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण

मुद्दों पर प्रबंधन और उनके ट्रेड यूनियनों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए कामगारों के बीच नियमित चर्चा सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और प्रबंधन के समक्ष रखी गई शिकायतों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया गया। इसके परिणामस्वरूप कंपनी में औद्योगिक शांति और सद्भाव कायम रहा और रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बेहतर प्रदर्शन की उपलब्धि हुई।

6.0 जनशक्ति :

31 मार्च 2022 को आपकी कंपनी की कुल जनशक्ति 4533 थी। आपकी कंपनी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कुल कार्यबल का लगभग 53.7% है। 31.03.2022 तक कंपनी में कुल 08 शारीरिक रूप से विकलांग (दिव्यांगजन) कर्मचारी हैं। भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के लिए कोटा भरने के लिए निरंतर प्रयास किए गए।

7.0 प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी :

आपकी कंपनी सभी स्तरों पर एक स्वस्थ और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने को प्राथमिकता देती है। सभी इकाइयों में शाप परिषदों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती थीं। वर्ष के दौरान, शाप परिषदों की 17 बैठकें आयोजित की गईं। कंपनी के भविष्य निधि ट्रस्ट, ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट, कर्मचारी परिवार सहायता योजना, कल्याण कोष योजना, कर्मचारी सहकारी ऋण समिति आदि के न्यासी मंडल में कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। कर्मचारियों को सुरक्षा समिति, कैंटीन प्रबंध समिति, खेल परिषद आदि जैसे विभिन्न मंचों के सदस्यों के रूप में भी चुना गया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के अनुसार, आपकी कंपनी को भी समय–समय पर केंद्र सरकार द्वारा 'सार्वजनिक उपयोगिता सेवा' के तहत घोषित किया जा रहा है।

8.0 मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण :

आपकी कंपनी, अपने सभी कार्यों में मानव संसाधन के महत्व को महसूस करते हुए, विभिन्न प्रशिक्षण मॉड्यूल के माध्यम से मानव संसाधन को विकसित करने के प्रयास जारी रखती है। वर्ष के दौरान कोविड–19 के मामलों में गिरावट के साथ, कर्मचारियों को समय–समय पर विभिन्न ऑनलाइन कार्यक्रम / ऑफलाइन वेबिनार में भाग लेने के लिए नामित किया गया। वर्ष 2021–22 के दौरान 38 अधिकारियों ने ऑनलाइन/ऑफलाइन मोड के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

9.0 सुरक्षा :

आपकी कंपनी खानों और मिलों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए खनन उद्योग में नए उपकरण और प्रक्रियाओं को लागू करके एक संरचित आंतरिक सुरक्षा संगठन के साथ अपनी सभी गतिविधियों में सुरक्षा पर बहुत जोर देती है। शून्य दुर्घटना संभावित को प्राप्त करने के उद्देश्य से आंतरिक सुरक्षा संगठन द्वारा प्रचलित सुरक्षा मानकों की समय–समय पर समीक्षा की गई। कोविड–19 महामारी को देखते हुए, कंपनी में अपने कर्मचारियों के बीच घातक वायरस के प्रसार को रोकने के लिए विशेष उपाय किए गए। इनमें वर्क फ्रॉम होम, काम के घंटे कम करना, कार्य स्थलों की नियमित सफाई, व्यक्तिगत सुरक्षा गैजेट पहनना सभी कार्य स्थलों पर अनिवार्य कर दिया गया था।

कॉरपोरेट स्तर पर मिलों और खानों के संचालन की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा प्रमुख सुरक्षा निर्णय लिए जाते हैं। यूसीआईएल की सभी इकाइयों में स्वतंत्र रूप से संचालित होने वाली स्वास्थ्य भौतिकी इकाइयां परिसर के भीतर और बाहर रेडियोलॉजिकल सुरक्षा मानकों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सभी नियामक आवश्यकताओं की समीक्षा कॉर्पोरेट स्तर की सुरक्षा समिति द्वारा की जाती है। कंपनी की विभिन्न सुरक्षा समितियों में श्रमिकों की भागीदारी सुरक्षा संस्कृति को बढ़ाने में मदद करती है। एपेक्स सुरक्षा समिति नियमित रूप से बैठक करती है और कंपनी की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करती है।

10.0 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) :

पहले की तरह, आपकी कंपनी सामाजिक रूप से जिम्मेदार, नैतिक और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से अपने व्यवसाय का संचालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और अपने परिचालन क्षेत्रों में समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में लगातार काम करने का प्रयास करती है।

सीएसआर पहलों को मूल्यों के अनुसार क्रियान्वित किया गया है। हितधारक के हितों की रक्षा, स्थानीय समुदायों के साथ सक्रिय जुड़ाव और समावेशी विकास की दिशा में प्रयास करना।

यूसीआईएल की सीएसआर गतिविधियां कंपनी के संचालन के क्षेत्र के समग्र सामाजिक आर्थिक संकेतकों में सुधार के लक्ष्य के साथ निम्नलिखित व्यापक विषयों पर केंद्रित हैं।

शिक्षा - सरकार के निर्देशों के अनुरूप आपकी कंपनी ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत आसपास के गांवों के वंचित छात्रों को अपने परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालयों में नामांकन करके शिक्षा प्रदान करना जारी रखा। इन छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में छात्रवृत्ति के साथ–साथ आरटीई नियमों के तहत निर्धारित वर्दी, जूते, स्टेशनरी, पाठ्य पुस्तकें, बैग आदि प्रदान किए गए। आपकी कंपनी ने आसपास के स्कूलों में पढ़ने वाले स्थानीय समुदाय के बच्चों को छात्रवृत्ति, नोटबुक और स्कूल बैग प्रदान करती है।

पेयजल और स्वच्छता - आपकी कंपनी ने विशेष रूप से गर्मी के मौसम में पानी की कमी के समस्या को दूर करने के लिए आसपास के गांवों यानी तुम्मलापल्ले परियोजना के कन्नमपाली, तुरामडीह, बंदुहुरंग, मोहुलडीह और जादूगोड़ा में जलमीनार का निर्माण शुरू किया है। । जादूगोड़ा और तुरामडीह ग्रुप ऑफ माइन्स के आसपास के गांवों के साथ–साथ तुम्मलापल्ले माइन्स में पानी टैंकर के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अनुबंध दिया गया था और एएमसी को क्रमशः तुम्मलापल्ले और झारखंड इकाइयों के आसपास के गांवों में मौजूदा आरओ प्लांट और ट्यूबवेल की मरम्मत और रखरखाव के लिए सम्मानित किया गया।

वित्तीय वर्ष के दौरान मुसाबनी और मेचुआ में शौचालयों का निर्माण भी शुरू किया गया था।

कौशल विकास – कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत आपकी कंपनी द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल रिपेयरिंग प्रशिक्षण से आस–पास के गांवों के वंचित और महत्वाकांक्षी युवा लाभान्वित हो रहे हैं। तुरामडीह में अपने औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी) के माध्यम से इलेक्ट्रिकल, फिटर और वेल्डिंग में तकनीकी कौशल दिया जा रहा है।

विकास परियोजनाओं - आपकी कंपनी द्वारा कई बुनियादी ढांचा जैसे वेलपुला गांव में लाइब्रेरी रूम, तलसा गांव में शेड, जादूगोड़ा चौक से इचरा गांव तक पीसीसी रोड, दबांकी में प्रतीक्षालय, मेचुआ और बगलासाई में बाउंड्री वॉल, सिद्धू कान्हू स्कूल,केडो में साइंस लैब, विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

उपरोक्त परियोजनाओं के अलावा, बीएआरसी के सहयोग से आकृति केंद्र के निर्माण और रोहिल परियोजना के पास सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय की मरम्मत और नवीनीकरण की दिशा में योगदान किया गया।

सामाजिक समर्थन - यूसीआईएल की परिचालन इकाइयों के आसपास रहने वाले स्थानीय समुदाय के कठिनाई को दूर करने के लिए, यूसीआईएल ने निम्नलिखित गतिविधियों से सामाजिक समर्थन दियाय

(i) फेस मास्क और सैनिटाइजर / साबुन का वितरण

वायरस को तेजी से फैलने से रोकने और नियंत्रित करने के लिए समय–समय पर फेस मास्क और सैनिटाइजर/ साबुन स्थानीय समुदाय, दुकान मालिकों को वितरित किया गया।

(ii) सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरूकता

लिखित और मौखिक संचार यानी बैनर और स्पीकर घोषणा के माध्यम से जागरूकता अभियान समय–समय पर यूसीआईएल की टाउनशिप और आसपास रहने वाली आबादी को सामाजिक दूरी का पालन करने का आग्रह किया गया।

(iii) प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल

संकट की इस अवधि में, स्थानीय आबादी के दिन–प्रतिदिन के स्वास्थ्य मुद्दों को यूसीआईएल अस्पताल द्वारा पूरा किया जा रहा है और आवश्यकता के आधार पर समय–समय पर एम्बुलेंस सेवाओं की सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

वित्त वर्ष 2021–22 (वित्त वर्ष 2021–22 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक खातों का नोट 27–सी) के दौरान कुल सीएसआर व्यय 1294.08 लाख रुपये है।

आपकी कंपनी के बोर्ड ने यूसीआईएल में कर्नल (सेवानिवृत्त) श्री प्रवत कुमार पांडा, स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में सीएसआर समिति का गठन किया है।

14.09.2022 को सीएसआर समिति की संरचना इस प्रकार थी :

1 कर्नल (सेवानिवृत्त) श्री प्रवत कुमार पांडा, स्वतंत्र निदेशक : अध्यक्ष

2 डॉ. दिनेश श्रीवास्तव, मुख्य कार्यकारी, एनएफसी : सदस्य

3 श्री राजेश कुमार, निदेशक (तकनीकी), यूसीआईएल : सदस्य

4 निदेशक (वित्त) यूसीआईएल : सदस्य

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए यूसीआईएल के लेखा परीक्षित वार्षिक खातों के नोट 27 (सी) के अनुसार, जिसे बोर्ड ने 28.06.2022 को आयोजित बैठक संख्या 274 में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनुमोदित सीएसआर व्यय निम्नानुसार है:

रुपये लाखों में

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार पिछले तीन वर्षों का औसत शुद्ध लाभ	161272.87
शुद्ध लाभ का औसत (PBT)	53757.62
सीएसआर के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 135 के तहत निर्धारित प्रतिशत	2%
वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए सीएसआर गतिविधियों के लिए खर्च की जाने वाली राशि	1075.15
वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर वास्तव में खर्च की गई राशि	1294.08
वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए अतिरिक्त सीएसआर व्यय की राशि	218.93

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 218.93 लाख रुपये की अधिक/अतिरिक्त सीएसआर राशि को वित्त वर्ष 2022–23 के लिए सीएसआर के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

नियम –7 (3) के संशोधित कंपनी (सीएसआर नीति) नियम 2014 के अनुसार, जहां एक कंपनी उप–धारा–135(5) के तहत प्रदान की गई आवश्यकता से अधिक राशि खर्च करती है, ऐसी अतिरिक्त राशि को आवश्यकता के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है धारा–135 की उप–धारा (5) के तहत तत्काल बाद के तीन वित्तीय वर्षों तक खर्च करें।

11.0 कॉरपोरेट गवर्नेंस :

कॉरपोरेट गवर्नेंस पर एक रिपोर्ट अनुबंध–II में दी गई है।

12.0 सार्वजनिक जमा :

आपकी कंपनी जनता से 'जमा' स्वीकार नहीं करती है।

13.0 पारिस्थितिकी और पर्यावरण संरक्षण :

आपकी कंपनी सतत विकास को प्राप्त करने के अंतर्निहित लक्ष्य के साथ पर्यावरण के वैज्ञानिक प्रबंधन और निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। यूसीआईएल की सभी इकाइयों और उनके आस–पास के क्षेत्रों को कवर करने वाली पर्यावरण निगरानी नामित स्वास्थ्य भौतिकी इकाइयों और पर्यावरण निगरानी प्रयोगशालाओं द्वारा की जाती है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी), जादुगोड़ा, नरवापहाड़, तुरामडीह, और तुम्मलापल्ले में स्थित है, जो पूर्व–परियोजना चरणों से ही है। इकाइयां समय–समय पर बाहरी गामा विकिरण, रेडॉन एकाग्रता, हवा में निलंबित कण पदार्थ, हवा में लंबे समय तक रहने वाली अल्फा गतिविधि, और सतह और भूजल, मिट्टी, खाद्य पदार्थों और कृषि उत्पादों में रेडियोन्यूक्लाइड की एकाग्रता जैसे विभिन्न रेडियोलॉजिकल और पर्यावरणीय मानकों की निगरानी करती हैं।

खनन, अयस्क प्रसंस्करण, यूरेनियम कॉन्संट्रेट के निष्कर्षण के बाद इंजीनियर्ड इंपाउंडमेंट में वर्गीकृत मिल टेलिंग का निपटान, और कंपनी की प्रत्येक इकाई की अन्य संबद्ध विविध गतिविधियों को खान और भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी), खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी), केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूबी), परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआरबी), पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) और अन्य नियामक निकाय द्वारा दी गई विभिन्न अनुमतियों के आधार पर किया जाता है।

जादूगोड़ा, तुरामडीह, और तुम्मलापल्ले में सभी तीन प्रसंस्करण संयंत्रों में अलग–अलग खदानों से प्राप्त अयस्क के प्रसंस्करण के बाद निपटाए गए वर्गीकृत मिल टेलिंग के सुरक्षित नियंत्रण के लिए अपनी खुद की टेलिंग इंपाउंडमेंट सुविधाएं हैं।

सतत विकास और संसाधन संरक्षण के लिए, खदान के पानी को पुनर्नवीनीकरण किया जाता है और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए पुनः उपयोग किया जाता है। टाउनशिप के सीवेज को संबंधित इकाइयों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में ट्रीट किया जाता है। हरित पट्टी के विकास और बागवानी के लिए उपचारित पानी को सिंचाई के लिए पुनर्चक्रित किया जाता है। झारखंड क्षेत्र के सभी कंपनी अस्पतालों से बायोमेडिकल कचरे का जादूगोड़ा अस्पताल में एक सामान्य उपचार और निपटान सुविधा में किया जाता है।

आपकी कंपनी पारिस्थितिक संतुलन और पर्यावरण संरक्षण पर बहुत जोर देती है। इसने भूजल संसाधनों के संवर्धन के लिए अपनी इकाइयों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया है। यूसीआईएल का पर्यावरण इंजीनियरिंग सेल तिमाही अंतराल में भूजल स्तर की निगरानी करता है।

क्षेत्र की पारिस्थितिकी और सौंदर्यशास्त्र को बनाए रखने के लिए, कंपनी प्रगतिशील वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाती है। पर्यावरण के मुद्दों और पहलों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस अवसर को मनाने के लिए, कंपनी परिसर में और कंपनी इकाइयों के आसपास के गांवों में हर साल पेड़ पौधे लगाए जाते हैं।

14.0 आईएसओ प्रमाणन :

आपकी कंपनी ISO-14001:2015 प्रमाणित संगठन है। उपरोक्त के अलावा, आपकी कंपनी ISO-14001:2015 के अनुसार नरवापहाड़ टाउनशिप की पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव करती है।

15.0 लघु और मध्यम उद्योग (एसएमई)

आपकी कंपनी समाज के विकास में लघु और मध्यम स्तर उद्योगों की भूमिका को पहचानती है। एसएमई को 2021–22 के दौरान लगभग 229.00 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 69.47 करोड़ रुपये) के ऑर्डर दिए गए थे।

16.0 विदेश यात्रा

वर्ष 2021–22 के दौरान विदेश यात्रा पर खर्च शून्य था (पिछले वर्ष– शून्य)।

17.0 विज्ञापन और प्रचार

वर्ष के दौरान, विज्ञापन और प्रचार पर खर्च पिछले वर्ष के 316.04 लाख रुपये की तुलना में 93.42 लाख रुपये था। यह खर्च ज्यादातर नई नियुक्तियों, टेंडर नोटिस आदि के संबंध में विज्ञापनों पर था। आपकी कंपनी विज्ञापन और प्रचार के लिए अपनी वेबसाइट उपयोग कर रही है।

18.0 हिन्दी का प्रगतिशील प्रयोग

भारत सरकार की राजभाषा अधिनियम एवं नियमों को लागू करने की नीति के अनुसार वर्ष 2021–22 के दौरान शासकीय कार्यों में हिन्दी को अंगीकार करने के लिए निरंतर प्रयास किये गये। उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए यूसीआईएल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें समय–समय पर आयोजित की गईं। कर्मचारियों और अधिकारियों ने वर्ष में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया और गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के अवसर पर पुरस्कृत किया गया। कंपनी की सभी इकाइयों में ''हिंदी कार्यशालाएं'' आयोजित की गईं। आजादी का अमृत महोत्सव के भारत के राष्ट्रव्यापी समारोह के रूप में 6 अगस्त 2022 को भाभा सभागार, नरवापहाड़ इकाइ में यूसीआईएल के सभी ग्रुप–ए और बी अधिकारियों के लिए राजभाषा नीति पर एक वार्ता /व्याख्यान आयोजित किया गया था। संयुक्त निदेशक (राजभाषा), पऊवि ने इस कार्यक्रम में भाषण दिया।

19.0 लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा मेसर्स कदमवाला एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, (एसपी0276), शॉप नंबर 115, पहली मंजिल, ब्लॉक ए, क्रिस्टल आर्केड, राजीव नगर, लोधी पारा चौक के पास, रायपुर–492007 को कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया।

20 लागत लेखा परीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के तहत वित्त वर्ष 2021–22 के लिए कॉस्ट ऑडिटर के रूप में मेसर्स

के जी गोयल एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली को नियुक्त किया गया। जैसा कि कंपनी लागत लेखा रिकॉर्ड (खनन और धातुकर्म) नियम 2001 के तहत निर्धारित है, लागत लेखांकन रिकॉर्ड कंपनी द्वारा अनुरक्षित है।

21.0 सतर्कता

मुख्य सतर्कता अधिकारी की अध्यक्षता में कंपनी के सतर्कता विंग में विभिन्न इकाइयों में कार्यरत 12 सतर्कता अधिकारी शामिल हैं। आपकी कंपनी की सुव्यवस्थित सतर्कता विंग ने वर्ष 2021–22 के दौरान सभी इकाइयों में निम्नलिखित तरीकों से उच्च स्तर की निवारक सतर्कता बनाए रखा:

- केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से समय–समय पर प्राप्त सभी दिशा–निर्देशोंको कड़ाई से अनुपालन के लिए सभी सतर्कता अधिकारियों और विभागाध्यक्षों को अवगत करा दिया गया।
- पारदर्शिता को बढ़ावा देने और अधिक भागीदारी को आमंत्रित करने के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) कंपनी की वेबसाइट के साथ–साथ केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) पर अपलोड की गई।
- सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार, 2.00 लाख रुपये से अधिक मूल्य की सभी खरीद और सेवाओं के लिए ई–खरीद प्रणाली को अपनाया गया है।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग को समय–समय पर रिपोर्ट/विवरण प्रस्तुत की गई।
- जैसा कि सीवीसी दिशानिर्देशों में प्रावधान किया गया है, सत्यनिष्ठा संधि और धोखाधड़ी निवारण नीति/व्हिसल ब्लोअर नीति को अपनाया गया और कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।
- वर्ष के दौरान सीवीसी पोर्टल में दर्ज सभी शिकायतों का उचित रूप से सत्यापित कर बंद किया गया।
- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूसीआईएल को रिपोर्ट करने के निर्देश से श्री यू.के.केडिया, आईटीएस, मुख्य सतर्कता अधिकारी, मेकॉन लिमिटेड को यूसीआईएल के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। 11/04/2022 से श्री रोहित आरपी कुजूर (आईओएफएस) ने डीओपीटी आदेश संख्या 46/1/2022–ईओ दिनांक 22/03/2022 के अनुसार यूसीआईएल के मुख्य सतर्कता अधिकारी का पदभार ग्रहण किया है।
- यूसीआईएल में 26/10/2021 से 01/11/2022 तक **'स्वतंत्र भारत @ 75: अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता'** विषय पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित किया गया और सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को समय पर प्रस्तुत की गई।

22.0 निदेशकों की नियुक्ति:

निदेशकों का नाम	(नियुक्ति)
कर्नल (सेवानिवृत्त) श्री प्रवत कुमार पांडा	24.03.2022

निदेशकों की समाप्ति :

श्री देबाशीष घोष	31.01.2022

निदेशकों ने श्री देबाशीष घोष, निदेशक (वित्त) यूसीआईएल द्वारा प्रदान की गई मूल्यवान सेवाओं की सराहना किये।

23.0 आउटलुक

पिछले 05–06 वर्षों के दौरान विभिन्न तकनीकी/वित्तीय/मानव संसाधन संबंधी बाधाओं को दूर करने के परिणामस्वरूप, यूसीआईएल अपनी खानों और मिलों में साल दर साल अपनी नेमप्लेट क्षमता पर यूरेनियम उत्पादन प्राप्त कर रहा है। उत्पादन के संबंध में भविष्य का दृष्टिकोण उत्कृष्ट बना हुआ है। इसके अलावा, यूसीआईएल को पिछले 04 वर्षों से लगातार डीपीई से उत्कृष्ट एमओयू रेटिंग प्राप्त हुई है और वर्ष 2021–22 के लिए भी यही रेटिंग अपेक्षित है।

सभी एईसी सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित परियोजनाओं की पूर्व–परियोजना गतिविधियों को संबंधित राज्य सरकारों/सांविधिक निकायों के साथ तेजी से अग्रेषित किया गया है। रोहिल परियोजना के लिए खनन पट्टा देने के लिए राजस्थान सरकार से एलओआई प्राप्त हो गया है। इसके अलावा, टीओआर के अनुदान के लिए एमओईएफ एंड सीसी को आवेदन जमा करने का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना यूसीआईएल के मौजूदा उत्पादन को लगभग 40% तक बढ़ाएगी।

लेह–लद्दाख क्षेत्र में उच्च श्रेणी के यूरेनियम के मिलने के साथ–साथ अरुणाचल प्रदेश में नए खोजे गए जमाओं की रिपोर्टों को देखने का भी प्रयास किया गया है।

24.0 निदेशकों की जिम्मेदारी का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (सी) के प्रावधानों के अनुसार, आपके निदेशक कहते हैं:

(i) वार्षिक लेखा तैयार करने में, लागू लेखा मानकों का पालन किया गया और साथ ही सामग्री प्रस्थान के संबंध में उचित स्पष्टीकरण दिया गया।

(ii) आपके निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए जो उचित और विवेकपूर्ण हों ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति के बारे में उस अवधि के लाभ या हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दी जा सके।

(iii) आपके निदेशकों ने आपकी कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है।

(iv) आपके निदेशकों ने वार्षिक खाते 'गोइंग कंसर्न' के आधार पर तैयार किए हैं।

(v) आपके निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और यह प्रणाली पर्याप्त और प्रभावी ढंग से काम कर रही है।

25.0 पावती

आपकी कंपनी परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ईंधन परिसर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, एनपीसीआईएल, झारखंड सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार, तेलंगाना सरकार, राजस्थान सरकार, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग और अन्य मंत्रालयों और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों और वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक का कार्यालय और पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड– IV, नई दिल्ली, बैंकर और अन्य सभी एजेंसियां से प्राप्त निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन के लिए अपनी ईमानदारी से आभार व्यक्त करती है जो आपकी कंपनी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं। आपकी कंपनी बोर्ड के सभी सदस्यों द्वारा दिए गए समर्थन, मार्गदर्शन और योगदान का भी आभार व्यक्त करती है। कंपनी के कर्मचारियों को उनके प्रयासों और कड़ी मेहनत के लिए आभार व्यक्त करती है। कर्मचारी संघ एवं अधिकारी संघ द्वारा दिया गया सहयोग कृतज्ञ है। आपकी कंपनी यूसीआईएल के पड़ोस में रहने वाले समुदाय द्वारा प्रदान किए गए समर्थन को, स्थानीय मीडिया, गैर सरकारी संगठन और समुदाय के प्रमुख नागरिकों का भी आभार व्यक्त करती है।

निदेशक मंडल के लिए

मुंबई
दिनांक : 14 सितंबर 2022

(डॉ. सी.के. असनानी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-I

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधान के अनुसार निदेशकों की रिपोर्ट में दी जाने वाली आवश्यक जानकारी के साथ–साथ ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय के संबंध में बोर्ड की रिपोर्ट, नियम– 8 में शामिल किए जाने वाले मामलों के साथ पढ़ें।

ए. ऊर्जा का संरक्षणः

क) ऊर्जा के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय लागू किए गएः

i) सोलर पैनल और सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना

ii) पारंपरिक लाइटों की जगह एलईडी लाइटों की स्थापना

ख) ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए अतिरिक्त निवेश के साथ निम्नलिखित प्रस्ताव हैंः

i) सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना

ii) ऊर्जा कुशल मोटर्स का उपयोग

iii) वितरण प्रणाली में कैपेसिटर पैनल की स्थापना

iv) लाइटिंग फीडरों के लिए एनर्जी सेवर पैनल्स की स्थापना

ग) (क) और (ख) पर उपायों का प्रभाव

उपरोक्त उपाय के कारण कुल ऊर्जा की बचत हुईः 10,32,366 kwH

विदेशी मुद्रा अर्जित और प्रयुक्तः

आपकी कंपनी किसी निर्यात व्यवसाय में व्यस्त नहीं है। तथापि, वर्ष के दौरान सीआईएफ आधार पर पुर्जों, पूंजीगत वस्तुओं आदि की खरीद के लिए प्रयुक्त विदेशी मुद्रा रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य) है।

फार्म-बी

अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी अवशोषण के संबंध में विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्रः

विशेष क्षेत्र जहां अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां की गईः

अनुसंधान एवं विकास गतिविधि-1

तुरामडीह, बंदुहुरंग और मोहुलडीह खदानों से यूरेनियम अयस्क के नमूनों पर लीचिंग परीक्षण को लीचिंग प्रक्रिया मापदंडों के और अधिक अनुकूलन के लिए किया गया था।

अनुसंधान एवं विकास गतिविधि-2

तुरामडीह मिल फीड सैंपल को बंजर एल्यूट सैंपल (फाइनल प्रोडक्ट थिकनर ओवरफ्लो) के साथ लीचिंग किया गया।

अनुसंधान एवं विकास गतिविधि-3

जादूगोड़ा मिल में हाई रेट थिकनर के ओवरफ्लो में अवशिष्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कमी के लिए अध्ययन जारी है।

आर एंड डी गतिविधि -4

अयस्क के आटोक्लेव लीचिंग में ऑक्सीडेंट के रूप में हवा का उपयोग करने के लिए सीआर एंड डी तुम्मलापल्ले में परीक्षण किए गए थे। कोविड –19 महामारी के दौरान औद्योगिक ऑक्सीजन की आपूर्ति में संकट के दौरान इसे थोड़े समय के लिए औद्योगिक पैमाने पर भी लागू किया गया था। भविष्य में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को औद्योगिक ऑक्सीजन के विकल्प के रूप में और वायुमंडलीय वायु को संकटों से निपटने के लिए एक ऑक्सीडेंट के रूप में भी आजमाया जाएगा।

उपरोक्त अनुसंधान एवं विकास कार्य के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ :

अनुसंधान एवं विकास गतिविधि-1

चूंकि तुरामडीह, बंदुहुरंग और मोहुलडीह खानों से उत्पादित अयस्क अलग–अलग गहराई से अलग–अलग भूवैज्ञानिक और खनिज विशेषताओं के साथ आते हैं, इसलिए नुकसान को कम करने के लिए उनकी लीचेबिलिटी विशेषताओं की नियमित रूप से निगरानी करना आवश्यक है।

अनुसंधान एवं विकास गतिविधि-2

इसका मुख्य उद्देश्य बंजर द्राब में मौजूद बचे हुए यूरेनियम को आयन एक्सचेंज के बाद सिस्टम में रिसाइकिल करके रिकवर करना है। हालांकि, मुख्य चुनौती अशुद्धियों का निर्माण है जो पुनरावर्तन के बिंदु से डाउनस्ट्रीम प्रक्रियाओं

को प्रभावित कर सकती है।

इन प्रयोगों की सहायता से न्यूट्रल बेल्ट फिल्टर केक के री–पल्पिंग के लिए बंजर एल्यूट की उपयुक्तता का अध्ययन किया गया। न्यूट्रल बेल्ट फिल्टर केक के री–पल्पिंग के लिए बंजर एल्यूट के पुनः उपयोग से संयंत्र में बंजर एल्यूट शराब युक्त यूरेनियम के प्रभावी पुनर्चक्रण में मदद मिलेगी।

अनुसंधान एवं विकास गतिविधि-3

एचआरटी ओवरफ्लो में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का लगभग 95% निष्कासन 50^{o}-60^{o} C पर ओवरफ्लो को गर्म करके सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया था। इसके कारण, राल पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हानिकारक प्रभाव काफी कम हो गया था।

आर एंड डी गतिविधि -4

यह प्रक्रिया संयंत्र को चालू रखने के लिए कोविड –19 स्थिति के कारण औद्योगिक ऑक्सीजन की आपूर्ति में संकट के दौरान वायुमंडलीय हवा का उपयोग करके लीचिंग को अनुकूलित करने के लिए एक अनुसंधान एवं विकास कार्य था। वैकल्पिक ऑक्सीडेंट के रूप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपयुक्तता और लाभों का अध्ययन किया जाना बाकी है।

भविष्य की कार्य योजना :

अनुसंधान एवं विकास गतिविधि-1

अलग–अलग भूवैज्ञानिक और खनिज विशेषताओं के कारण इनपुट अयस्क के कारण तुरमडीह, बंदुहुरंग और मोहुलडीह खान अयस्क के नमूनों के लिए लीचिंग अध्ययन जारी रहेगा।

अनुसंधान एवं विकास गतिविधि-2

फील्ड परीक्षण के लिए जाने से पहले, बंजर द्राब में मौजूद विभिन्न रासायनिक घटकों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों के प्रभावों की बेहतर समझ के लिए इस प्रकार के लीचिंग प्रयोग को आगे भी जारी रखा जाएगा।

अनुसंधान एवं विकास गतिविधि-3

बंदुहुरंग अयस्क के लीचिंग की योजना लीचिंग दक्षता और अभिकर्मक खपत के अनुकूलन के लिए बनाई गई है।

आर एंड डी गतिविधि -4

तुम्मालपल्ले अयस्क प्रसंस्करण संयंत्र में आटोक्लेव में एक वैकल्पिक ऑक्सीडेंट के रूप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और वायु और हाइड्रोजन पेरोक्साइड संयोजन का पता लगाया जाएगा।

अनुसंधान एवं विकास पर व्यय :

पूंजी	शून्य
राजस्व	1121.62 लाख
कुल	1121.62 लाख

प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन और नवाचार :

1. **सिंहभूम और तुम्मलापल्ले संचालन के अवरोधन के तहत प्रौद्योगिकी अनुकूलन के लिए संक्षिप्त विवरण रू जादुगोड़ा मिल में मिश्रित लीच्ड घोल को संभालने के लिए सिस्टम संशोधन**

   जादूगोड़ा मिल का डिजाइन केवल जादूगोड़ा खदान से उत्पादित अयस्क के प्रसंस्करण के लिए था। लीचिंग पचुका से आने वाले निक्षालन घोल के निस्पंदन के लिए, रोटरी ड्रम वैक्यूम निस्पंदन एकमात्र प्रणाली थी। समय के साथ, इसने अन्य नई खुली खदानों से अयस्कों का प्रसंस्करण शुरू किया और इसकी क्षमता का विस्तार हुआ। बड़े थ्रूपुट को संभालने में सक्षम एक नए आधुनिक, कुशल निस्पंदन क्षैतिज बेल्ट निस्पंदन (एचबीएफ) प्रणाली पर स्विच करने के लिए, मुख्य परियोजना ''सिंहभूम और तुम्मालपल्ले ऑपरेशंस की डिबॉटलनेकिंग'' के तहत एक उप–परियोजना ''जादुगोड़ा मिल में मिश्रित लीच्ड स्लरी को संभालने के लिए सिस्टम संशोधन'' लिया गया था।

2. **लाभ :**

   लाभ बेहतर निस्पंदन दक्षता, संचालन और रखरखाव में आसानी और उच्च थ्रूपुट हैं। यह नई प्रणाली कॉम्पैक्ट है और एचबीएफ की कुछ इकाइयों के साथ कई ड्रम निस्पंदन इकाइयों को बदल देती है।

3. **वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान हासिल किए गए प्रमुख मील के पत्थर और फिसलन का कारण, यदि कोई हो।**

   परियोजना को दिसंबर 2021 में पूरा किया गया और चालू किया गया। चालू होने पर, पूरी पोस्ट–लीच्ड स्लरी बेल्ट निस्पंदन प्रणाली के माध्यम से निस्पंदन से गुजरती है।

शेयरधारकों को निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-II

निगम संचालन

आपकी कंपनी अपने संचालन के सभी पहलुओं में अधिकतम स्तर की पारदर्शिता, जवाबदेही और अखंडता प्राप्त करने के लिए अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन का अभ्यास करने में विश्वास करती है और इस दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखती है।

निदेशक मंडल :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार, यूसीआईएल एक सरकारी कंपनी है। कंपनी की पूरी चुकता पूंजी भारत के राष्ट्रपति के पास है, जिसमें 3 शेयर नामांकित व्यक्ति के पास हैं।

बोर्ड में कार्यकारी और गैर–कार्यकारी निदेशकों का अनुकूलतम संयोजन है। बोर्ड दस निदेशकों से बना है जिसमें (i) तीन पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक अर्थात अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (तकनीकी) और (ii) सात अंशकालिक गैर–कार्यकारी निदेशक शामिल हैं। बोर्ड नियमित अंतराल पर मिलते है और कंपनी के उचित निर्देशन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।

मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान 26.06.2021, 30.07.2021, 28.09.2021, 17.12.2021, 24.01.2022 और 28.03.2022 को निदेशक मंडल की छह बैठकें आयोजित की गईं। निदेशक मंडल की संरचना, बोर्ड की बैठकों और वार्षिक आम बैठक/असाधारण आम बैठक में उपस्थिति इस प्रकार है:

नाम और पद 31.03.2022 तक	वर्ग	बोर्ड बैठक		को 28.09.2021 आयोजित एजीएम में उपस्थिति	अन्य निदेशकों की संख्या
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	भाग लिया		
कार्यकारी निदेशक					
डॉ. सी.के.असनानी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	कार्यात्मक	06	06	हां	–
श्री देबाशीष घोष, निदेशक (वित्त)	कार्यात्मक	05	05	–	–
श्री राजेश कुमार, निदेशक (तकनीकी)	कार्यात्मक	06	06	–	–
गैर–कार्यकारी निदेशक					
श्री सुखदेव सिंह, आईएएस, मुख्य सचिव झारखंड सरकार	अंशकालिक पूर्व अधिकारी	06	–	–	–
श्री ए.आर. सुले, संयुक्त सचिव (आई एंड एम), डीएई	अंशकालिक पूर्व अधिकारी	06	06	हां	–
श्री संजय कुमार संयुक्त सचिव (प्रशासन एवं लेखा), पऊवि	अंशकालिक पूर्व अधिकारी	06	05	हां	–
डॉ. दिनेश श्रीवास्तव, मुख्य कार्यकारी, एनएफसी	अंशकालिक पूर्व अधिकारी	06	06	–	–
डॉ. डी.के. सिन्हा, निदेशक, एएमडी	अंशकालिक पूर्व अधिकारी	06	06	–	–

यूसीआईएल में स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 31.08.2019 को पूरा हो गया है। 01.09.2019 से 24.03.2022 की अवधि के लिए यूसीआईएल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

कर्नल (सेवानिवृत्त) श्री प्रवत कुमार पांडा को 26 मार्च 2022 को प्राप्त डीएई पत्र दिनांक 24 मार्च 2022 के माध्यम से कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अनुसार यह एक सरकारी कंपनी है। जहां तक अंशकालिक निदेशकों का संबंध है, सरकारी अधिकारी या अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी उनके द्वारा आयोजित बैठकों के लिए बैठक शुल्क के पात्र नहीं हैं।

प्रत्येक बोर्ड या समिति की बैठक में भाग लेने के लिए केवल स्वतंत्र निदेशकों को 15,000/- रुपये की दर से बैठक शुल्क का भुगतान और एक आकस्मिक व्यय प्रतिपूर्ति @ रु.1,000/- प्रति दिन केवल अधिकतम 2 दिनों के लिए किया जाता है।

लेखा परीक्षा समिति :

यूसीआईएल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति तक बोर्ड ने श्री संजय कुमार, संयुक्त सचिव (प्रशासन और अधिनियम), डीएई की अध्यक्षता में एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है। पऊवि के पत्र दिनांक 24.03.2022 द्वारा कर्नल (सेवानिवृत्त) श्री प्रवत कुमार पांडा की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के परिणामस्वरूप, बोर्ड द्वारा स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया। लेखापरीक्षा समिति की पांच बैठकें 19.07.2021,30.07.2021,18.08.2021, 13.11.2021 और 09.03.2022 को आयोजित की गईं।

14.09.2022 को लेखापरीक्षा समिति इस प्रकार थीः

1.	कर्नल (सेवानिवृत्त) श्री प्रवत कुमार पांडा	:	अध्यक्ष
2.	श्री संजय कुमार, जेएसएए, पऊवि	:	सदस्य
3.	डॉ. दिनेश श्रीवास्तव, सीई, एनएफसी	:	सदस्य
4.	राजेश कुमार, निदेशक तकनीकी, यूसीआईएल	:	सदस्य

कंपनी सचिव, यूसीआईएल ने उक्त समिति के सचिव के रूप में कार्य किया।

पारिश्रमिक समिति :

बोर्ड के निर्देशानुसार, यूसीआईएल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति तक डॉ. दिनेश श्रीवास्तव, सीई एनएफसी, डीएई की अध्यक्षता में पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। पऊवि के पत्र दिनांक 24.03.2022 द्वारा कर्नल (सेवानिवृत्त) श्री प्रवत कुमार पांडा की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के परिणामस्वरूप बोर्ड द्वारा स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया।

14.09.2022 को पारिश्रमिक समिति इस प्रकार थी :

कर्नल (सेवानिवृत्त) श्री प्रवत कुमार पांडा	:	अध्यक्ष
डॉ. दिनेश श्रीवास्तव, सीई, एनएफसी	:	सदस्य
राजेश कुमार, निदेशक तकनीकी, यूसीआईएल	:	सदस्य

निदेशक (वित्त), यूसीआईएल

कंपनी सचिव, यूसीआईएल ने उक्त समिति के सचिव के रूप में कार्य किया।

आचार संहिता :

बोर्ड के सदस्यों के साथ–साथ वरिष्ठ प्रबंधन पर लागू एक आचार संहिता है और इसे कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित सत्यनिष्ठा समझौते के साथ–साथ धोखाधड़ी निवारण नीति/व्हिसल ब्लोअर नीति को कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

सामान्य निकाय बैठकें :

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक आम बैठकें/असाधारण आम बैठकें नीचे दी गई हैंय

वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2020–21 (एजीएम)	28.09.2021	12.30 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
2019–20 (एजीएम)	11.11.2020	15.15 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
2018–19 (एजीएम)	14.09.2019	12.30 बजे	रांची

फार्म सं. एमजीटी-9

वार्षिक विवरण का सारांश

दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) विनियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसार

I पंजीकरण एवं अन्य विवरण

i	सीआइएन	(CIN : U 12000 JH 1967 GOI 000806)
ii	पंजीकरण की तिथि	04/10/1967
iii	कंपनी का नाम	यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
iv	कंपनी की श्रेणी / उप–श्रेणी	सरकारी कंपनी
v	"पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण"	पीओ : जादूगोड़ा खान जिलारू सिंहभूम पूर्वी झारखंड – 832 102 दूरभाष : 0657-2730122//222/353 फैक्स : 0657-2730322 ई–मेलः cs@uraniumcorp.in विजिट करें: www-uraniumcorp.in
vi	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	नहीं
vii	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि कोई हो।	लागू नहीं

II कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ

कंपनी के कुल कारोबार में 10% या उससे अधिक का योगदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों को बताया जाना है।

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी का कुल % व्यवसाय
1	U3O8 यूरेनियम अयस्क का खनन एवं प्रसंस्करण	लागू नहीं	100

कंपनी पूर्ण रूप से भारत के राष्ट्रपति के स्वामित्व में है ।

शेयरधारण का विवरण

भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित शेयर	:	20946175
सरकारी नामितों द्वारा धारित शेयर	:	03
शेयरों की कुल संख्या (अंकित मल्यू रू.1000/- प्रत्येक)	:	20946178

ऋणग्रस्तता

रू. लाख में

	31.03.2022	31.03.2021
सुरक्षित ऋण (फिक्स्ड डिपॉजिट पर ओवरड्राफ्ट)		
असुरक्षित ऋण :		
एसबीआई, जादूगोड़ा से लघु अवधि की नकद साख (सीसी)	शून्य	शून्य
एनपीसीआईएल से ऋण	शून्य	शून्य
कुल रू.	शून्य	शून्य

धारा 149 (6) के तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

कर्नल (सेवानिवृत्त) श्री प्रवत कुमार पांडा को 26 मार्च 2022 को प्राप्त डीएई पत्र दिनांक 24 मार्च 2022 और प्रावधानों के अनुपालन के तहत कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

धारा 134 (1) के तहत बोर्ड एवं निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन

यूसीआईएल एक सरकारी कंपनी है इसलिए निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। पारिश्रमिक आदि का िनर्धारण डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। निदेशकों का कार्यकाल भी सरकार द्वारा तय किया जाता है। इसके अलावा, यूसीआईएल एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत आवश्यक बोर्ड और निदेशकों के प्रदर्शन के साथ–साथ निदेशक की नियुक्ति और पारिश्रमिक सहित नीति निर्धारण, योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं आदि के लिए मानदडं नहीं दिया गया है क्योंकि सरकारी कंपनी को इन प्रावधानों से छूट दी गई है।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (51) के तहत प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के लिए प्रकटीकरण निम्नलिखित हैं :

i. श्री सी. के. असनानी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ii. श्री देबाशीष घोष, निदेशक वित्त (31.01.2022 तक)
iii. श्री राजेश कुमार, निदेशक (तकनीकी) (15.06.2021 अपराह्न से)
iv. श्री बी. सी. गुप्ता, कंपनी सचिव

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का निषेध

कार्यस्थल पर कार्मिकों का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न निषेध के लिए एक समिति का गठन किया गया है। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी को यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई भी शिकायत नहीं मिली है।

संबंधित पक्षों (पार्टी) के साथ अनुबंध

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (एच) के तहत प्रकट की जाने वाली आवश्यक सूचना वित्तीय वर्ष 2021–22 में शून्य है। इसलिए, कंपनी (नियम) नियम 2014 के नियम 8 (2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (एच) के तहत यथा आवश्यक फॉर्म एओसी–2 बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न नहीं है। वार्षिक लेखा की टिप्पणी 32 के तहत सेवाओं को प्राप्त करने के लिए संबंधित पक्ष के प्रकटीकरण का उल्लेख किया गया है।

जोखिम प्रबंधन

यूसीआईएल यह स्वीकार करता है कि किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में जोखिम निहित है और कंपनी की वर्तमान एवं भावी सफलता के लिए जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। कंपनी के पास एक प्रणाली है जो जोखिमों की देखरेख करने, महत्वपूर्ण कारोबारी जोखिमों के प्रबंधन एवं कंपनी के आंतरिक नियंत्रण में मदद करती है।

(सीएसआर अनुलग्नक)

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा।

यूसीआईएल में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नैतिक रूप से कार्य करने और समुदाय और समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए व्यापार के माध्यम से समाज और ग्रह के सामंजस्यपूर्ण और सतत विकास में योगदान करने के लिए एक निरंतर प्रतिबद्धता है।

इसलिए, सीएसआर अपने हितधारकों के हितों को पहचानते हुए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ तरीके से संचालित करने के लिए संगठन की प्रतिबद्धता है।

2. सीएसआर समिति की संरचनाः (31.03.2022 तक)

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान हुई सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या
1	डॉ. डी के सिन्हा	निदेशक	2	2
2	श्री राजेश कुमार	निदेशक	2	2
3	श्री डी घोष	निदेशक	1	1

3. वेब–लिंक प्रदान करें जहां कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा किया गया है।
   https://www-uraniumcorp-in/
4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014, यदि लागू हो, के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें (रिपोर्ट संलग्न करें)। – लागू नहीं
5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो – शून्य

क्र.सं.	वित्त-वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष के लिए सेट-ऑफ के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो (रुपये में)
1			
2			
3			
	Total		

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभरू रु 53752.62 लाख
7. (ए) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत : रु 1075.15 लाख
   (बी) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष। शून्य
   (सी) वित्तीय वर्ष के लिए सेट–ऑफ के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो। शून्य
   (डी) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7a+7b-7c): रु. 1075.15 लाख
8. (ए) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च या अव्ययित सीएसआर राशि :

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि। (रुपये में)	अव्ययित राशि (रुपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि।		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि।		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि।	फंड का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि।
रु. 1294.08 लाख	शून्य		शून्य		

(बी) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के खिलाफ खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण : शून्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हा/नहीं)	परियोजना का स्थान	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)।	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) (रुपये में) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि।	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला					नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.											
2.											
3.											
	कुल										

(सी) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

लाख रुपये में

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुसूची VII में अधिनियम की गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (रुपये में)।	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	स्वास्थ्य देखभाल	स्वास्थ्य देखभाल	हाँ	झारखंड,	सिंहभूम पूर्व	117	सीधे कंपनी द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	शिक्षा और कौशल	शिक्षा	हाँ	झारखंड,	सिंहभूम पूर्व	35	सीधे कंपनी द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	महिला सशक्तिकरण	महिला सशक्तिकरण	हाँ	झारखंड,	सिंहभूम पूर्व	5	सीधे कंपनी द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं
4	सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष	सशस्त्र बल के पूर्व सैनिक, युद्ध, विधवाएंध्आश्रित	हाँ	झारखंड,	सिंहभूम पूर्व	10	सीधे कंपनी द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं
5	आकृति केंद्र	विकास परियोजनाओं	हाँ	अरुणाचल	डीएई	800	सीधे कंपनी द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं
6	पेयजल और स्वच्छता	सुरक्षित पेयजल	हाँ	झारखंड,	सिंहभूम पूर्व	44	सीधे कंपनी द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं
7	खेल और संस्कृति	खेल	हाँ	झारखंड,	सिंहभूम पूर्व	12	सीधे कंपनी द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं
8	विकास परियोजनाओं	विकास परियोजनाओं	हाँ	झारखंड,	सिंहभूम पूर्व	271	सीधे कंपनी द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल					**1294**			

(डी) प्रशासनिक उपरिव्ययों में खर्च की गई राशि–शून्य

(ई) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो– लागू नहीं

(च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8बी8सी8डी8ई) : रु. 1294.08 लाख

(छ) सेट–ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्र. सं.	विवरण	राशि (रुपये में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	1075.15 लाख
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	1294.08 लाख
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि {(ii)–(i)}	218.93 लाख
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट–ऑफ के लिए उपलब्ध राशि {(iii)–(iv)}	218.93 लाख

9. (ए) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण : शून्य

क्र.सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि। (रुपये में)
				फंड का नाम	राशि (रुपये में)	स्थानांतरण की तिथि	
1.							
2.							
3.							
	कुल						

(बी) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरणः शून्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र.सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रुपये में)	परियोजना की स्थिति - पूर्ण / जारी
1								
2								
3								
	कुल							

10. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार बनाई या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें. लागू नहीं

(संपत्ति-वार विवरण)

(ए) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण की तिथिः शून्य

(बी) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशिः शून्य

(सी) इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदिः शून्य

(डी) सृजित या अर्जित (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें: शून्य

11. कारण निर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है : लागू नहीं

अनुलग्नक-I

प्रमुख आंकड़े

रु. लाख में

	विवरण	2021-22	2020-21	2020-2021 की तुलना में	2020-2021 की तलना में
				वृद्धि (कमी)	वृद्धि (कमी) % के रूप में
क.	**परिचालन परिणाम**				
	कारोबार	257,176.21	230,353.12	26,823.09	12%
	सकल आय	261,472.02	235,290.24	26,181.78	11%
	सकल व्यय	183,724.38	172,969.51	10,754.87	6%
	सकल लाभ	77,747.64	62,320.73	15,426.91	25%
	कर के बाद शुद्ध लाभ	57,672.01	47,073.97	10,598.04	23%
ख.	**वर्ष के अंत में वित्तीय स्थिति**				
	शेयर पूंजी	209,461.78	209,461.78	-	0%
	अन्य इक्विटी	185,008.24	146,263.30	38,744.94	26%
	नियोजित पूंजी	420,292.62	379,309.85	40,982.77	11%
	कुल मूल्य (नेटवर्थ)	394,470.02	355,725.08	38,744.94	11%
	सकल ब्लॉक	310,538.69	297,587.46	12,951.23	4%
	मूलह्रास	136,856.66	114,037.64	22,819.02	20%
	शुद्ध ब्लॉक	173,682.03	183,549.82	-9,867.79	-5%
	माल सूची (इंवेन्टरी)	21,594.47	21,414.95	179.52	1%
ग.	**लाभ प्रदत्ता एवं अन्य अनुपात**				
	(i) **प्रतिशत :**				
	बिक्री में सकल लाभ/हानि	30%	27%		
	बिक्री में शुद्ध लाभ/हानि	22%	20%		
	कुल मूल्य में सकल लाभ/हानि	20%	18%		
	कुल मूल्य में शुद्ध लाभ/हानि	15%	13%		
	नियोजित पूंजी में शुद्ध लाभ/हानि	18%	16%		
	नियोजित पूंजी में सकल लाभ/हानि	14%	12%		
	इक्विटी पूंजी में सकल लाभ/हानि	37%	30%		
	बिक्री के लिए माल सूची	8%	9%		
	नियोजिल पूंजी की बिक्री	61%	61%		
	(i) **अनुपात :**				
	वर्तमान परिसंपत्तियां एवं वर्तमान देयताएं	3.18:1	2.86:1		
	वर्तमान देनदारियों के लिए त्वरित संपत्ति	2.83:1	2.61:1		

अनुलग्नक-II

कंपनी की वित्तीय स्थिति

रु. लाख में

क्र. सं.	विवरण	2021-22	2020-21	2020-2021 की तुलना में वृद्धि / (कमी)
1	**कंपनी का स्वामित्व**			
(क)	**अचल परिसंपति**			
	सकल ब्लॉक	**297,755.01**	284,803.77	12,951.24
	घटाया : संचित मूल्यह्रास	**124,762.22**	103,757.13	21,005.09
	नेट ब्लॉक	**172,992.79**	181,046.64	-8,053.85
	अमूर्त परिसंपत्तियाँ	**689.24**	2,503.18	-1,813.94
	अन्य दीघ्रकालीन ऋण एवं अग्रिम (वित्तीय एवं गैर वित्तीय) गैर मौजूदा संपत्तियों सहित	**85,359.80**	8,973.34	76,386.46
	प्रगतिशील पूंजीगत कार्य / स्टॉक	**27,496.68**	23,145.41	4,351.27
	उप-योग	**286,538.51**	**215,668.57**	**70,869.94**
(ख)	**चालू परिसम्पत्ति**			
	(i) सम्पत्ति सूची	**21,594.47**	21,414.95	179.52
	(ii) प्राप्ति योग्य व्यापार	**128,764.81**	148,886.13	-20,121.32
	(iii) ऋण एवं अन्य वित्तीय संपत्तियां	**3,242.76**	3,255.22	-12.46
	(iv) नकद एवं बैंक अधिशेष	**29,741.32**	69,806.52	-40,065.20
	(v) अन्य चालू संपत्तियां	**11,819.87**	8,490.30	3,329.57
	उप-योग	**195,163.23**	**251,853.12**	**-56,689.89**
	कुल योग (क +ख)	**481,701.74**	**467,521.69**	**14,180.05**
2	**कंपनी का स्वामित्व**			
(क)	**गैर वित्तीय देनदारियां सेवाओं, चालू देनदारियां तथा अन्य प्रावधानों के लिए (क)**	**78,439.80**	102,088.53	-23,648.73
(ख)	कंपनी की शुद्ध मालिमत			
	इक्विटी शेयर पूँजी	**209,461.78**	209,461.78	-
	अन्य इक्विटी	**185,008.24**	146,263.30	38,744.94
	उप-योग (ख)	**394,470.02**	**355,725.08**	**38,744.94**
(ग)	**आस्थगित कर दायित्व (ग)**	**8,791.92**	**9,708.08**	**-916.16**
	कुल {(क+ख+ग)}	**481,701.74**	**467,521.69**	**14,180.05**

अनुलग्नक-III

कंपनी की आय और व्यय का विवरण

रु. लाख में

	विवरण	2021-22	2020-21	2020-2021 की तुलना में वृद्धि / (कमी)
1	**कंपनी की आय**			
	क. परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा यूरेनियम सांद्रता के अधिग्रहण से	256,560.06	229,949.78	26,610.28
	ख. गौण उत्पादों की बिक्री से (उत्पाद शुल्क को छोड़कर)	616.15	403.34	212.81
	ग. अन्य प्राप्तियां	4,295.81	4,937.12	-641.31
	उप-योग	**261,472.02**	**235,290.24**	**26,181.78**
	घ. अंतिम स्टॉक में वृद्धि / कमी	-1,028.57	-2,144.17	1,115.60
	कुल (1)	**260,443.45**	**233,146.07**	**27,297.38**
2	**कंपनी द्वारा भुगतान और व्यवस्था**			
	क. खपत की गई सामग्री की लागत	16,831.34	15,377.82	1,453.52
	ख. कर्मचारी लाभ व्यय	58,742.60	54,059.07	4,683.53
	ग. वित्तीय लागत (ब्याज व्यय)	71.05	68.07	2.98
	घ. मूलह्रास और परिशोधन व्यय	22,815.23	22,694.73	120.50
	ङ. अन्य व्यय	84,235.59	78,625.65	5,609.94
	कुल (1)	**182,695.81**	**170,825.34**	**11,870.47**
3	**कंपनी का सकल लाभ**			
	समायोजन के पहले	**77,747.64**	**62,320.73**	**15,426.91**
	घटाया : आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	20,075.63	15,246.76	4,828.87
4	**अवधि के लिए शुद्ध लाभ**	**57,672.01**	**47,073.97**	**10,598.04**
	वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-271.80	1,074.43	-1,346.23
5	**वर्ष के लिए व्यापक आय**	**57,400.21**	**48,148.40**	**9,251.81**

आय का वर्गीकरण

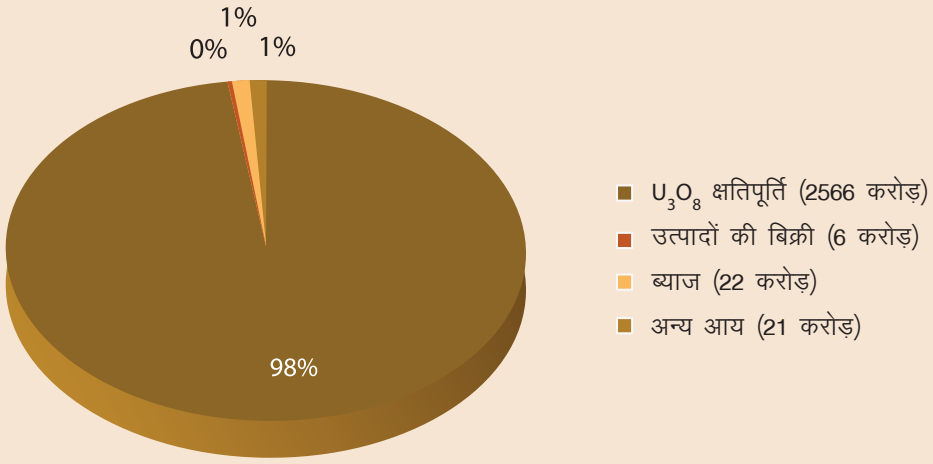

व्यय / परिव्यय का वितरण

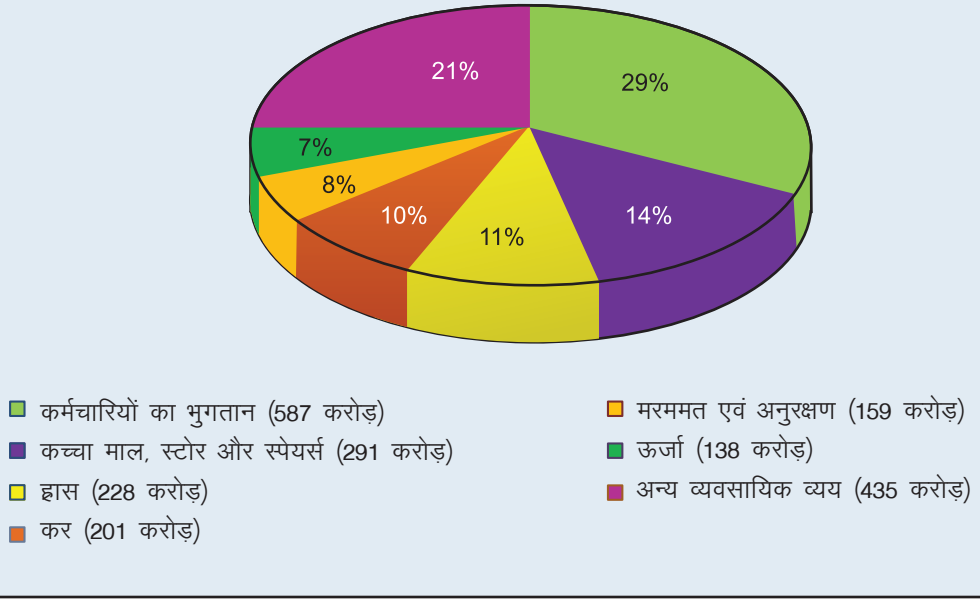

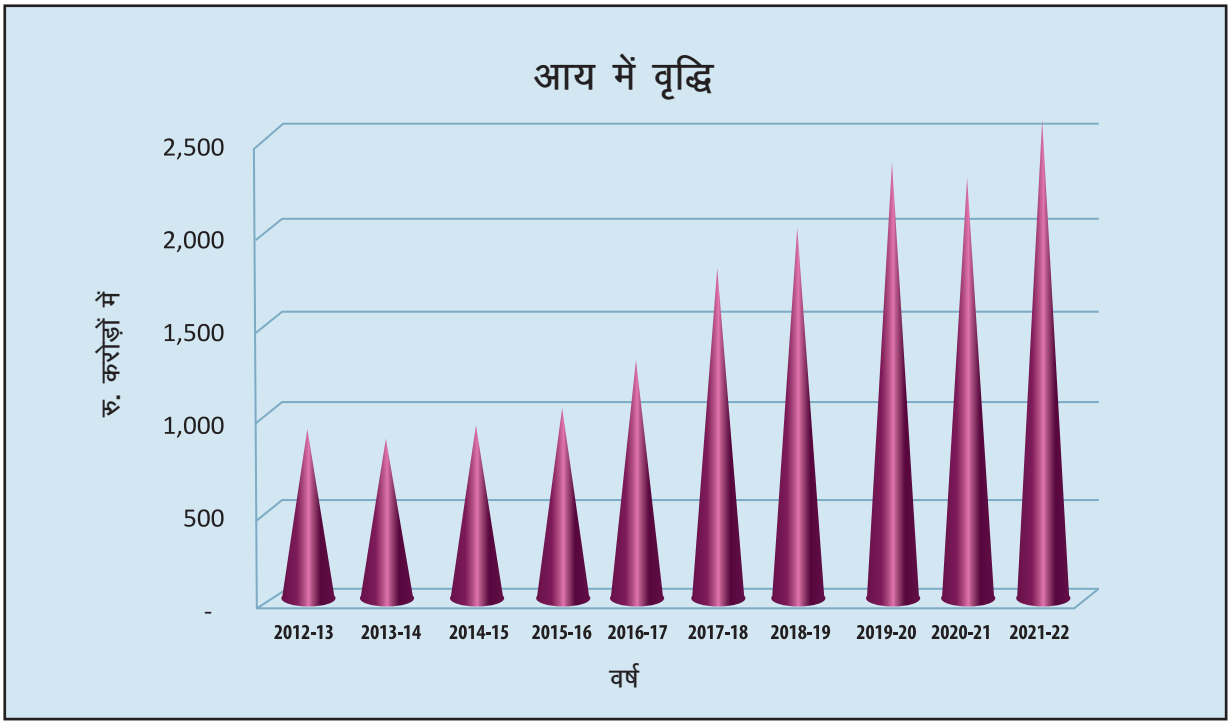

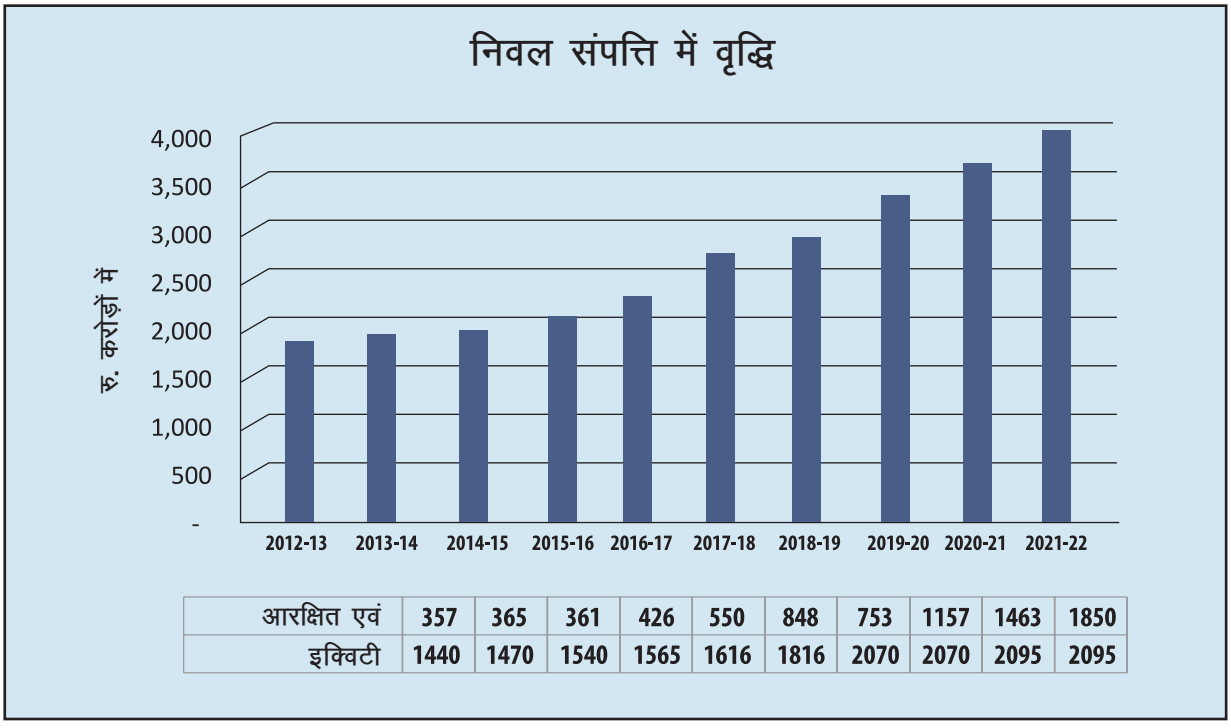

आरक्षित एवं	357	365	361	426	550	848	753	1157	1463	1850
इक्विटी	1440	1470	1540	1565	1616	1816	2070	2070	2095	2095

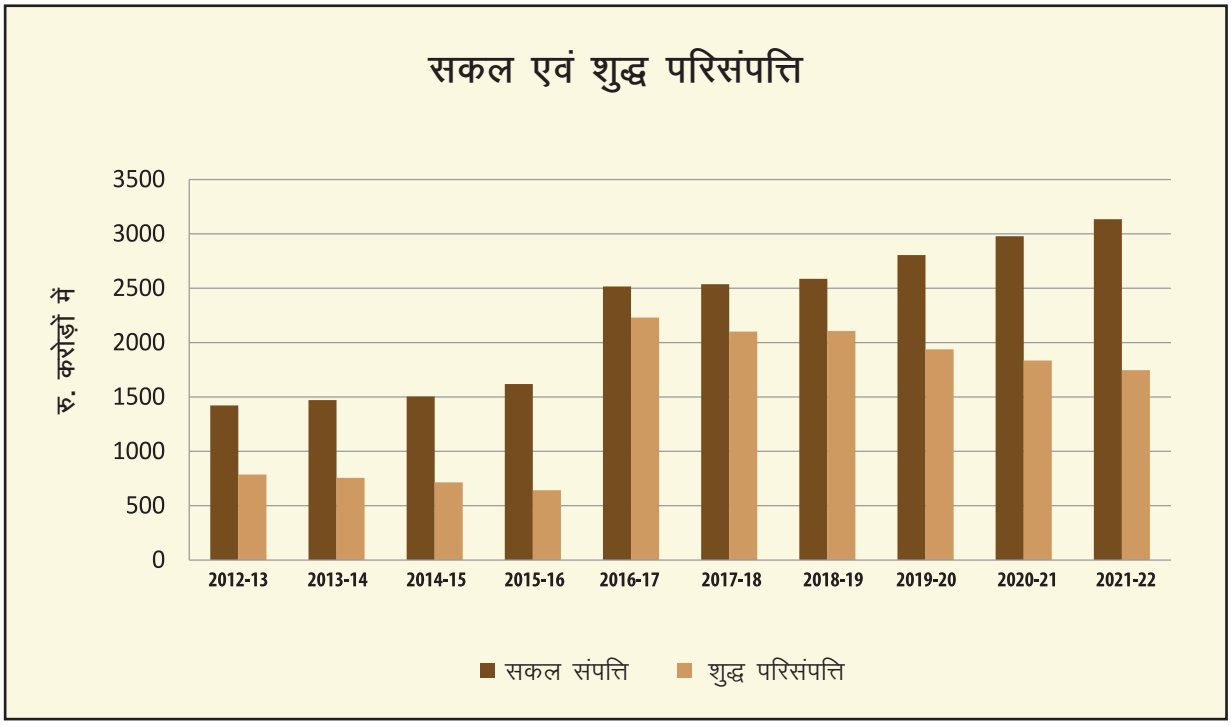
सकल एवं शुद्ध परिसंपत्ति
रु. करोड़ों में
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
सकल संपत्ति
शुद्ध परिसंपत्ति

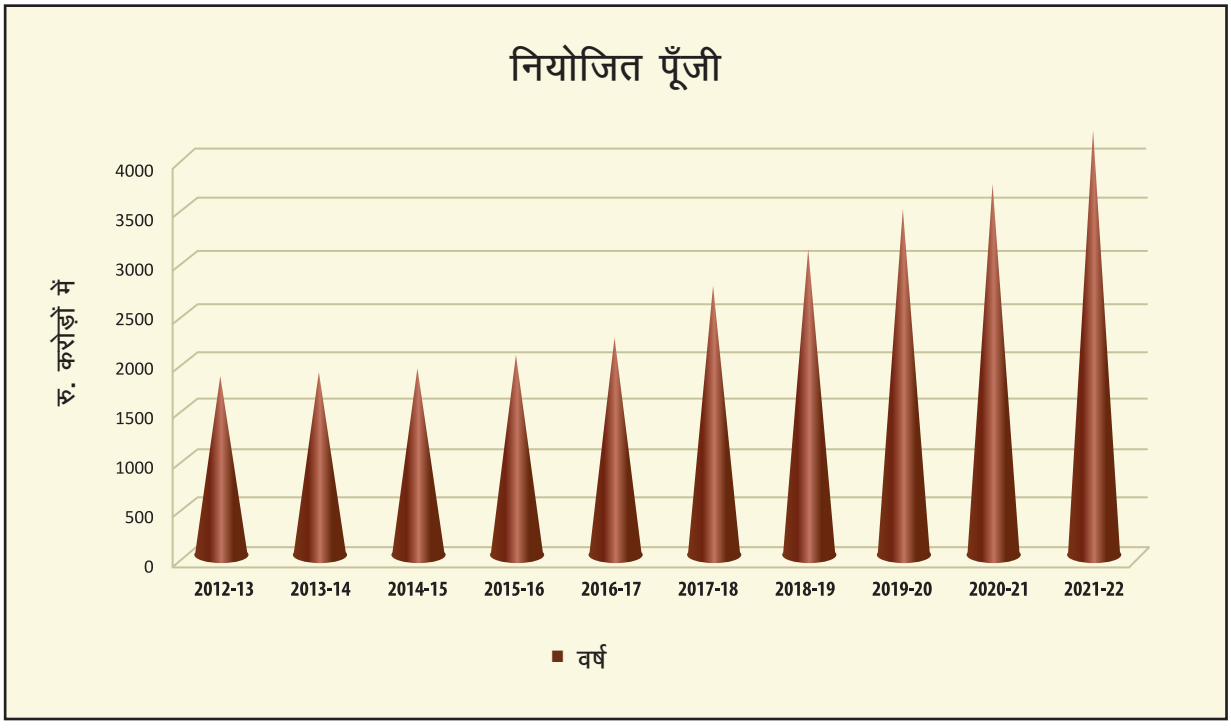
नियोजित पूँजी
रु. करोड़ों में
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
वर्ष

झारखण्ड के माननीय राज्यपाल का यूसिल झारखण्ड इकाईयों का दौरा।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्य

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की रिपोर्ट

हमने यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (इसके बाद ''कंपनी'' के रूप में संदर्भित) के वित्तीय विवरणों का लेखा–जोखा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2022 को बैलेंस शीट, अन्य व्यापक आय के विवरण सहित लाभ और हानि का विवरण, समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण, वित्तीय विवरण के लिए नोट्स और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश और कंपनी की अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है। हमारी राय में और सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम'') द्वारा आवश्यक जानकारी को आवश्यक तरीके से देते हैं और एक सही और निष्पक्ष जानकारी देते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप, कंपनी (भारत लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित, जैसा कि संशोधित है, ("आईएनएस एएस'') और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है।

ए) 31 मार्च, 2022 तक कंपनी की स्थिति की बैलेंस शीट

बी) लाभ और हानि के विवरण के मामले में, समाप्त वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय और नकदी प्रवाह विवरण सहित इसका लाभ

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग ('एसएएस') के मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों के ऑडिट का आयोजन किया। उन मानकों के तहत हमारे उत्तरदायित्वों का वर्णन हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग के लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्वों में किया गया है। हम कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकता के साथ–साथ भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी और उसके तहत बनाए गए नियम से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले :

मुख्य ऑडिट मैटर (केएएम) वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा और उस पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

मामलों पर जोर

हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

1. हम महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के बिंदु संख्या 2.8 पर ध्यान आकर्षित करते हैं – मूल्यह्रास, वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 3 और नोट संख्या 26 के साथ पढ़ें, कंपनी ने संपत्ति के उपयोगी जीवन पर कुछ संपत्तियों तकनीकी अनुमान के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया है।

2. हम केपीएम परियोजना के लिए नोट संख्या 35.12 पर ध्यान आकर्षित करते हैं, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान उक्त परियोजना को बंद कर दिया है और खातों की किताबों में रु.1004.76 लाख रुपये का प्रावधान किया है, हालांकि वही केपीएम परियोजना नोट संख्या 4 के तहत दिखाई दे रही है – पूंजीगत कार्य प्रगति पर – पूर्व–परियोजना व्यय और लेखा पुस्तक में रु.1004.76 लाख रुपये की सांकेतिक देनदारी भी दर्ज की गई है।

3. हम नोट संख्या 4 जिसमें दो कार्यों से कुल मूल्य की बगजाता खानों के संबंध में चल रहे पूंजीगत कार्य से संबंधित लेखा पर टिप्पणियों के नोट संख्या 35.10 के साथ पठित वित्तीय विवरणों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, कार्य I "डिजाइनिंग, सिंकिंग, लाइनिंग और उपकरण 375 मीटर गहराई 5 मीटर तैयार व्यास वर्टिकल शाफ्ट'' जिसका मूल्य 2,059.22 लाख रुपए था और कार्य II "कुल वाइन्डर सिस्टम के डिजाइन, इरेक्शन और कमीशनिंग सहित यूसीआईएल के पास उपलब्ध पुराने 560 किलोवाट वाइन्डर और हेड–फ्रेम का नवीनीकरण था 100.00 लाख रुपए का कुल मूल्य 2159.22 लाख रुपये बनाते हुए, जिसे 4221.39 लाख रुपये की कुल राशि के पूंजीगत कार्य में शामिल किया गया है।

विक्रेता को कार्य पूर्ण करने का ठेका प्रदान किया गया, जो 31.12.2014 तक अंतिम रूप से विस्तारित समय–सीमा के अनुसार पूरा करने में विफल रहा। कंपनी ने 247.61 लाख रुपये की बयाना जमा (ईएमडी) बैंक गारंटी के रूप में ली है जो 14.01.2015 को समाप्त हो गई है। 2159.22 लाख रुपये की उक्त परियोजना के लिए प्रगति पर पूंजीगत कार्य एक विशेषज्ञ से उचित मूल्य पर मूल्यांकित करने और उसके अनुसार निपटने के लिए लंबित है। कंपनी ने मुकदमेबाजी की प्रक्रिया शुरू कर दी है और मामला तीन साल की सीमा अवधि की समाप्ति के बाद मध्यस्थता के अधीन है।

4. हम मोहुलडीह खानों के संबंध में चल रहे पूंजीगत कार्य से संबंधित लेखाओं की टिप्पणियों के नोट संख्या 35.11 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि मोहलडीह खदान में 283 मीटर वर्टिकल शाफ्ट सिंकिंग और इसके उपकरण का काम मेसर्स माहेश्वरी एंटरप्राइजेज और अंबिका एंटरप्राइजेज (जेवी) को कुल लागत 18.63 करोड़ रुपए पर दिया गया।

5. चूंकि, ठेकेदार ने काम पूरा किए बिना साइट छोड़ दी, कंपनी जोखिम और लागत और उत्पादन के नुकसान के दावे के लिए 102.42 करोड़ रुपये की वसूली के लिए मध्यस्थता के लिए चली गई है। हम तुम्मलापल्ले में 813.412 हेक्टेयर भूमि, तुरामडीह में 557.18 एकड़ भूमि, बंदुहुरंग में 686.86 एकड़ भूमि, बागजाता में 303.14 एकड़ भूमि, 1312.62 एकड़ भूमि, जादुगुड़ा में भटिन सहित, 288.20 एकड़ भूमि मोहुलडीह में और 8.62 हेक्टेयर भूमि गोगी परियोजना के लिए खनन पट्टे प्राप्त करने से संबंधित लेखों पर टिप्पणियों के नोट संख्या 35.2 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। नरवापहाड़ 1128.32 एकड़ का खनन पट्टा जो पिछले वर्ष तक लंबित था, झारखंड सरकार द्वारा 27.01.2013 से पूर्वव्यापी रूप से प्राप्त किया गया है।

6. लेखापरीक्षा के दौरान, हमें कंपनी द्वारा धोखाधड़ी का पता चला जो तुरामडीह के सहायक लेखा अधिकारी (लेखा) श्री सुरई हांसदा, नकद अनुभाग, तुरमडीह के प्रभारी हैं द्वारा किया गया है। कई नकद रसीद वाउचर रद्द करके और यूसीआईएल बैंक खातों में नकद जमा नहीं करके 01.04.2007 से 30.09.2021 तक धोखाधड़ी की गई थी। कंपनी की सतर्कता टीम की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के अनुसार कुल 30.45 लाख रुपये की धोखाधड़ी का अनुमान है। कंपनी ने अपनी सतर्कता टीम द्वारा जांच की और यह पूरी हो गई है। वसूली की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।

7. हम नोट संख्या 4 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं स्टॉक में लंबित स्थापना /उपयोग की राशि 275.27 लाख रुपये, वित्तीय वर्ष 2019–20 और वित्तीय वर्ष 2020–21 से संबंधित 15.62 लाख रुपये और 115.66 लाख रुपये

की पूंजीगत संपत्ति को शामिल करने वाली राशि क्रमशः है। हालांकि, प्रबंधन ने पूंजीगत परिसंपत्तियों की समय पर अधिष्ठापन पर कार्रवाई की है।

8. लेखा के नोट्स के नोट संख्या 35.13 में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2020–2021 में आस्थगित कर देयता को 10600.36 लाख रुपये के बजाय 9708.08 लाख रुपये के रूप में दिखाया गया था। इसलिए कंपनी ने अपने लाभ और हानि खाते और वित्त वर्ष 2020–2021 की बैलेंस शीट को सही आस्थगित कर देयता का प्रभाव देने के लिए बहाल किया है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं है।

अन्य सूचना

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख के बाद कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि ऊपर दी गई अन्य जानकारी के उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें और ऐसा करने में, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी हमारे पाठ्यक्रम के दौरान प्राप्त वित्तीय विवरणों या ज्ञान के साथ असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत बताया गया प्रतीत होता है।

जब हम कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें इस मामले को गवर्नेंस के आरोपितों से संप्रेषित करने और संबंधित कानूनों और विनियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई लागू करने की आवश्यकता है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और निदेशक मंडल की जिम्मेदारियां

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में मामलों के लिए जिम्मेदार है जो वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं, भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार कंपनी की अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन, कंपनी (भारत लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों सहित, संशोधित और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांत है।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हो और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, कंपनी के संबंधित प्रबंधन और निदेशक मंडल कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार हैं, जैसा कि लागू होता है, प्रकटीकरण के रूप में लागू होने वाले मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चलते चिंता के आधार का उपयोग करने के लिए जब तक कि निदेशक मंडल या तो परिचालन बंद करने के लिए कंपनी को परिसमाप्ति करने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

कंपनी के निदेशक मंडल भी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण भौतिक दुर्व्यवहार से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि SAS के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा, जब यह मौजूद रहे। गलतफहमी, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और माना जाता है कि सामग्री, यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, तो इन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के आधार पर हमसे लिए गए आर्थिक फैसलों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार एक ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं, हम भी :

- वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करते हैं और उनका आकलन करते हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करते हैं और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करन के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखेबाजी के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली एक से अधिक सामग्री के गलत होने का जोखिम न उठाना या त्रुटि के परिणामस्वरूप जो कि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर, गलत बयानी, या आतरिक नियंत्रण की अधिकता शामिल हो सकती है।
- ऑडिट प्रक्रियाओ को डिजाइन करने के लिए ऑडिट के लिए आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। कंपनियों के अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय विवरण के संदर्भ में और इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है ।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों और लेखा अनुमानों के तर्क और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित खुलासों के मूल्यांकन का मूल्यांकन करते हैं।
- लेखांकन की चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालन, और प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर, क्या एक घटना या शर्तों से सम्बंधित सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर महत्तवपूर्ण सदेह डाल सकती है जो एक चिंता का विषय है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक परिपक्वता अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि वित्तीय विवरणों में इस तरह के खुलासे या, यदि इस तरह के खुलासे हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओ या स्थितियों से कंपनी को चिंता का विषय बना रह सकता है।
- खुलासे सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, सरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना कि क्या वित्तीय विवरण अतर्निहित लेनदेन और घटनाओ का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

हम उन लोगों के साथ शासन के बारे में बातचीत करते हैं, जो ऑडिट के नियत दायरे और समय और महत्त्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के साथ–साथ आतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्त्वपूर्ण कमी को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को एक बयान के साथ शासन प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओ के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ सवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और सुरक्षा उपाय से संबंधित जहां लागू हो।

शासन के प्रभारी के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों की उचित रूप से अपेक्षा की जाएगी इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत आवश्यक है, हम अनुलग्नक 1 में देते हैं, ऑडिट की सुझाई गई कार्यप्रणाली का अनुपालन करने के बाद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर एक बयान, उस पर की गई कार्रवाई और कंपनी के खातों और वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव।

2. जैसा कि कंपनियों (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 संशोधित ("आदेश") के अनुसार आवश्यक है, अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी, हम 'अनुलग्नक II' में देते हैं आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान लागू सीमा तक होता है।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   क) हमने उन सभी सूचनाओ और स्पष्टीकरणों की तलाश की और प्राप्त की, जो हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए सर्वोत्तम थे।

   ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून की आवश्यकता के अनुसार उचित पुस्तकों को अभी तक रखा गया है, क्योंकि यह उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है।

   ग) कंपनी के लिए लागू नहीं है।

   घ) इस रिपोर्ट द्वारा दी गई बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण अन्य व्यापक आय सहित और कैश फ्लो स्टेटमेंट खाते की पुस्तकों के साथ हैं।

   ङ) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, कंपनियों (भारतीय लेखा मानकों) के नियमों, 2015 में संशोधन के साथ पढ़ा जाता है।

   च) हमारी राय में एम्फेसिस ऑफ मैटर्स में उल्लिखित किसी भी वित्तीय लेनदेन या अन्य मामलों का कंपनी के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

   छ) कंपनी एक सरकारी कंपनी है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) और धारा 197 के प्रावधान एमसीए द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार कंपनी पर लागू नहीं हैं।

   ज) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता के संबंध में, 'अनुलग्नक III' रिपोर्ट देखें।

झ) कंपनी के ऑडिट नियम (ऑडिट एड ऑडिटर्स) नियम, 2014 के अनुसार, हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और उन्हें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में:

i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है। वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 31 को संदर्भित करें।

ii) कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए किसी भी तरह की सामग्री नुकसानदेह थी।

iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित किए जाने के लिए कोई राशि नहीं थी।

कृते मेसर्स कदमावाला एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 323212E

CA राकेश कुमार जैन
साथी
M-No- 063654
यूडीआईएन : 22063654ALTWQ08152

स्थान : मुंबई
दिनांक : 28-06-2022

यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर हमारी तारीख की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक - I

(हमारी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर 'रिपोर्ट के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

निर्देश	उत्तर
क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास व्यवस्था है? यदि हाँ, तो इंडियात्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ–साथ खातों की अखडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ बताए जा सकते हैं।	कंपनी के पास ओएलएफएएस लेखा पैकेज है और सभी लेखांकन लेनदेन आईटी सिस्टम के माध्यम से दर्ज किए जाते हैं। हालाँकि, OLFAS लेखा पैकेज पुराना है और कंपनी के वर्तमान कार्य वातावरण के लिए उपयुक्त नहीं है। कंपनी नई ईआरपी प्रणाली को लागू करने की प्रक्रिया में है, लेकिन नई ईआरपी प्रणाली के कार्यान्वयन में अधिक समय लग रहा है। आईटी प्रणाली के बाहर सभी लेखांकन लेनदेन विधिवत रूप से लेखांकन पैकेज में दर्ज किए जाते हैं और फिर सिस्टम से वाउचर उत्पन्न होते हैं और सहायक भौतिक दस्तावेजों के साथ दायर किए जाते हैं। लेखा परीक्षा नमूना जांच पर आधारित थी और हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमारे संज्ञान में ऐसा कोई उदाहरण नहीं आया जिसमें आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण का वित्तीय प्रभावों के साथ–साथ लेखा की अखंडता पर कोई प्रभाव पड़ा हो।
कृपया रिपोर्ट करें कि क्या किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन हो रहा है या कंपनी को ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋण / ऋण / ब्याज आदि की छूट / लिखावट के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जा सकता है।	कंपनी के पास वित्तीय वर्ष की शुरुआत में कोई बकाया ऋण नहीं है और वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए ऋण की पुनर्रचना या ऋणदाता द्वारा ऋण या छूट/ऋण/ब्याज आदि की छूट/राइट–ऑफ कंपनी पर लागू नहीं होता है।
क्या केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि / प्राप्य को इसकी अवधि और शर्तों के अनुसार ठीक से उपयोग / उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाए ।	प्रबंधन से प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त / प्राप्य धनराशि का उसके कार्यकाल और शर्तों के अनुसार सही तरीके से लेखा/ उपयोग किया गया था और शेष राशि का उपयोग तुलन पत्र की तिथि के अनुसार भविष्य में नियम और शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

कृते मेसर्स कदमावाला एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 323212E

CA राकेश कुमार जैन
साथी
M-No- 063654
यूडीआईएन : 22063654ALTWQ08152

स्थान : मुंबई
दिनांक : 28-06-2022

31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की सम तिथि की रिपोर्ट का अनुलग्नक-II

(सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के ''अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट'' खंड के तहत पैराग्राफ 2 में संदर्भित)

1. (a) (क) कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक रूप में संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक रूप में अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(b) जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी की हर तीन साल में एक बार संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के भौतिक सत्यापन की नीति है। ऑडिट के तहत वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण भौतिक रूप से सत्यापित किए गए हैं। कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के भौतिक सत्यापन के संबंध में हमारे सामने प्रस्तुत प्रासंगिक दस्तावेजों के अनुसार समय–समय पर आंतरिक लेखा परीक्षकों के माध्यम से भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	विवरण	वर्ष के दौरान किए गए कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन
1.	तुरामडीह मिल और माइन्स साइट – झारखंड	2017–18
2.	तुम्मलापल्ले साइट – आंध्र प्रदेश	2018–19
3.	नरवापहाड़ और बागजाता – झारखंड	2019–20
4.	जादूगोड़ा साइट – झारखंड	2020–21
5.	तुरामडीह मिल और माइन्स साइट दृ झारखंड	2021–22 (07.06.2022 तक का रिपोर्ट)

(c) मुसाबनी में 3 एकड़ भूमि को छोड़कर, वित्तीय विवरणों में प्रकट सभी अचल संपत्तियों के मालिकाना हक कंपनी के नाम पर हैं।

अचल संपत्ति के मालिकाना हक कंपनी के नाम पर नहीं हैं

बैलेंस शीट में प्रासंगिक लाइन आइटम	संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य (रु.लाख में)	के नाम मालिकाना हक	क्या मालिकाना हकदार एक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/ निदेशक के रिश्तेदार हैं या प्रमोटर/ निदेशक के कर्मचारी हैं	संपत्ति किस तारीख से है	कंपनी के नाम पर नहीं होने का कारण
पीपीई	निःशुल्क भूमि/ पट्टे की भूमि	15.85	राज्य सरकार/ निजी पार्टियां	नहीं	1986	पंजीकरण प्रक्रियाधीन है

(d) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों (संपत्ति का उपयोग करने के अधिकार सहित) और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(e) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, 31 मार्च, 2022 तक ऑडिट के तहत वर्ष के दौरान ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई या कंपनी के खिलाफ बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 के 45) और नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए लंबित नहीं है।

(ii) (a) जैसा कि हमें बताया गया है, प्रबंधन द्वारा कच्चे माल, डब्ल्यूआईपी और तैयार माल का भौतिक सत्यापन किया गया है और आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा उचित अंतराल पर स्टोर और स्पेयर का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में, स्टोर्स और स्पेयर्स के भौतिक सत्यापन की आवृत्ति, प्रबंधन द्वारा अपनाई गई इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रक्रियाएं कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में उचित और पर्याप्त हैं। वस्तु सूची के भौतिक सत्यापन में पाई गई विसंगतियां सामग्री नहीं थीं।

(b) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी को ऑडिट के तहत वर्ष के दौरान चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की ऐसी कार्यशील पूंजी सीमा मंजूरी नहीं दी गई है।

(iii) जैसा कि हमें समझाया गया है, कंपनी ने न कोई भी निवेश नहीं किया है, किसी को भी गारंटी या सुरक्षा प्रदान की है या ऋण की प्रकृति में कोई भी ऋण या अग्रिम, सुरक्षित या असुरक्षित, कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या रजिस्टर में शामिल अन्य पार्टियों को अधिनियम की धारा 189 के तहत प्रदान किया है। इसलिए, उक्त आदेश के खंड 3 (iii) (ए), (बी), (सी), (डी), (ई), (एफ) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

(iv) जैसा कि हमें समझाया गया है, कंपनी ने न तो कोई निवेश किया है, न ही कोई ऋण दिया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की है, इसलिए अधिनियम की धारा 185 और धारा 186 के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(v) कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 के अर्थ के भीतर जनता से किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है और नियमों के तहत तय किए गए हैं। इसलिए, आदेश के खंड 3 (अ) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

(vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को अपने उत्पादों के संबंध में अधिनियम की धारा 148 (1) के तहत लागत रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता है। हमने आम तौर पर इसकी समीक्षा की है और राय है कि, प्रथम दृष्टया, निर्धारित खाते और रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप में बनाए गए हैं। हमने ऐसे अभिलेखों की विस्तृत जाँच नहीं की है कि वे सही और पूर्ण है।

(vii) (क) कंपनी उचित प्राधिकरणों के साथ आम तौर पर निर्विवाद वैधानिक देय राशि जमा करने में नियमित रही है, जिसमें भविष्य निधि, कर्मचारियों के राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य सामग्री वैधानिक देय राशि शामिल हैं। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर के लिए 0.10 लाख रुपये को छोड़कर, देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए 31 मार्च, 2022 तक उपरोक्त बकाया के संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि बकाया नहीं थी।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऊपर उप–खंड (ए) में निर्दिष्ट वैधानिक बकाया है, जिसे विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है।

अधिनियम का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि लाख में	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	128.22	वित्तीय वर्ष 2017–18	सीआईटी (ए)
		204.70	वित्तीय वर्ष 2018–19	सीपीसी
		1681.26	वित्तीय वर्ष 2019–20	सीपीसी

(viii) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत आयकर निर्धारण में लेखा परीक्षा के तहत वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकट किए गए खाते की पुस्तकों में किसी भी लेनदेन की रिकॉर्डिंग नहीं करने से संबंधित कोई भी मामला नहीं था।

(ix) (a) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय है कि कंपनी ने ऋण या किसी अन्य उधार की अदायगी या किसी भी ऋणदाता को उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

(b) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

(c) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी ने वर्ष के दौरान ऋण प्राप्त नहीं किया है।

(d) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी ने वर्ष के दौरान अल्पावधि आधार पर धन नहीं जुटाया है।

(e) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों, या संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है।

(f) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम, या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर वर्ष के दौरान ऋण नहीं लिया है।

(x) (a) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण साधन सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है।

(b) कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह, आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।

(xi) (a) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमें कंपनी द्वारा धोखाधड़ी का पता चला जो तुरामडीह के सहायक लेखा अधिकारी (लेखा) श्री सुरई हांसदा, नकद अनुभाग, तुरमडीह के प्रभारी हैं द्वारा किया गया है। कई नकद रसीद वाउचर रद्द करके और यूसीआईएल बैंक खातों में नकद जमा नहीं करके 01.04.2007 से 30.09.2021 तक धोखाधड़ी की गई थी।कंपनी की सतर्कता टीम की

प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के अनुसार कुल 30.45 लाख रुपये की धोखाधड़ी का अनुमान है। कंपनी ने अपनी सतर्कता टीम द्वारा जांच की और यह पूरी हो गई है। वसूली की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।

(b) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा 12 के तहत ऐसी कोई रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी –4 में लेखा परीक्षकों द्वारा दर्ज नहीं की गई है।

(c) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी को वर्ष के दौरान ऐसी कोई व्हिसल–ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) कंपनी निधि कंपनी नहीं है और इसलिए खंड 3(xii)(a), (b) और (c) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ दर्ज किए गए सभी लेन–देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के तहत जहां लागू हो अनुपालन में हैं और विवरणों का खुलासा वित्तीय विवरणों आदि में किया गया है, जैसा कि भारतीय लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित है।

(xiv) (a) हमारी राय में कंपनी के पास उसके आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

(b) हमने लेखापरीक्षा की अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों के आधार पर, हम समान वस्तुओं/सामग्री के लिए डुप्लिकेट सामग्री कोड के लिए इंगित कुछ महत्वपूर्ण अवलोकनों पर आते हैं, जो उच्च स्तर के जोखिम वाले हैं और सामग्री की खरीद में हमेशा गलत प्रतिनिधित्व और प्रवृत्त क्षेत्र रहे हैं, यह सामग्री खरीद प्रणाली में एक भौतिक कमजोरी है ।

हालांकि, चरणबद्ध तरीके से ओएमएमएस से ईआरपी तक सॉफ्टवेयर लागू करने के लिए प्रबंधन आवश्यक कार्रवाई कर रहा है।

(xv) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी ने निदेशकों या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है।

(xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, खंड 3(xvi) (ए), (बी), (सी) और (डी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xvii) कंपनी को वित्तीय वर्ष में और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद हानि नहीं हुई है।

(xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

(xix) लेखा पुस्तकों की हमारी जांच के आधार पर, प्रासंगिक अनुपातों के विश्लेषण, डेटा और जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, हमारी राय है कि, ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है कि कंपनी सक्षम है तुलन पत्र की तिथि पर विद्यमान अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए, जब वे तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हों।

(xx) (a) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी की सीएसआर देयता निर्धारित की गई है और वर्ष के दौरान खर्च की गई कोई भी अव्ययित राशि बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार मौजूद नहीं है।

(b) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, किसी भी चालू परियोजना के अनुसरण में ऐसी कोई अव्ययित सीएसआर राशि नहीं है।

(xxi) खंड 3(xxi) कंपनी पर लागू नहीं है।

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स कदमावाला एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
ICAI पंजीकरण संख्या : 323212E

CA राकेश कुमार जैन
साथी
M-No- 063654

स्थान : मुंबई
दिनांक : 28.06.2022
यूडीआईएन : 22063654ALTWQ08152

31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मेसर्स यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की सम तिथि की रिपोर्ट का अनुलग्नक -III

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने इस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ 31 मार्च, 2022 तक मेसर्स यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट नोट में आवश्यक आंतरिक घटकों पर विचार करना। भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट के इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के नीतियों के पालन, अपनी सपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान सहित अपने व्यवसाय के क्रमबद्ध और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से चल रहे थे। धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत आवश्यक है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय ऑडिट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट ("गाइडेंस नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए मानकों और कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित माना जाता है जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू सीमा तक, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू और, भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी दोनों। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करते हैं और योजना के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था या नहीं और इस तरह के नियंत्रण सभी सामग्री के मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी ऑडिट में इन भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों और उनके संचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना,

जोखिम का आकलन करना शामिल है जो एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करता है। चयनित प्रक्रियाएं ऑडिटर के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत मूल्यांकन के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित, जो उचित विस्तार से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सही और निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करते हैंय (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनुमति देने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैंय तथा (3) अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या कंपनी की संपत्ति के निपटान के समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें जो वित्तीय विवरणों पर एक सामग्री प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अतर्निहित सीमाओं की वजह से, नियंत्रण की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की सभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री की गड़बड़ी हो सकती है और पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओ के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी रूप से चल रहे थे, जो वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर स्थापित किए गए थे। कंपनी द्वारा चार्टर्ड इस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा जारी किए गए आतरिक वित्तीय नियंत्रण से अधिकवित्तीय रिपोर्टिंग के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करना हैं जो वित्तीय रिपोर्टिंग

पर आतरिक वित्तीय नियंत्रण है।

कृते मेसर्स कदमावाला एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 323212E

CA राकेश कुमार जैन
साथी
M-No- 063654
यूडीआईएन : 22063654ALTWQ08152

स्थान : मुंबई
दिनांक : 28-06-2022

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग
ए.जी.सी.आर.भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट,
नई दिल्ली–110002

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
ENVIRONMENT & SCIENTIFIC DEPARTMENTS
A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE
NEW DELHI-110002

DGA(ESD)/EA/61/AA/UCIL /2022-23 / 70 **Dated : 06 SEP 2022**

सेवा में,

Chairman & Managing Director
Uranium Corporation of India Limited
PO: Jaduguda Mines,
Singhbhum East,
Jharkhand - 832 102

विषयः भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143 (6)(ब) के अंतर्गत Uranium Corporation of India Limited के 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियां।

महोदय,

इस पत्र के साथ, कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत Uranium Corporation of India Limited के 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर शून्य टिप्पणियां प्रमाणपत्र भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय

संजय कुमार झा

महानिदेशक लेखा परीक्षा
(पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग)

संलग्नः यथोपरि

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के अंतर्गत 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूरेनियम कॉपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लेखे पर भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणीयां

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत बनाये गए वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुसरण में 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूरेनियम कॉरपोरशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करना कंपनी प्रबंधन का दायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरण के बारे में सनदी लेखापाल संरक्षण के व्यवसायिक संस्थन के निर्धारित मानक के तहत अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निष्पक्ष रूप से लेखा करने का हमारा दायित्व है। यह उनके लेखा प्रतिवेदन दिनांक 28.06.2022 के द्वारा किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैंने 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूरेनियम कॉरपोरशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अनुपूरक लेखा परीक्षा, अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत किया है। अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के द्वारा कार्यरत कागजातों को देखे बिना एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं कंपनी के प्रतिवेदनों द्वार प्रारंभिक पूछताछ एवं कुछ चुने गए कागजातों एवं लेखा रेकॉर्डों के आधार पर किया गया है।

वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में किए गए संशोधन (नो) को देखते हुए, पूरक लेखा परीक्षा के दौरान उठाए गए मेरे कुछ ऑडिट अवलोकन के प्रभाव को देने के लिए, मेरे पास अधिनियम की धारा 143 (6)(बी) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर पेश करने या पूरक करने के लिए कोई और टिप्पणी नहीं है।

कृते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियंत्रक

महानिदेशक लेखापरीक्षा

पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 06.09.2022

31 मार्च, 2022 तक तुलन-पत्र

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
संपत्ति			
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां			
संपत्ति, सयत्र और उपकरण	3	1,72,992.79	1,81,046.64
प्रगतिधीन कार्य पूजी	4	27496.68	23,145.41
अमूर्त परिसंपत्तियां	5	689.29	2,503.18
वित्तीय परिसंपत्तियां			
– ऋण	6	691.92	609.98
– अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	12	83913.54	8,261.49
अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	7	754.34	101.87
कुल गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां		**286538.51**	**2,15,668.57**
वर्तमान संपत्ति			
मालसूची (इन्वेंटरी)	8	21594.47	21,414.95
वित्तीय परिसंपत्तियां			
– व्यापार प्राप्य	9	128764.81	1,48,886.13
– नकद और नकद समत ल्य	10	29710.11	68,776.63
– नकद और नकद समतुल्यों के अलावा बैंक शेष राशि	11	31.21	1,029.89
– ऋण	6	2984.68	3,107.95
– अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	12	258.08	147.27
वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	13	11819.87	8,490.30
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां			
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां		**195163.23**	**2,51,853.12**
कुल परिसंपत्तियां		**481701.74**	**4,67,521.69**
इक्विटी और देनदारियां			
इक्विटी	14		
इक्विटी शेयर पुँजी	15	2,09,461.78	2,09,461.78
अन्य इक्विटी		185008.24	1,45,371.03
कुल इक्विटी		**394470.02**	**3,54,832.81**
देयताए			
गैर–वर्तमान देनदारियां	16(c)		
वित्तीय देनदारियां	17		
– अन्य वित्तीय देनदारियां	19	1199.50	897.87
प्रावधान		15831.18	12,978.82
आस्थगित कर देनदारियां (शुद्ध)		8791.92	10,600.36
कुल गैर–वर्तमान देनदारियां		25822.60	24,477.05
वर्तमान देनदारियां			
वित्तीय देनदारियां		-	
– उधार	16(a)		-
– व्यापार देय		80.15	38.19
– सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया	16(b)		
उपर्युक्त के अलावा	16(b)	10127.19	10,087.20
– अन्य वित्तीय देनदारियां	16(c)	48628.06	60,686.79
प्रावधान	20	3196.97	5,132.73
वर्तमान कर देनदारियां (शुद्ध)	17	876.30	374.62
अन्य वर्तमान देनदारियां	18	-1499.55	11,892.31
कुल वर्तमान वर्तमान		**61409.12**	**88,211.84**
कुल देनदारियां		**87231.72**	**1,12,688.89**
कुल इक्विटी और देनदारियां		**481701.74**	**4,67,521.70**
महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1,2		

संलग्न समतिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स कदमावाला एड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 323212E

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

CA राकेश कुमार जैन	**बी सी गुप्ता**	**राजेश कुमार**	**सी के असनानी**
भागीदार	कपनी सचिव	निदेशक (तकनीकी)	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्या: 063654	एईआरपीजी9596सी	डीआईएनः 09217107	निदेशक वित्त के अतिरिक्त प्रभार
			डीआईएन 03497356

स्थान : मुंबई
दिनांक : 28.06.2022
यूडीआईएन : 22063654ACTWQ 08152

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरणी

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
आय			
परिचालन से राजस्व	21	257176.21	2,30,353.12
अन्य आय	22	4295.81	4,937.12
कुल आय		**261472.02**	**2,35,290.24**
व्यय			
खपत सामग्री की लागत	23 (a)	16831.34	15,377.82
तैयार माल और जारी कार्य की सूची में परिवर्तन	23 (b)	1028.57	2,144.17
माल की बिक्री पर उत्पाद शु ल्क	24	58742.60	54,059.07
कर्मचारी लाभ व्यय	25	71.05	68.07
वित्तीय लागत	26	22815.23	22,694.73
ह्रास और परिशोधन व्यय	27	84235.59	78,625.65
अन्य व्यय		183724.38	1,72,969.51
कुल व्यय			
कर से पहले लाभ / (हानि)	28	77747.64	62,320.73
कर व्यय	28		
(1) वर्तमान कर		21598.06	17,018.33
(2) आस्थगित कर		-1522.43	-879.30
कुल कर व्यय		20075.63	16139.03
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)		57672.01	46181.70
अन्य व्यापक आमदनी			
ऐसे वस्तुएं जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-557.80	1,076.52
शुद्ध		286.00	-2.09
परिभाषित लाभ योजनाओं की पुनः माप		-271.80	1,074.43
उपरोक्त वस्तुओं से संबंधित आयकर			
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (कर का शुद्ध)			
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		57400.21	47256.13
प्रति शेयर आय	29		
बेसिक और डाइल्यूट		275.33	221.31

संलग्न समतिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स कदमावाला एड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 323212E

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

CA राकेश कुमार जैन	**बी सी गुप्ता**	**राजेश कुमार**	**सी के असनानी**
भागीदार	कपनी सचिव	निदेशक (तकनीकी)	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्याः 063654	एईआरपीजी9596सी	डीआईएनः 09217107	निदेशक वित्त के अतिरिक्त प्रभार
			डीआईएनः 03497356

स्थान : मुंबई
दिनांक : 28.06.2022
यूडीआईएन : 22063654ACTWQ 08152

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर कैपिटल

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि (वित्त वर्ष 2021–22)

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	वर्तमान के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि
2,09,461.78	–	–	–	2,09,461.78

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	वर्तमान के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि
2,06,961.78	–	–	2,500.00	2,09,461.78

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	शेयर आवेदन धन लंबित आवंटन	आरक्षित और अधिशेष		
		सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	कुल
1 अप्रैल 2020	1,500.00	14,336.03	99820.87	115656.90
वर्ष के लिए लाभ	-	-	46181.70	46181.70
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	1074.43	1074.43
प्राप्त राशि	1,000.00	-	-	1,000.00
शेयर निर्गमन	-2,500.00	-	-	-2500.00
प्रदत्त लाभांश	-	-	-16042.00	-16042.00
लाभांश वितरण कर (डीडीटी)	-	-		0.00
31 मार्च 2021	-	14,336.03	131035.00	145371.03
वर्ष के लिए लाभ			57672.01	57672.01
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय			(271.80)	-271.80
प्राप्त राशि			-	-
शेयर निर्गमन			-	-
प्रदत्त लाभांश			-17763.00	-17763.00
लाभांश वितरण कर (डीडीटी)			-	-
31 मार्च 2022	-	14,336.03	170672.21	185008.24

सामान्य आरक्षित : -

आरक्षित को इक्विटी के एक घटक से विनियोजन द्वारा बनाया गया था, अर्थात अन्य के लिए प्रतिधारित आय, अन्य व्यापक आय के एक मद के रूप में नहीं है।

संलग्न समतिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स कदमावाला एड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 323212E

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

CA राकेश कुमार जैन	**बी सी गुप्ता**	**राजेश कुमार**	**सी के असनानी**
भागीदार	कपनी सचिव	निदेशक(तकनीकी)	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्या: 063654	एईआरपीजी9596सी	डीआईएनः 09217107	निदेशक वित्त के अतिरिक्त प्रभार
			डीआईएनः 03497356

स्थान : मुंबई
दिनांक : 28.06.2022
यूडीआईएन : 22063654ACTWQ 08152

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा पर टिप्पणियां

(i) कॉर्पोरेट जानकारी

यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) ("कंपनी") एक सार्वजनिक कंपनी है जो शेयरों द्वारा सीमित है, कंपनी का गठन 4 अक्टूबर, 1967 को किया गया और भारत में अवस्थित है। यह परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो परमाणु ऊर्जा चक्र में सबसे अग्रणी है। दबाव वाले भारी जल रिएक्टरों के लिए यूरेनियम की आवश्यकता को पूराकरते हुए, यूसीआईएल देश की परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में बहुत महत्तवपूर्ण भूमिका निभाता है। यूसीआईएल एक ISO 9001: 2015 और 14001:2015 कंपनी है और कंपनी ने अपनी खदानों एवं प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियाँ अपनायी हैं।

(ii) महत्वपूर्ण लेखा नीतिया

2.1 तैयारी करने के लिए आधार

वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (Ind AS), कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रासंगिक प्रावधानों, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और अन्य लागू वैधानिक कानूनों के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों पर लेखांकन नीतियों को निरंतर लागू किया जाता है।

2.2 माप का आधार

वित्तीय विवरण निम्नलिखित मामलों को छोड़कर व्यवसाय की निरंतरता की अवधारणा और उपार्जन/वृद्धि आधार तथा ऐतिहासिक लागत की परंपरा के तहत तैयार किए गए है :

क) मेडिकल स्टोर, खेल सामग्रियाँ तथा कैंटीन एवं अतिथि गृह के लिए प्रावधान नकद आधार पर किया जाता है अर्थात उन्हें खरीद के समय व्यय में शामिल किया जाता है,

ख) परिभाषित लाभ योजना – उचित मूल्य पर मापी गयी योजना परिसंपत्ति और

ग) उचित मूल्य पर मापे गये खदान बंदी दायित्व ।

2.3 अनुमानों और निर्णयों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के दौरान इस्तेमाल किय गए अनुमानों एवं निर्णयों का कंपनी द्वारा निरंतर मूल्यांकन किया जाता है और ये ऐतिहासिक अनुभव एवं विभिन्न अन्य मान्यताओं तथा कारकों (भविष्य की घटनाओं की संभावनाओ सहित) पर आधारित हैं, जिन्हें कंपनी मौजूदा परिस्थितियों के तहत उचित समझती है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें परिणाम ज्ञात/ प्रकट होते हैं ।

उक्त अनुमान वैसे तथ्यों और घटनाओं पर आधारित हैं, जो रिपोर्टिंग की तिथि को विद्यमान थीं, या उस तिथि के बाद घटित हुई लेकिन रिपोर्टिंग की तिथि को विद्यमान स्थितियों के बारे में अतिरिक्त साक्ष्य उपलब्ध कराती हैं।

2.4 कार्यात्मक मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा अंतरण

क. कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा और उसके अधिकांश संचालनों के लिए कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपयों (रु) में है, जो उस आर्थिक परिवेश की मुख्य मुद्रा है, जिसमें कंपनी काम करती है, और इसे 'लाख रुपये' में दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित किया गया है, यदि अन्यथा घोषित न किया गया हो।

ख. लेनदेन और शेष

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को लेनदेन की तारीख को लाग विनिमय दर का उपयोग करते हुए कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा परिवर्तित किया जाता है । रिपोर्टिंग अवधि के अत में बकाया विदेशी मुद्राओं में वर्णित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों का अतरण रिपोर्टिंग अवधि के अत में लागू विनिमय दरों पर किया जाता है। विदेशी मुद्रा में वर्णित गैर–मौद्रिक सामग्रियों का मूल्यांकन लेनदेन की तिथि पर लागू विनिमय दरों पर किया जाता है।

मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के निपटान या मुद्रा की परिसंपत्तियों और देनदारियों को, शुरुआती मान्यता के दौरान या पिछले वित्तीय विवरणों में अतरण करने की

दर से भिन्न दर पर, अंतरित करने की वजह से उत्पन्न विनिमय अतंर को लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, और पूजीगत परसंपत्ति के मामले में उत्पन्न होने वाले अतंर को अचल परिसंपत्तियों / पूंजी में स्थानांतरित कर दिया जाता है ।

2.5 वर्तमान और गैर-वर्तमान वर्गीकरण

सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को, जब वे कंपनी के सामान्य संचालन चक्र, अर्थात बारह महीने, के भीतर देय होती हैं, वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आस्थगित कर संपत्ति और आस्थगित कर देनदारियों को हमेशा गैर–चालू संपत्ति / देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.6 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और पट्टे की भूमि को ऐतिहासिक लागत पर अग्रेनीत किया जाता है। ऐतिहासिक लागत में वैसे व्यय शामिल होते हैं जिनका संबंध भूमि अधिग्रहण से जोड़ा जा सकता है, जैसे कि पुनर्वास खर्च, पुनर्वास लागत और सम्बंधित विस्थापित व्यक्तियों पर खर्च की गयी मुआवजा राशि इत्यादि।

नई खदान की स्थापना पर होने वाले व्यय को नयी खदान के ऐसे निर्माण के दौरान उत्पादित अयस्क से हुई आमदनी को घटाने के बाद पूँजीकृत किया जाता है।

सिस्टम सॉफ्टवेयर को संबंधित संपत्तियों के साथ पूँजीकृत किया जाता है।

अन्य सभी संपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों को ऐतिहासिक लागत घटाव संचित मूल्यह्रास और संचित क्षति हानि के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। परियोजनाओं से सम्बंधित पूर्व–परिचालनात्मक व्यय, वैसे खर्च जो सीधे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण या स्वतः निर्माण से सम्बंधित हैं, और एरेक्शन / इस्टॉलेशन पर किया गया व्यय तथा परिसंपत्तियों को उनके असली उद्देश्य के अनुसार काम करने की स्थिति में लान पर हुए अन्य संबंधित खर्च को लागत में शामिल किया जाता है ।

कंपनी द्वारा, उत्पादन, वस्तुओं की आपूर्ति या कंपनी की किसी भी वर्तमान परिसंपत्ति तक पहुचँने के लिए आवश्यक कुछ परिसंपत्तियों के निर्माण /विकास पर किये गये पूजीगत व्यय को, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत सक्षमकारी परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है।

जब भी किसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के महत्तवपूर्ण हिस्सों की उपयोगी आयु अलग–अलग होती है, तब उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की पृथक सामग्रियों (अवयवों) के रूप में लेखांकित किया जाता है।

दैनिक सर्विसिंग पर आनेवाली लागत, जिसे मरम्मत और रखरखाव के रूप में वर्णित किया जाता है, को उस अवधि के लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, जिस अवधि में उसे खर्च किया गया हो।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के पहले से ही पूँजीकृत मद पर होन वाले परवर्ती व्यय को तब पूँजीकृत किया जाता है जब यह किसी मौजूदा मद के संभावित आर्थिक लाभों को बढ़ाता है और इस भविष्य अपेक्षी रूप से अवमूल्यित किया जाता है ।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु के निपटान या उस सेवा से हटाये जाने पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है ।

इन्श्योरेंस स्पेयर्स, जिनका इस्तेमाल केवल संपत्ति, संयंत्र, उपकरण एवं उनके उपयोग के किसी मद के सिलसिले में ही किया जा सकता है और जिनका उपयोग अनियमित रहने की सभावना होती है, को पूँजीकृत किया जाता है। आपातोपयोगी उपकरणों को संपत्ति, संयंत्र या उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि वे उत्पादन या माल अथवा सेवाओं की आपूर्ति में इस्तेमाल के लिए रखे गये हों और यदि उन्हें एक से अधिक अवधियों के दौरान इस्तेमाल किये जाने की उम्मीद होय अन्यथा ऐसी संपत्तियां माल–सूची (इन्वेंट्री) रूप में वर्गीकृत की जाती हैं।

2.7 पट्

एक पट्टेदार के रूप में

ऐसे पट्टे को, जो कंपनी के स्वामित्व से संबंधित सभी जोखिमों एवं प्रतिफलों को काफी हद तक स्थानांतरित कर देता है, वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जिन पट्टों में स्वामित्व के जोखिमों और प्रतिफलों के एक महत्तवपूर्ण हिस्से को पट्टादाता द्वारा अपने पास रख लिया जाता है, उन्हें संचालित पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक पट्टे को उसकी प्रारंभ तिथि को ही वित्त पट्टा या संचालित पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी लीज की शुरुआत की तारीख (यानी, इस्तेमाल के लिए अंतर्निहित एसेस्ट उपलब्ध है) की राइट–ऑफ–यूज एसेस्ट को पहचानती है। राइट–ऑफ–यूज एसेस्ट को लागत पर मापा जाता है, किसी भी संचित मूल्यह्रास और हानि के नुकसान को कम किया जाता है, और पट्टे की देनदारियों के किसी भी पुनः माप के लिए समायोजित किया जाता है। राइट–ऑफ–यूज एसेस्ट्स की लागत में लीज की देनदारियों की मान्यता, आरंभिक प्रत्यक्ष लागतें शामिल हैं, और आरंभ तिथि से पहले या लीज पेमेंट से प्राप्त किसी भी लीज प्रोत्साहन को कम किया गया है। संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियां मूल्यह्रास की जाती हैं।

2.8 अवमूल्यन

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण से संबंधित अवमूल्यन, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में निर्दिष्ट उपयोगी जीवन के आधार पर, सीधी रेखा विधि से, या कंपनी के तकनीकी विशेषज्ञों के तकनीकी अनुमानों के आधार पर प्रदान किया जाता है। जिन परिसंपत्तियों के लिए तकनीकी अनुमान पर अवमूल्यन प्रदान किया गया है वे नीचे उल्लिखित हैं:

• सड़क, पुल और पुलिया (कल्वर्टस)	रू 30 वर्ष
• शाफ्ट और डिक्लाइन	रू 21 वर्ष
• विद्युतीय प्रतिस्थापन	रू 15 वर्ष
• संयंत्र और मशीनरी (मिल)	रू 8.5–9.5 वर्ष
(ट्रिपल शिफ्ट के आधार पर)	
• आवासीय भवन तुरामडीह	रू 45 वर्ष
• कंसर्टीना तार की बाड़	रू 15 वर्ष
• चेन लिंक बाड़	रू 10 वर्ष
• कांटेदार तार की बाड़	रू 5 वर्ष

खुली खदान के विकास, ओवरबर्डन को हटाने और खदान के शुरू होने की तारीख तक माइनिंग बेंच को तैयार करने के लिए किये गये व्यय को खदान की पूरी आयु के दौरान परिशोधित किया जाता है ।

खान विकास व्यय खनिज भंडार तक पहुंच की स्थापना है। इसमें विभिन्न गतिविधियाँ जैसे सड़कों का विकास, क्रॉस–कट, बहाव, नालियाँ, रैंप आदि शामिल हैं।

खदान विकास व्यय को तकनीकी अनुमान के अनुसार संबंधित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर पूंजीकृत और मूल्यह्रास किया जाता है।

एक वित्तीय वर्ष में टेलिंग डेम (स्लाइम डैम) को ऊँचा करने के काम के पूर्ण किये गये हिस्से को पूँजीकृत किया जाता है और तकनीकी आकलन के अनुसार इस ऊँचाई की उपयोगी आयु के दौरान अवमूल्यित किया जाता है ।

संवर्धन या विस्तार का ऐसा काम जो मौजूदा परिसंपत्तियों का अभिन्न हिस्सा बन जाता है, उस परिसंपत्ति के शेष उपयोगी आयु के दौरान अवमूल्यित किया जाता है।

सरकारी भूमि, निजी भूमि, और टेलिंग पोंड्स के निर्माण के लिए इस्तेमाल की जानेवाली वन भूमि को टेलिंग पोंड्स की उपयोगी आयु के दौरान अवमूल्यित किया जाता है ।

पट्टे पर अभिग्रहीत एवं अन्य प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल की जा रही सरकारी भूमि को परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन और पट्टे की अवधि में जो सबसे कम हो उतनी अवधि के दौरान अवमूल्यित किया जाता है, यदि इस बात की पर्याप्त निश्चितता न हो कि कंपनी पट्टा अवधि के अंत में स्वामित्व प्राप्त कर लेगी ।

इश्योरेन्स स्पेयर्स को सम्बंधित परिसंपत्तियों की शेष उपयोगी आयु के दौरान उस दर पर अवमूल्यित किया जाता है जो वर्तमान परिसंपत्तियों पर लागू होती है, और मौजूदा परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से लेकर इश्योरेंस स्पेयर्स के अधिग्रहण की तारीख तक के अवमूल्यिन राशि को अधिग्रहण के वर्ष में चार्ज–ऑफ किया जाता है।

परिसंपत्तियों और परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्यों के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है, और यदि उपयुक्त हो, तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समायोजित कर दिया जाता है।

वर्ष के दौरान जोड़ी/हटायी गयी परिसंपत्तियों को समानुपातिक आधार पर, अधिग्रहण/आरंभ होने के लिए महीने का पहला दिन और निपटान के लिए महीने का आखिरी दिन लेते हुए, अवमूल्यित किया जाता है।

2.9 अमूर्त संपत्ति और परिशोधन

शुरुआती मान्यता में, अमूर्त संपत्तियों को लागत के आधार पर मान्यता दी जाती है। शुरुआती मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्तियों को लागत घटाव किसी भी प्रकार का संचित धन एवं संचित क्षति हानि के साथ अग्रेनीत किया जाता।

पहले से ही ही पूँजीकृत अमूर्त परिसंपत्तियों पर होने वाले परवर्ती व्यय को तब पूँजीकृत किया जाता है जब यह किसी मौजूदा परिसंपत्ति में निहित संभावित आर्थिक लाभों को बढ़ाता है और इसे भविष्य अपेक्षी रूप से परिशोधित किया जाता है।

आतरिक उपयोग के लिए अधिग्रहित सॉफ्टवेयर (जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न हिस्सा नहीं है), जो भविष्य में महत्त्वपूर्ण आर्थिक लाभ दे सकता है, को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में तब मान्यता दी जाती है, जब वह इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है।

पहचानने योग्य अमूर्त परिसंपत्तियों, जैसे कि भमि के उपयोग का अधिकार, के लिए भुगतान की गयी राशि को चुकायी गयी राशि के उपयुक्त मूल्य पर पूँजीकृत किया जाता है और इसे लागत घटाव संचित अवमूल्यन व क्षति मूल्य के रूप में दर्ज किया जाता है। अमूर्त संपत्तियों (परिमित आयु वाली) को लागत मॉडल के अनुसार एक सीधी रेखा पद्धति के आधार (स्ट्रेट लाइन बेसिस) पर उनके अपेक्षित उपयोगी आयु के दौरान परिशोधित किया जाता है।

विकास गतिविधियों का मतलब है अनुप्रयोग के निष्कर्ष या व्यावसायिक उत्पादन या इस्तेमाल शुरू होने से पूर्व नयी या काफी हद तक सुधारी गयी सामग्रियों, प्रक्रियाओं, प्रणालियों की किसी योजना या डिजाइन का ज्ञान। लागत को पांच वर्षों के दौरान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिशोधित किया जाएगा ।

2.10 प्रगतिधीन पूँजीगत कार्य

प्रगतिधीन पूँजीगत कार्य में शामिल हैं परिसंपत्तियों के अधि ाग्रहण और निर्माण के लिए व्यय, और संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की लागत, जो अब तक अपने निर्धारित उपयोग के लिए तैयार नहीं है ।

2.11 खदान बंदी, स्थल पुनरुद्धार और डिकमीशनिंग दायित्व

डि–कमीशनिंग लागतें अनुमानित नकदी प्रवाह का उपयोग करके दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित लागत के वर्तमान मूल्य पर प्रदान की जाती है और इन्हें प्रासंगिक परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पहचाना जाता है। नकदी प्रवाह को मौजूदा कर–पूर्व दर से डिस्काउंट किया जाता है, जो पैसे के समय–मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाता है । डिस्काउंट के मोचन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में दर्शाया जाता है। अनुमानित भविष्य की लागतों या लागू की गयी डिस्काउंड दर में हुए परिवर्तन को परिसंपत्ति की लागत में जोड़ा या घटाया जाता है। खदान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 के अनुसार खदान बंदी और पर्यावरण के पुनरुद्धार के दायित्व को पूरा करने की देयता का तकनीकी तौर पर आकलन मैसर्स मेकॉन लिमिटेड द्वारा किया गया है ।

2.12 सहायता अनुदान

केन्द्रीय सरकार से पूजीगत व्यय के लिए प्राप्त सहायता अनुदान, जहां अधिग्रहित संपत्ति का स्वामित्व सरकार में निहित होता है, अनुदान को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है।

2.13 गैर-वित्तीय परिसंपतियों की क्षति

परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि को की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किसी प्रकार की क्षति के संकेत हैं या नहीं । यदि कोई संकेत मौजूद है, तो उस परिसंपत्ति से प्राप्त की जानेवाली राशि का अनुमान लगाया जाता है । जहाँ कहीं भी किसी परिसंपत्ति की वहन राशि वसूली जाने वाली राशि से ज्यादा होती है इसे क्षतिकारी हानि माना जाता है। वसूली योग्य राशि परिसंपत्ति के बिक्री मूल्य और उपयोग किये जा रहे मूल्य में से जो ज्यादा हो वही होती है। उपयोग किये जा रहे मूल्य का आकलन करने के लिए अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को उनके वर्तमान मूल्य तक डिस्काउंट किया जाता है।

वहन राशि को वसूली योग्य राशि तक कम कर दिया जाता है और इस कमी को लाभ और हानि के विवरण में क्षतिकारी हानि के रूप में मान्यता दी जाती है। पहले से मान्यता प्राप्त क्षति–हानि को परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर बढ़ाया या घटाया जाता है। हालांकि, क्षतिकारी हानि को घटाकर वहन राशि से ज्यादा तक नहीं लाया जाता है, यह निर्धारित किया गया होगा (परिशोधन या अवमूल्यन का शुद्ध) पूर्व वर्ष में किसी क्षतिकारक हानि को मान्यता नहीं दी गई थी। क्षति के बाद, अवमूल्यन क्षतिग्रस्त परिसंपत्ति के संशोधित वहन मूल्य पर उसकी शेष बची उपयोगी आयु के दौरान प्रदान किया जाता है।

2.14 वित्तीय प्रपत्र या साधन

वित्तीय साधन एक ऐसा अनुबंध है, जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और किसी अन्य संस्था की वित्तीय देयता या इक्विटी उपकरण को जन्म देता है ।

क. वित्तीय परिसंपत्तियां

कंपनी की वित्तीय संपत्तियों में नकद और बैंक शेष, ऋण एवं कर्मचारियों को दिये गये अग्रिम, व्यापार प्राप्तियां और प्रतिभूति जमा शामिल हैं।

व्यापार प्राप्तियों को उनके लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है।

बिना नियत परिपक्वता अवधि के प्रतिभूति जमा को उस मूल्य पर आगे ले जाया जाता है जिसपर इसे अनुबंध समाप्त होने पर प्राप्त किया जाएगा और यही वह राशि है जो वास्तव में भुगतान की जाती है। वह समयावधि, जिस पर रकम प्राप्त की जाएगी, अनिर्णीत है क्योंकि वह रकम तब प्राप्त होगी जब अनुबंध समाप्त किया जा रहा होगा। डिस्काउंटिंग को हटा दिया जाता है, क्योंकि समयावधि निर्धारण योग्य नहीं होती है ।

वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता-समाप्ति

एक वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता तभी रद्द की जाती है जब

कपनी ने वित्तीय संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया हो, या

उसने वित्तीय संपत्ति का नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए आनुबधिक अधिकारों को बरकरार रखा हो, लेकिन एक या उससे अधिक प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए अनुबंध संबधी दायित्व स्वीकार करती हो ।

ख. वित्तीय देनदारियां

कंपनी की वित्तीय देनदारियां ऐसी परिस्थिति में जो कंपनी के लिए संभावित रूप से प्रतिकूल हैं, किसी अन्य इकाई को नकद या कोई और वित्तीय परिसंपत्ति देने या वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों का उन इकाइयों के साथ विनिमय करने का संविदात्मक दायित्व है।

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में ऋण और उधार, व्यापार और अन्य भुगतान शामिल हैं इन्हें अपने लेनदेन मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

वित्तीय देनदारियों की मान्यता-समाप्ति

एक वित्तीय देयता की मान्यता तब समाप्त हो जाती है जब देयता के तहत दायित्व का निर्वहन कर दिया जाता है, उसे रद्द कर दिया जाता है या उसकी समयसीमा खत्म हो जाए। किसी वित्तीय दायित्व की आगे ले जानेवाली राशि, जिसे किसी अन्य पक्ष को शमित या स्थानांतरित किया गया हो, एवं भुगतान किये गये मूल्य, जिसमें स्थानांतरित गैर–नकदी परिसंपत्तियाँ एवं स्वीकार की गयी देनदारियाँ शामिल हैं, को लाभ व हानि के विवरण में अन्य आय या वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय साधनों का समायोजन

वित्तीय परिसंपत्तियाँ और वित्तीय देनदारियाँ समायोजित की जाती हैं और शुद्ध राशि को तुलन–पत्र में सूचित किया जाता है, यदि वर्तमान में मान्यताप्राप्त राशियों को समायोजित करने का साध्य कानूनी अधिकार हो और यदि शुद्ध आधार पर निपटारा करने का इरादा हो, ताकि परिसंपत्तियों की वसूली और देनदारियों का निपटान एक साथ किया जा सके ।

2.15 माल सूचियाँ

क. माल सूचियों की माप

माल–सूचियों के मूल्य को लागत तथा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में जो सबसे कम हो उस पर निर्धारित किया जाता है। माल सूचियों की अनुमानित बिक्री कीमत में से पूर्ण करने की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत को घटाने पर शुद्ध वसूली योग्य मूल्य प्राप्त होता है ।

ख. लागत फॉर्मूला

1	अयस्क या प्रगतिधीन कार्य	अवशोषण लागत विधि पर
2	प्रत्यक्ष सामान, स्टोर और पुर्जे	भारित औसत लागत पर
3	माल जो रास्ते में है और निरीक्षण के अतर्गत है	अधिग्रहण लागत पर
4	गौण उत्पाद	परिवर्तन लागत पर
5	रद्दी माल	अनुमानित लागत पर

ग. स्टोर और पुर्जे

स्पेयर्स पुर्जे और अपातोपयागी (स्टैन्डबाई) उपकरणों को माल सूची के रूप में वर्गीकत किया जाता है यदि वे उत्पादन या माल की आपूर्ति में इस्तेमाल किया जाते हों। लूज टूल्स को जारी करने के वर्ष में बड्टे खाते में डाल दिया जाता है। कैपिटल स्टोर्स एवं बीमा स्पेयर्स को छोड़कर, पांच साल तक अचलायमान स्टोर्स/ स्पेयर्स के लिए प्रावधान सृजित किया जाता है। अप्रचलित घोषित सामग्री को आवश्यक निपटान के लिए अलग किया जाता है और उसके बही मूल्य को बट्टे खात में डाला जाता है। निपटान के बाद वसूले गये मूल्य को आय में जमा (क्रेडिट) कर दिया जाता है।

2.16 नकद एवं नकद समतुल्य

नकदी प्रवाह विवरणी में प्रस्तुति के उद्देश्य के लिए नकद एवं नदक समतूल्य में नकदी, हाथ में नकदी, तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक अत्यधिक तरल निवेश शामिल है जो अधिग्रहण की तारिख से आसानी से परिवर्तनीय हैं। नकदी की मात्रा और जो मूल्य में एक महत्तवपूर्ण जोखिम परिवर्तन एवं बैंक ओवरड्राफ्ट के अधीन है । बैंक ओवरड्राफ्ट तुलन पत्र में मौजूदा देनदारियों में उधार के तहत दिखाये जाते हैं।

2.17 कराधान

आयकर व्यय वर्तमान और आस्थगित कर के योग को निरूपित करता है । कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है सिवाय उस स्थिति में जिसमें वह सीधे इक्विटी या अन्य विस्तृत आय से संबंधित हो ।

क. वर्तमान आयकर

वर्तमान कर आयकर अधिनियम 1961 के तहत वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है।

ख. आस्थगित कर

आस्थगित कर को कंपनी के वित्तीय विवरणों में संपत्तियों और देनदारियों की आगे ले जानेवाली राशियों एवं कर योग्य लाभ की गणना में इस्तेमाल किये गये संबंधित कर आधारों जंग के बीच के अस्थायी अंतर के आधार पर मान्य किया जाता है और इसका लेखांकन तुलन–पत्र देयता विधि से किया जाता है ।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों जंग को आम तौर पर सभी घटाने योग्य अस्थायी अतरों, अप्रयुक्त कर हानि जंग एवं अप्रयुक्त कर क्रेडिट जग के लिए मान्य किया जाता है, उस हद तक कि यह संभावना रहे कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध हो गए जिसके विरुद्ध ऐसे घटाने योग्य अस्थायी अंतर, अप्रयुक्त कर हानि एवं अप्रयुक्त कर क्रेडिट का इस्तेमाल किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की बकाया राशि की समीक्षा प्रत्येक तुलन–पत्र की तिथि को की जाती है और यह इस हद तक घटायी जाती है कि यह संभावना ही न रहे कि पर्याप्त कर योग्य मुनाफा उपलब्ध हो और उसके विरुद्ध अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सके।

बकाया कर संपत्ति और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाता है जिनकी उस अवधि में लागू होने की उम्मीद की जाती है जिसमें देयता का निपटारा होता है या परिसंपत्ति की वसूली होती है और यह उन कर दरों (और कर कानून) के आधार पर किया जाता है जो बैलेंश शीट तिथि तक लागू की गयी हों ।

2.18 राजस्व मान्यता

कंपनी आय को मान्य तब करती है जब आय की राशि को भरोसेमद रूप से मापा जा सकता हो, यह संभव है कि इकाई को भावी आर्थिक लाभ मिलेगा यानी, जब यूरेनियम सांद्र भारत सरकार को सौंपा जाएगा। बाई–प्रोडक्ट्स की बिक्री से प्राप्त आय को प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल (एक्साइज ड्यूटी समेत) रिटर्न और भत्तेए ट्रेड छूट और वॉल्यूम रिबेट्स के शुद्ध जोड़ पर मान्य किया जाता है।

2.19 उधार लेने की लागत

उधार लेने की लागतए जिसे सीधे तौर पर योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण या निर्माण से जोड़ा जा सकता है को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में पूँजीकृत किया जा सकता है (कोष को अस्थायी रूप से इस्तेमाल करने से हुई शुद्ध आय), तब तक जब तक कि वे परिसंपत्तियाँ अपन इच्छित उद्देश्य से इस्तेमाल को तैयार न हों। योग्य परिसंपत्तियाँ वैसी परिसंपत्तियाँ हैं, जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में अनिवार्य रूप से अच्छा–खासा समय लेती हैं।

अन्य सभी ऋण लागतों को उस अवधि के लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है, जिसमें उन्हें वहन किया गया है।

2.20 कर्मचारी लाभ

क. अल्पावधि लाभ

सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ उस वर्ष के लाभ व हानि विवरण में मान्य किये जाते हैं जिसमें उनसे सबधित सेवाए प्रदान की जाती हैं ।

ख. अवकाश नकदीकरण लाभ

अर्जित अवकाश एवं बीमारी के अवकाश की देयता का निपटान कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा दिये जाने की अवधि की समाप्ति के 12 महीनों के अंदर किये जाने की आशा नहीं की जाती। इसलिए उन्हें भविष्य में होने वाले वैस भावी भुगतानों के वर्तमान मान के रूप में मापा जाता है, जो कर्मचारी द्वारा रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करते हुए किये जाएँगे। लाभों को,

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, सरकारी प्रतिभूतियो, जो संबंधित दायित्व की शर्तों के निकट होती है, पर प्राप्त मार्केट ईल्ड का इस्तेमाल करते हुए डिस्काउंट किया जाता है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मूल्यांकन में परिवर्तन की वजह से की जानेवाली पुनर्माप को अन्य विस्तृत आय में मान्य किया जाता है।

दायित्वों को तुलन–पत्र में वर्तमान देनदारियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यदि इकाई को रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 महीने बाद तक निपटान को आस्थगित करने का बेशर्त अधिकार न हो, और इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वास्तविक निपटान कब होने की उम्मीद है।

ग. नियोजन पश्चात लाभ एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ :

कंपनी निम्नलिखित रोजगार के बाद की योजनाओ को संचालित करती है:–

I) परिभाषित लाभ योजनाएं जैसे कि ग्रेच्युटी, नियोजन पश्चात चिकित्सा लाभ

क) ग्रैच्युटी दायित्व

परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि से किया जाता है और बीमांकिक मूल्यांकन प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किये जाते हैं।

परिभाषित लाभ ग्रैच्युइटी योजनाओं के संबंध में तुलन–पत्र में मान्य की गयी देयता या परिसंपत्ति, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य घटाव योजना की संपत्तियों के उचित मूल्य के बराबर होती है।

परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य का निर्धारण अनुमानित भावी कैश आउटफ्लो को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, सरकारी बौंड, जो संबंधित दायित्व की शर्तों के निकट होती हैं, पर प्राप्त मार्केट ईल्ड के संदर्भ में डिस्काउंट किया जाता है।

शुद्ध ब्याज लागत की गणना परिभाषित लाभ दायित्व एवं संपत्तियोंके उचित मूल्य के शुद्ध शेष पर डिस्काउंट रेट को लागू करते हुए की जाती है। यह लागत लाभ व हानि विवरण के कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल की जाती है।

बीमाकिक मान्यताओं में बदलाव से उत्पन्न पुनर्माप संबंधी लाभ और हानि को उस अवधि में मान्य किया जाता है, जिसमें वे उत्पन्न होती है, वह भी सीधे अन्य विस्तृत आय में। उन्हें इक्विटी में परिवर्तन विवरण में प्रतिधारित आय में शामिल किया जाता है। योजना समायोजन या कटौती से उत्पन्न परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में हुए परिवर्तन को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत ही पिछली सेवा लागत के रूप में मान्य किया जाता है।

ख) सेवा अवधि के बाद के चिकित्सा लाभ

इन लाभों की अपेक्षित लागत कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान सचित होती है और इसके लिए उसी लेखांकन पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है जिसका परिभाषित लाभ योजनाओ के लिए किया जाता है। बीमांकिक मान्यताओं में बदलाव स उत्पन्न पुनर्माप संबंधी लाभ और हानि को अन्य विस्तृत आय में चार्ज या क्रेडिट किया जाता है, उस अवधि में, जिसमें वे उत्पन्न होती हैं।

II) परिभाषित अशदान योजनाएं जैसे प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड

प्रोविडेंट फंड में कंपनी का योगदान बढ़ोतरी आधार पर लाभ व हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

सुपरएनुएशन फंड में योगदान कंपनी की नीतियों के मुताबिक किया जाता है और भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ वित्त पोषित होता है और उस वर्ष में लाभ व हानि विवरण में शामिल किया जाता है, जिसमें योगदान (प्रीमियम) देय होता है ।

2.21 अनुसंधान और विकास व्यय

पूँजीगत वस्तुओं से संबंधित व्यय विशिष्ट संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में शामिल किये जाते हैं और इन्हें लागू दरों पर अवमूल्यित किया जाता है। रेवेन्यू व्यय को उस वर्ष के लाभ व हानि विवरण में शामिल किया जाता है, जिसमें वह खर्च किया जाता है।

2.22 पूर्व प्रदत्त व्यय

पूर्वप्रदत्त व्यय को के वल वहीं लेखांकित किया जाता है, जहाँ अव्यतीत अवधि से सम्बंधित राशियाँ प्रत्येक मामले में रू 50,000 से ज्यादा हों ।

2.23 स्ट्रिपिंग एक्टिविटी व्यय /समायोजन

खदान के विकास चरण के दौरान अयस्क निकाय के विकास पर हुए स्ट्रिपिंग व्यय का पूँजीकरण किया जाता है, जबकि उत्पादन चरण के दौरान इसे लाभ व हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

2.24 दावारहित देयता

जॉब/अनुबंध पूरा करने के बाद, पाँच वर्षों से ज्यादा अवधि से बकाया दावारहित अनुबंध मुल्य/अग्रिम राशि/सुरक्षा जमा/कॉशन मनी को समीक्षा के बाद, अगर यह निर्विवाद है तो विविध आय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यदि दावा न किया गया क्रेडिट बैलेंस संविदा मूल्य की वजह से प्रोजेक्ट से संबंधित है, या अब कंपनी की देनदारियों के रूप में नहीं माना जाता, तो उसे पहचानी गयी प्रासंगिक संपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है। ऐसी मद का विवरण रखा जाएगा। बाद में, रिफंड के मामल में, समीक्षा के बाद रिफंड के वर्ष में, उसे विविध खर्च में डेबिट किया जाएगा।

2.25 प्रावधान और आकस्मिकताएं

क) प्रावधान

प्रावधानों को तब मान्य किया जाता है जब किसी पूर्वघटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्वों से संभवतः कंपनी के आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह हो सकता है और राशि का अनुमान विश्वसनीय ढंग से लगाया जा सकता है। समय या बहिर्वाह की राशि अब भी अनिश्चित हो सकती है। प्रावधानों को वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए जरूरी अनुमानित व्यय पर मापा जाता है, जो रिपोर्टिंग तिथि पर उपलब्ध सबसे विश्वसनीय सबूतों पर आधारित होता है, और जिसमें मौजूदा दायित्वों को व्यवस्थित करने के लिए जोखिम और अनिश्चितताएँ भी शामिल होती हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वश्रेष्ठ अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

ख) आकस्मिक देयता

पिछली घटनाओं से उत्पन्न संभावित दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देनदारियों को जाहिर किया जाता है, लेकिन उनका अस्तित्व एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की ऐसी घटनाओं के घटित या न घटित होने से पुष्ट होगा, जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं या जहां किसी भी मौजूदा दायित्व को संसाधनों के भविष्य के बहिर्वाह की शर्तों के अनुसार नहीं मापा जा सकता या जहां दायित्व का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं तैयार किया जा सकता है।

ग) आकस्मिक परिसंपत्ति

आकस्मिक संपत्ति एक संभावित परिसंपत्ति है, जो पिछली घटनाओ की वजह से उत्पन्न होती है और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक ऐसी अनिश्चित घटना के घटने या न घटने से होती है, जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होती है। आकस्मिक संपत्तियों को मान्य नहीं किया जाता है बल्कि जब आर्थिक लाभों का अतर्प्रवाह संभावित होता है, तब उन्हें नोट्स टु द अकाउंट्स में जाहिर किया जाता है। जब एक अतर्प्रवाह लगभग निश्चित होता है, तब एक परिसंपत्ति को मान्य किया जाता है ।

2.26 शेयर पूंजी

साधारणतया शेयरों को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.27 प्रति शेयर आय

शेयरधारकों के लिए शुद्ध लाभ और वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या के आधार पर प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है।

डाइल्यूटेड आय प्रति शेयर की गणना, वर्ष के दौरान शेयरधारकों से संबंधित शुद्ध लाभ एवं वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों एवं संभावित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का इस्तेमाल करते हुए की जाती है, केवल वैसे मामलों को छोड़कर जो एंटी–डाइल्यूटिव हों।

2.28 पूर्व अवधि समायोजन

पूर्व अवधि से संबंधित आय/व्यय, जो प्रत्येक मामले में कारोबार के 0.50% से अधिक नहीं है, को चालू वर्ष की आय/व्यय के रूप में माना जाता है।

2.29 नकद प्रवाह विवरणी

अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके नकद प्रवाह की सूचना दी जाती है जिससे विगत या भावी नकद प्राप्ति संचालन या भुगतान की भिन्नता या संग्रहण और विनियोजन का वित्तपोषित नकद प्रवाह सहित आय या व्यय की वस्तु के लिए कर पूर्वलाभ गैर नकद प्रकृति की लेनदेन के प्रवाह के लिए समायोजित किया जाता है। नकदी प्रवाह संचालन, निवेश और वित्त पोषण गतिविधियों में अलग हो जाते है।

2.30 महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान, पूर्व धारणा और निर्णय

कंपनी भविष्य के बारे में अनुमान और धारणाएँ तय करती है। परिणामस्वरूप लेखा अनुमान, परिभाषा के अनुसार, शायद ही कभी संबंधित वास्तविक परिणामों के बराबर

होंगे। अनुमानों और पूर्वधारणाओं, जिनकी वजह से, अगले एक वित्तीय वर्ष के अंदर, संपत्ति और देनदारियों की वहन राशियों में ठोस समायोजन होने का खासा जोखिम हो, के बारे में निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है।

अनुमान और अतर्निहित पूर्वधारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखा अनुमानों में संशोधन को उस संशोधन होने वाली अवधि में और प्रभावित होने वाली किसी भावी अवधि में मान्य किया जाता है।

क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को नुकसान

जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से यह संकेत मिलता है कि संभव है कि संपत्ति का वहन मूल्य वसूली योग्य न हो, तो कंपनी संभावित हानि के आकलन के लिए अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यांकन करती है। एक नुकसान हानि को मान्य किया जाता है, यदि किसी संपत्ति का वहन मूल्य उसके उचित मूल्य के उच्चतम मान में बिक्री लागत व उपयोग किये जा रहे मूल्य को घटाने पर मिलने वाली राशि से ज्यादा हो।

परिसंपत्ति को कितना नुकसान हुआ है इसका निर्धारण अनिश्चित मामलों पर प्रबंधन के अनुमान से जुड़ा होता है। हालांकि, नुकसान की समीक्षा और गणना उन पूर्वधारणाओं पर आधारित होती हैं, जो कंपनी की व्यावसायिक योजनाओं और दीर्घकालिक निवेश निर्णयों के अनुरूप होती हैं।

ख) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) और अमूर्त सम्पत्तियों की उपयोगी आयु

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अनुमानित उपयोगी आयु कई कारकों पर आधारित होती है, जिनमें अप्रचलन, परिसंपत्ति का उपयोग और अन्य आर्थिक कारकों (जैसे कि ज्ञात तकनीकी प्रगति) के प्रभाव शामिल हैं ।

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख के अंत में और अमूर्त सम्पत्तियों की उपयोगी आयु की समीक्षा करती है ।

ग) खदान पुनरुद्धार दायित्व

आकलन केवल तभी तैयार किया जाता है, जब कंपनी का कोई वर्तमान दायित्व हो, और यह संभावित हो कि भविष्य की तारीख में पुनर्वास/ पुनर्स्थापना लागत का खर्च उठाना पड़ेगा। किसी दायित्व का अस्तित्व तब होता है, जब पुनर्वास/ पुनर्स्थापना करने के सिवाय और कोई वास्तविक विकल्प न हो या जब इकाई पर्यावरण को पहुँचे नुकसान में सुधार करने या पर्यावरण को पुनर्बहाल करने हेतु कानून या रचनात्मक रूप से बाध्य हो।

घ) आयकर

आयकरों के प्रावधान का निर्धारण करने के लिए एक अच्छी निर्णय प्रक्रिया जरूरी होती है। कई ऐसे लेन–देन और गणनाएं हैं, जिनके लिए सामान्य व्यवसाय के दौरान अतिम रूप से कर का निर्धारण अनिश्चित होता है। कंपनी अनुमानित कर से सम्बंधित मामलों की देयताओं को, अतिरिक्त कर देय होंगे या नहीं इस पर आधारित अनुमान पर मान्य करती है। जहां इन मामलों का अतिम कर परिणाम शुरू में दर्ज की गई राशि से अलग होता है, उनमें ऐसे अतंर का आयकर और आस्थगित कर प्रावधानों पर उस अवधि में प्रभाव पड़ता है, जिसमें इसका निर्धारण किया जाता है।

उन कारकों में किसी भी प्रकार का बदलाव आयकर और स्थगित कर प्रावधानों को उस अवधि में प्रभावित करेगा जिसमें ऐसा निर्धारण किया गया है ।

3. सपंत्ति, सयंत्रं और उपकरण

विवरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	पट्टे वाली भमि	कारखाने की इमारत	प्रशासनिक एवं अन्य भवन	सयंत्रं और मशीनरी (स्वामित्व))	विद्युत संस्थापन	खुली खदान	फर्नीचर और स्थावर	उपकरण	वाहन	योग
सकल ब्लॉक											
1 अप्रैल 2020	5,429.94	263.93	34591.04	8213.23	190602.40	20328.97	8,415.19	352.97	620.74	307.85	269126.26
परिवर्धन	5.76-	-	359.16	80.29	14304.71	749.87	-	43.82	70.70	63.17	15677.49
31 मार्च 2021	5435.70	263.93	34950.20	8293.52	204907.11	21078.85	8,415.19	396.79	691.44	371.02	284803.75
परिवर्धन	27.19	-	39.67	139.36	2518.89	347.76	3559.18	29.45	142.50	147.26	12951.26
31 मार्च 2022	**5462.89**	**263.93**	**34989.87**	**8432.88**	**207426.00**	**21426.61**	**17974.37**	**426.24**	**833.94**	**518.28**	**297755.01**
सचिंत मूल्यह्रास और हानि											
1 अप्रैल 2020	43.68	118.21	6186.53	1024.75	54682.61	7421.99	3041.64	214.62	474.79	239.81	83448.63
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	13.44	18.62	1461.13	210.77	16173.69	1691.14	608.33	31.63	73.54	26.18	20308.47
31 मार्च 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	57.12	136.83	7547.66	1235.52	80856.30	9113.13	3649.97	246.25	548.33	265.99	83,448.66
वर्ष के लिए समायोजन	13.44	18.62	1453.40	209.17	15985.79	1706.52	1493.11	29.77	69.76	25.54	20,308.47
31 मार्च 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7056	155.45	9101.06	1444.69	96842.09	10819.63	3143.08	276.02	618.09	291.53	124762.22
											-
											-
शुद्ध बही मूल्य											
31 मार्च 2022	**5392.33**	**108.48**	**25888.81**	**6988.19**	**110583.91**	**10606.96**	**12831.29**	**150.22**	**215.85**	**226.75**	**172992.79**
31 मार्च 2021	5378.58	127.10	27302.54	7058.00	124050.81	11965.72	4765.22	150.54	143.11	105.03	181046.65

4. प्रगतिधीन कार्य पूंजी

विवरण	प्रगतिधीन कार्य पूंजी (परिचालन इकाई)	प्रगतिधीन कार्य पूंजी (चालू परियोजना)	प्रगतिधीन कार्य पूंजी (परियोजना पूर्व व्यय)	स्थापन हेतु लंबित स्टॉक में पूंजी परिसंपत्ति	कुल
1 अप्रैल 2020	7719.68	16500.35	2541.79	261.79	27023.34
परिवर्धन	375.85	2174.85	2238.86	1099.56	5889.12
स्थानांतरण	-928.34	-7,807.42		-1031.33	-9,767.09
31 मार्च 2021	7167.19	10867.78	4780.65	329.79	23,145.41
परिवर्धन	1972.70	636.74	158.02	1148.90	5927.36
स्थानांतरण	-223.73	-	-148.93	-1203.42	-1575.08
31 मार्च 2022	10916.16	11584.52	4800.73	275.27	27496.68

परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है :

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
परिचालन इकाइयाँ:		
क. जादूगोड़ा माइस एंड मिल	2158.33	1,448.22
ख. तुरामडीह खदान	98.47	145.29
ग. बागजाता खदान	4,221.39	4,221.39
घ. तुरामडीह मिल	30.16	42.20
च. मोहुलडीह खदान	1311.11	940.85
छ. तुम्मलापल्ली माइस एड मिल	3043.96	369.24
ज. नरवापहाड खदान	42.24	-
	10916.16	7,167.19
चालू परियोजनाएं :		
क. तुरामडीह मिल विस्तार परियोजना	4,624.27	4,624.27
ख. तुरामडीह मैग्नेटाइट संयंत्र परियोजना	2,326.59	2,326.59
ग. तुरामडीह पेरोक्साइड संयंत्र परियोजना	-	-
घ. जादूगोड़ा में चतुर्थ चरण की टेलिंग तालाब परियोजना	-	-
च. संचालन की डीबॉटलनेकिंग	4448.35	3916.92
छ. भूमिगत खानों का आधुनिकीकरण	105.31	
	11584.52	10,867.78
परियोजना पूर्व व्यय:		
क. लांबापुर परियोजना	938.96	920.91
ख. केपीएम परियोजना	1,004.76	1,004.76
ग. तुम्मलापल्ली विस्तार परियोजना	238.16	238.16
घ. गोगी परियोजना	547.49	460.61
ङ. रोहिल प्रोजेक्ट	1706.23	1,663.31
च. यूरेनियम रिकवरी संयंत्र (मुसाबनी)	-	148.93
छ. गोराडीह	27.04	27.04
ज. कन्नमपल्ले	227.17	227.17
झ. जजवाल परियोजना	110.98	89.77
	4300.73	4,780.66
लंबित स्टॉक में पूंजी परिसंपत्ति की स्थापना / उपयोग	272.27	329.78
कुल	**27496.68**	**23,145.41**

CWIP कार्यक्रम – 31 मार्च 2022 तक

CWIP	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	
A. परियोजनाएं चल रही हैं					
संचालन इकाइयां					
जारी प्रोजेक्ट	3748.97	–882.49	–2006.84	9725.72	10916.16
a. तुरामडीह मिल विस्तार परियोजना				4624.27	4624.27
b. तुरामडीह मैग्नेटाइट संयंत्र परियोजना				2326.59	2326.59
c. तुरामडीह पेरोक्साइड संयंत्र परियोजना	–	–47.52	–	47.52	–
d. चौथा चरण टेलिंग पॉण्ड	–	–208.18	47.61	160.57	–
e. डी–बोटलनेकिंग	67.38	64.38	2563.48	1752.71	4448.35
f. भूमिगत खान का आधुनिकीकरण	105.31				105.31
कुल	172.89	–191.12	2611.09	8911.66	1130.52
पूर्व-परियोजना व्यय					
a. लाम्बापुर परियोजना	18.05	47.53	46.16	827.22	988.96
b. केपीएम परियोजना			1004.76		1004.76
c. तुम्मालपल्ले विस्तार परियोजना	–	154.76	–	83.40	238.16
d. गोगी परियोजना	86.87	66.61	84.41	309.59	547.48
e. रोहिल परियोजना	42.93	1629.08	14.14	20.08	1706.23
f. यूआरपी (मोसाबनी)	–148.93	17.44	19.25	112.24	–
g. गाराडीह	–	27.04	–	–	27.04
h. कन्नमपल्ली	–	227.17	–	–	227.17
i- जजवाल परियोजना	21.17	89.23	20.54	–	110.94
कुल	20.09	2238.86	1189.26	1352.83	4300.74
स्टॉक में पूंजीगत संपत्ति लंबित स्थापनाध्उपयोग	–64.51	68.12	231.25	30.31	275.27
				कुल योग	27496.69

31 मार्च 2021 तक

CWIP	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	कुल
I. परियोजनाएं चल रही हैं					
संचालन इकाइयां	**-552.49**	**-2806.84**	**20.16**	**9705.57**	**7167.20**
जारी प्रोजेक्ट					
a. तुरामडीह मिल विस्तार परियोजना				4624.27	4624.27
b. तुरामडीह मैग्नेटाइट संयंत्र परियोजना				2326.39	2326.39
c. तुरामडीह पेरोक्साइड संयंत्र परियोजना	–47.52	–	–	47.52	–
d. चौथा चरण टेलिंग पॉण्ड	–208.18	47.61	39.20	121.37	–
e. डी–बोटलनेकिंग	64.38	2011.16	583.29	1257.89	3916.92
f. भूमिगत खान का आधुनिकीकरण					–
	-191.12	**2058.77**	**622.49**	**8377.64**	**10867.78**
पूर्व-परियोजना व्यय					
a. लाम्बापुर परियोजना	47.53	46.16	17.51	809.71	920.91
b. केपीएम परियोजना		1004.76			1004.76
c. तुम्मालपल्ले विस्तार परियोजना	154.76	–	–	83.40	238.18
d. गोगी परियोजना	66.61	84.41	66.34	243.25	460.61
e. रोहिल परियोजना	1629.08	14.14	14.37	5.70	1663.29
f. यूआरपी (मोसाबनी)	17.44	19.25	16.34	95.90	148.93
g. गाराडीह	27.04	–	–	–	27.04
h. कन्नमपल्ली	227.17	–	–	–	227.17
i. जजवाल परियोजना	69.23	20.54	–	–	89.77
कुल	2238.88	1189.26	114.36	1237.96	4700.54
स्टॉक में पूंजीगत संपत्ति लंबित स्थापना/उपयोग	**68.22**	**231.25**	**-122.52**	**132.83**	**329.78**
				कुल योग	**23145.40**

5. अमूर्त सम्पत्ति

विवरण	उत्पाद विकास गतिविधि	वन भूमि के उपयोग का अधिकार	कुल
सकल ब्लॉक			
01 अप्रैल 2020	11,524.72	1,258.96	12,783.64
परिवर्धन / समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2021	11,524.72	1,258.96	12,783.64
परिवर्धन / समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2022	11,524.72	1,258.96	12,783.68
	7491.06	399.30	7,890.36
ऋण परिशोधन और क्षति	2,304.94	85.21	2,390.15
01 अप्रैल 2020	9,796.00	484.51	10,280.51
ऋण परिशोधन	1,728.72	85.21	1813.93
31 मार्च 2021			
ऋण परिशोधन	11524.72	569.72	12094.44
31 मार्च 2022			
शुद्ध बही मूल्य			
31 मार्च 2022	-	639.24	689.24
31 मार्च 2021	1728.72	774.45	2503.17

वन भूमि के उपयोग का अधिकारः विशिष्ट उपयोग और स्वामित्व के लिए झारखंड सरकार से प्राप्त की गई 437.164 एकड़ (31.03.2021 : 437.164 एकड़) की वन भूमि झारखंड सरकार के पास ही पड़ी है।

6. ऋण

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
गैर-वर्तमान		
प्रतिभूति युक्त, जो वसूली योग्य समझे गए	581.70	495.55
– कर्मचारियों को घर निर्माण के लिए अग्रिम		
प्रतिभूति–रहित, जो वसूली योग्य समझे गए	110.22	113.43
– कर्मचारियों को अग्रिम	691.92	609.98
वर्तमान		
प्रतिभूति युक्त, जो वसूली योग्य समझे गए	168.54	142.56
– कर्मचारियों को घर निर्माण के लिए अग्रिम		
प्रतिभूति–रहित, जो वसूली योग्य समझे गए	541.88	585.75
– कर्मचारियों को अग्रिम	22.84	0.64
– कर्मचारियों से अन्य प्राप्तियां	2251.43	2379.00
– अन्य प्राप्तियां	2984.69	3107.95

7. अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
पूंजी अग्रिम (प्रतिभूति युक्त, जो वसूली योग्य समझे गए)	754.34	101.87
पूर्वभुगतान	–	–
	754.34	101.87

8. मालसूची (इन्वेंटरी)

विवरण		31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
कच्चा माल		2191.09	1,636.35
कार्य प्रगति पर		10081.77	10,139.93
तैयार माल		-	-
अयस्क		3801.40	4,758.49
गौण उत्पाद			
घटाए : प्रावधान	21.45	18.20	6.40
रद्दी माल	3.25	294.06	119.18
स्टोर और पुर्जे		3601.70	5,170.00
घटाए : अप्रचलित स्टोर और पुर्जे के लिए प्रावधान		-448.39	-493.75
		3153.31	4,676.25
		254.64	78.35
स्टोर और पुर्जे – पारगमन में		21394.47	21,414.95

9. कोराबार प्राप्तियां

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
कारोबार प्राप्तियां (सुरक्षित युक्त, जिन्हें वसूली योग्य समझा गया)	128764.81	1,48,886.13
	128764.81	1,48,886.13

–बिल प्राप्त करने वाले व्यापार : 1,20,474.59 लाख

–अनिर्दिष्ट व्यापार प्राप्य : 8290.22 लाख

31 मार्च 2022 तक

विवरण	प्राप्ति की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने-1 साल	1-2 साल	2-3 साल	3 साल से अधिक	कुल
1. निर्विवाद व्यापार प्राप्य–अच्छा माना जाता है	91857.38		36695.84			128353.22
2. अविवादित व्यापार प्राप्य–जिनके जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है						–
3. विवादित व्यापार प्राप्य–ऋण बाधित						–
4. विवादित व्यापार प्राप्य–अच्छा माना जाता है					411.59	411.59
5. विवादित व्यापार प्राप्य–जिनके जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है						–
6. अविवादित व्यापार प्राप्य–ऋण बाधित						–
कुल	91857.38	–	36695.84	–	411.59	128764.81

31 मार्च 2021 तक

विवरण	प्राप्ति की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने-1 साल	1-2 साल	2-3 साल	3 साल से अधिक	कुल
1. निर्विवाद व्यापार प्राप्य–अच्छा माना जाता है	54591.40		93883.14			148474.54
2. अविवादित व्यापार प्राप्य–जिनके जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है						–
3.विवादित व्यापार प्राप्य–ऋण बाधित						–
4.विवादित व्यापार प्राप्य–अच्छा माना जाता है					411.59	411.59
5.विवादित व्यापार प्राप्य–जिनके जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है						–
6. अविवादित व्यापार प्राप्य–ऋण बाधित						–
कुल	54591.40	–	93883.14	–	411.59	148836.13

10. नकद और नकद समतुल्य

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
हाथ में नकदी (अग्रदाय नकदी और स्टांप सहित)	1.34	2.84
बैंकों में जमा शेष:		
– चालू खातों में	14216.70	66.46
– तीन महीने से कम अवधि की मूल परिपक्वता वाली जमाएं (ग्रहणाधिकार के बिना)	15187.62	68,707.33
– तीन महीने से कम अवधि की मूल परिपक्वता वाली जमाएं (ग्रहणाधिकार)	304.45	-
	29710.11	68,776.63

11. नकद और नकद समतुल्यों के अलावा बैंक जमा शेष

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाली जमाएं (ग्रहणाधिकार के बिना)	20.04	1,029.89
	11.17	–
3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की परिपक्वता अवधि वाली जमाएं (ग्रहणाधिकार के साथ)*	31.21	1,029.89

*ऋण पत्र के खिलाफ ग्रहणाधिकार के रूप में।

12. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
गैर–वर्तमान		
प्रतिभूति जमा	858.12	858.12
कर्मचारी से अर्जित ब्याज	726.68	682.00
12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली जमाएं (ग्रहणाधिकार के बिना)	81298.17	5,810.43
12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली जमाएं (ग्रहणाधिकार के साथ)	1090.80	910.944
वर्तमान	83913.54	8,261.49
उपार्जित ब्याज		
– बैंकों से	78.99	66.36
– कर्मचारियों से	80.14	80.14
– अन्य से	0.77	0.77
	258.08	147.27

*बैंक गारंटी के खिलाफ ग्रहणाधिकार के रूप में।

13. अन्य वर्तमान परसपंत्तियां

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
पूर्वदत्त व्यय	34.53	38.35
अग्रिम (प्रतिभूति–रहित):	10589.04	7,430.48
– ठेकेदारों, सरकारी विभाग आदि को अग्रिम	1216.30	1,021.47
– आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	2.33	2.33
क) वसूली योग्य समझे गए	1218.63	1,023.80
ख) संदिग्ध माने गए	2.33	2.33
घटाए – संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	1216.30	1,021.47
	11819.87	8,490.30

टिप्पणी :

ठेकेदारों, सरकारी विभागों आदि को दिए गए अग्रिम में, विवादित मांग के खिलाफ जिला खनन कार्यालय, झारखंड सरकार के प्रतिवाद के तहत वर्ष 2007–08 में मैग्नेटाइट पर रॉयल्टी के लिए जमा किए गए रू.165.63 लाख शामिल हैं, मामला कानूनी न्यायालय में विचाराधीन हैं।

14. शेयर पूंजी

क) अधिकृत शेयर पूंजी

विवरण	इक्विटी शेयर	
	संख्या	राशि
अधिकृत शेयर पूजी		
1 अप्रैल 2020	3,50,00,000	3,50,00,000
शेयर पूजी में वृद्धि / (कमी)		
31 मार्च 2021	3,50,00,000	3,50,00,000
शेयर पूजी में वृद्धि / (कमी)		
31 मार्च 2022	3,50,00,000	3,50,00,000

ख) इक्विटी पूंजी निर्गम

विवरण	संख्या	राशि
I. रू.1000/– प्रत्येक मूल्य के इक्विटी शेयर (प्रत्येक रू.581/– तक का भुगतान नकद के अलावा में तथा रू.419/– प्रत्येक का भुगतान नकद में)		
1 अप्रैल 2020	1,000	1,000
अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31 मार्च 2021	1,00,000	1,000
अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31 मार्च 2022	1,00,000	1,000
II. रू.1000/– प्रत्येक मूल्य के इक्विटी शेयर नकद के अलावा अन्य के रूप में मान्य करने हेतु पूर्ण प्रदत्त के रूप में आवंटित किए गए हैं		
1 अप्रैल 2020	1853	18.53
अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31 मार्च 2021	1853	18.53
अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31 मार्च 2022	1853	18.53
III. रू.1000/– प्रत्येक मूल्य के इक्विटी शेयर नकद पूर्णतः नकद में भुगतान		
1 अप्रैल 2020	2,05,94,325	205,943.25
अवधि के दौरान परिवर्तन	2,50,000	2,500.00
31 मार्च 2021	20844325	2,08,443.25
अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31 मार्च 2022	20844325	288443.25
31 मार्च 2022	20886178	2,09,461.78
31 मार्च 2021	20945178	2,09,461.78

ग) इक्विटी शेयरों से जुड़े नियम और अधिकार

कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिनका प्रति शेयर 1000/– का सममूल्य मूल्य है। प्रत्येक शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट के लिए पात्र है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए रू.17763.00 लाख (गत वर्ष रू.16042.00 लाख) के इक्विटी लाभांश की सिफारिश की है। यह इक्विटी लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारक द्वारा अनुमोदन के अधीन है और इन वित्तीय विवरणों में देयता के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

घ) कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

20946178 शेयर (31.03.2021रू 20946178), भारत के राष्ट्रपति 100 % इक्विटी शेयरों के धारक हैं।

वर्ष के अंत में प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर

क्र.सं.	प्रमोटर का नाम	शेयर की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
1	भारत के राष्ट्रपति	2,09,46,178	100:	–
कुल	2,09,46,178	100:	–	

15. अन्य इक्विटी

विवरण	शेयर आवेदन धन लंबित आवंटन	आरक्षित और अधिशेष		
		सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	कुल
1 अप्रैल 2020	1,500.00	14,336.03	99820.87	115656.90
वर्ष के लिए लाभ	-	-		
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	46181.70	46181.70
शेयर आवंटन के लिए प्राप्त राशि	1000.00	-	1,074.43	1074.43
शेयर निर्गमन	(2,500.00)	-	-	1000.00
प्रदत्त लाभांश	-	-	-	-2,500.00
लाभांश वितरण कर (डीडीटी)	-	-	(16042.00)	-16,042.00)
31 मार्च 2021	-	-	-	0.00
वर्ष के लिए लाभ		14,336.03	101035.00	145371.03
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	57672.01	57672.01
शेयर आवंटन के लिए प्राप्त राशि	-	-	(271.80)	-271.80
शेयर निर्गमन	-	-	-	-
प्रदत्त लाभांश	-	-	-	-
लाभांश वितरण कर (डीडीटी)	-	-	(17763.00)	-17763.00
31 मार्च 2022	-	14,336.03	1,70,672.21	1,85,808.24

सामान्य आरक्षितः -

आरक्षित को इक्विटी के एक घटक से विनियोजन द्वारा बनाया गया था, अर्थात अन्य के लिए प्रतिधारित आय, अन्य व्यापक आय के एक मद के रूप में नहीं है।

16. वित्तीय देनदारियां

(क) वर्तमान उधारियां

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
प्रतिभूति–रहित		
अन्य संस्था से ऋण	–	–

(ख) व्यापार देय

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
विविध लेनदार		
– एमएसएमई	80.15	38.19
– अन्य	10127.19	10,087.20
कुल	10207.34	10,125.39

व्यापार देय की अनुसूची

31 मार्च 2022 तक

विवरण	निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	कुल
एमएसएमई	78.45	–	–	1.69	80.14
अन्य	5083.83	3874.37	861.85	307.15	10127.20
विवादित बकाया–एमएसएमई	–	–	–	–	–
विवादित बकाया–अन्य	–	–	–	861.85	–
कुल	5162.28	3874.37	861.85		10207.34

31 मार्च 2021 तक

विवरण	निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 साल से अधिक	कुल
एमएसएमई	36.50	–	1.69	–	38.19
अन्य	7884.63	1424.88	40.91	736.77	10087.19
विवादित बकाया–एमएसएमई	–	–	–	–	–
विवादित बकाया–अन्य	–	–	–	–	–
कुल	7921.13	1424.88	42.60	736.77	10125.38

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से सम्बंधित प्रकटीकरण

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
वर्ष के अंत में बकाया मूल राशि	78.15	36.29
वर्ष के अंत में बकाया ब्याज राशि	1.98	1.89
वर्ष के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई मूल राशि	–	453.94
वर्ष के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ताओ को एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अलावा भुगतान की गई ब्याज राशि	–	–
वर्ष के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ताओं को एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के तहत भुगतान की गई ब्याज राशि	–	1.79
पहले से किए गए भुगतानों के लिए आपूर्तिकर्ताओं को बकाया और देय ब्याज	0.29	0.21
पहले के वर्षों के लिए अन्य बकाया एवं देय ब्याज	1.89	1.68

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से सम्बंधित प्रकटीकरण सम्बंधित आपूर्तिकर्ताओं से उपलब्ध जानकारी तक सीमित है।

(ग) अन्य वित्तीय देनदारियां

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
गैर–वर्तमान		
ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए देयता	1199.50	897.87
	1199.50	897.87
वर्तमान		
ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए देयता	36341.36	41,568.75
कर्मचारी और एसीईएस के लिए देयता	5582.68	7,110.08
सरकारी संस्थाओं के लिए को देयता (देखें टिप्पणी (i) और (ii))	6212.39	11,600.77
अन्य खर्चों के लिए देयता	491.63	407.19
	48628.06	60,686.79

टिप्पणी:

i वर्ष 1996 में कंपनी ने बंद तुरामडीह परियोजना की परिसंपत्तियों को रू.2322.00 लाख की विचार राशि पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) को हस्तांतरित कर दिया था। तुरामडीह खदान के फिर से चालू होने पर परिसंपत्ति वापस ले ली गई है। सीआरपीएफ द्वारा रू.3467.00 लाख के कुल दावे के मुकाबले रू.2500.00 लाख का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और वर्ष के दौरान 447.00 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। शेष 520.00 लाख रुपये अंतिम निपटान लंबित खातों में उपलब्ध कराए गए हैं।

ii कंपनी बंद तुरामडीह खदान की रू.1110.60 लाख (31.03.2021: रू.1110.60 लाख) मूल्य की भूमि एव अन्य परिसंपत्तियों का उपयोग कर रही है, जो भारत सरकार से संबंधित हैं। भारत सरकार द्वारा संचित मूल्य के आधार पर रू.1110.60 लाख (31.03.2021: रू.1110.60 लाख) का प्रावधान लेखा में किया गया है।

17. प्रावधान

विवरण	31 मार्च 2022		31 मार्च 2021	
	गैर-वर्तमान	वर्तमान	गैर-वर्तमान	वर्तमान
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	–	539.33	–	–
– ग्रेच्युटी	10,733.30	458.85	10,110.66	327.79
– अवकाश नकदीकरण	4138.84	70.89	1,979.98	40.20
– सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	–	–	–	–
– छुट्टी यात्रा रियायत	14871.94	869.57	12,090.64	367.99
अन्य के लिए प्रावधान	959.24	–	888.18	–
– खादान बंदी दायित्व	–	–	–	–
– सीआईएसएफ बकाया	–	6.63	–	6.63
– अन्य	959.24	6.63	888.18	6.63
कुल प्रावधान	15831.18	876.30	12,978.82	374.62

नोटः कामगारों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ 2021–22 में शुरू किया गया है।

18. वर्तमान कर देयता (शुद्ध)

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
कराधान के लिए प्रावधान	22635.58	18,351.81
घटाएं : कराधान के लिए अग्रिम	24135.13	6,459.50
वर्तमान कर परिसंपत्तियां / (देनदारियां)	–1499.55	11,892.31

19. आस्थगित कर देयता (शुद्ध)

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
आस्थगित कर देयता	13024.96	14075.00
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियों	0.47	0.58
पूर्वदत्त व्यय	112.85	124.25
अप्रचलित स्टोर के लिए प्रावधान	2318.83	2,617.82
अवकाश नकदीकरण के लिए देयता	1059.45	508.44
सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ के लिए प्रावधान	241.42	223.54
खदान बंदी दायित्व के लिए प्रावधान	4233.02	3474.64
आस्थगित कर देयता (शुद्ध)	8791.92	10,600.36

20. अन्य वर्तमान देयताए

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
केपीएम परियोजना के लिए भारत सरकार से सहायता अनुदान (टिप्पणी i और ii देखें)	754.45	754.45
गोगी और रोहिल परियोजना के लिए एएमडी से प्राप्त धन (टिप्पणी iii और iv देखें)	733.34	983.91
सरकारी संस्थानों के लिए देयता	2.44	2.81
कर्मचारी एवं एसीईएस के लिए देयता	940.70	2,092.92
वैधानिक बकाया	766.04	1,298.64
	3196.97	5,132.73

टिप्पणी:

i. केलेंग पेंडेंग सोहियोंग माउथाबा खनन और मिलिंग परियोजना मेघालय में कार्यान्वयन की सुगमता हेतु बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत सरकार से रु 4000 लाख (31.03.2021 : रु 4000 लाख) की अनुदान सहायता राशि प्राप्त हुई। रु 4000 लाख की कुल राशि में से रु 3322.03 लाख (31.03.2020 : 3322.03 लाख रुपये) की राशि 31.03.2022 तक केएचएडीसी को जारी कर दी गयी थी।

ii. अनुदान सहायता की बाकी राशि में उस पर अर्जित संचयी ब्याज की रु 76.49 लाख राशि (31.03.2021 : रु 76.49 लाख) शामिल है।

iii. राजस्थान के सीकर जिले में रोहिल यूरेनियम निक्षेप में परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय द्वारा अन्वेषण किया जा रहा है। रोहिल में खोजपूर्ण खनन कार्य के लिए एएमडी ने यूसीआईएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यूसीआईएल एजेंट के रूप में काम करेगा और स्वामित्व एएमडी के पास रहेगा। एएमडी से प्राप्त निधि को किए गए कार्य और शेष के साथ समायोजित किया जाता है, यदि ऐसा कोई शेष लेखा बही में देयता के रूप में दिखाया गया हो।

iv. कर्नाटक के गुलबर्ग जिले में गोगी परियोजना के लिए खोजपूर्ण खनन द्वारा पूर्वेक्षण संचालन कार्य हेतु परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) और यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) के बीच दिनांक 06.03.2007 को एक समझौता ज्ञापन किया गया था, जिसके लिए एएमडी द्वारा धन उपलब्ध कराया गया था। यूसीआईएल एजेंट के रूप में काम करेगा और स्वामित्व एएमडी के पास रहेगा। एएमडी से प्राप्त निधि को किए गए कार्य और शेष के साथ समायोजित किया जाता है, यदि ऐसा कोई शेष लेखा बही में देयता के रूप में दिखाया गया हो।

21. परिचालन से राजस्व

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार द्वारा यूरेनियम सांद्रता के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए मुआवजा		
क) चालू वर्ष के लिए	230468.61	2,14,987.46
ख) पिछले वर्ष के लिए	26096.45	14,962.32
	256560.06	2,29,949.78
अन्य परिचालन राजस्व		
गौण–उत्पादों की बिक्री	616.15	403.34
	257176.21	2,30,353.12

वर्ष 2018–19 के लिए यूरेनियम सांद्रण के लिए मुआवजे की दर को परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अंतिम रूप दिया गया है। हालांकि, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019–20 और 2020–21 के लिए यूरेनियम सांद्रण के मुआवजे की अंतिम रूप से निर्धारित की गई है। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा वर्ष 2021–22 के लिए यूरेनियम कंसंट्रेट के मुआवजे की दर को अंतिम रूप दिए जाने तक, संचालन से राजस्व निर्धारित करने के लिए वर्ष 2020–21 के लिए यूरेनियम सांद्रता के मुआवजे की दर बोर्ड के संकल्प के अनुसार विचार की गई है। कोई अंतर होने पर दर के अंतिम रूप में इसकी गणना की जायेगी। पहले के वर्षों के मुआवजे को ऊपर दिखाया गया है।

22. अन्य आय

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
बैंकों में जमा राशि पर ब्याज	2054.83	1,671.58
आयकर रिफंड पर ब्याज	–	–
अन्य पर ब्याज	177.02	160.24
कबाड़ सामग्री की बिक्री	155.30	187.49
उपकरणों और वाहनों का किराया शुल्क	0.96	0.84
आपूर्तिकर्ताओं से पैकिंग संशोधन भाड़ा दंड आदि से संबंधित वसूली	299.09	165.65
निविदा प्रपत्रों की बिक्री	0.78	1.00
देयताएं और प्रावधान जो अब अनावश्यक हो चुके है	1088.48	2,289.81
टाउनशिप रसीद	454.05	381.05
विविध रसीद	115.30	79.46
	4295.81	4,937.12

23(क). खपत सामग्री की लागत

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
कच्चे माल का आरंभिक भंडार	1636.35	1,475.88
जोड़ें : खरीद	17386.08	15,538.29
घटाएं : कच्चे माल का अंतिम भंडार	2191.09	1,636.35
कच्चे माल की खपत	16831.34	15,377.82

23(ख). तैयार माल और प्रगतिधीन कार्य की सूची (इन्वेंटरी) में परिवर्तन

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
वर्ष के आरंभ में मालसूची (इन्वेंटरी)	–	947.38
– तैयार माल	4758.49	6,241.75
– अयस्क	9.65	14.57
– गौण–उत्पाद	10139.93	9,693.94
– प्रगतिधीन कार्य	119.18	273.78
– रद्दी माल	15827.25	17,171.42
कमः वर्ष के अंत में माल सूची	–	–
– तैयार माल	3601.40	4,758.49
– अयस्क	21.45	9.65
– गौण–उत्पाद	10081.77	10,139.93
– प्रगतिधीन कार	119.18	119.18
– रद्दी माल	13998.68	15,027.25
माल सूची में कुल (वृद्धि) / कमी	1028.57	2,144.17

24. कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
वेतन मजदूरी और भत	49316.33	46,322.14
भविष्य निधि में योगदान	4163.78	4,097.16
ग्रेच्युटी निधि में योगदान	903.95	1,029.97
कल्याण कोष में योगदान	4.19	3.13
सेवानिवृत्ति निधि में योगदान	229.81	244.25
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	1140.36	213.23
एलटीसी व्यय	1.01	1.17
कर्मचारी कल्याण व्यय	774.00	433.23
चिकित्सा व्यय	–2209.37	1,714.79
	58742.60	**54,059.07**

वेतन और मजदूरी सहित अन्य लाभ रु. 552.88 लाख (2020–21: रु. 563.38 लाख) पानी की लागत से संबंधित हैं, जिसमें वेतन और मजदूरी और अन्य लाभ शामिल नहीं हैं।

25. वित्त लागत

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
अन्य संस्था से ऋण पर ब्याज		–
बैंक ब्याज	–	–
खदान बंदी दायित्व के लिए छूट का मोचन	71.05	68.07
	71.05	68.07

26. मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
संपत्ति संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास (टिप्पणी 3)	21005.13	20,308.46
अमूर्त संपत्ति पर परिशोधन (टिप्पणी 5)	1813.93	2,390.16
घटाएं : परियोजनाओं पर अप्रत्यक्ष व्यय	–3.83	–3.89
	22,815.23	22,694.73

27. अन्य व्यय

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
संविदात्मक खान विकास व्यय	6212.79	4,222.09
तुम्मालपल्ली संविदात्मक खनन व्यय	13546.35	16,734.16
स्टोर और पुर्जों का उपभोग	12243.75	9,673.45
बिजली और ईंधन	13300.67	13,184.33
जल प्रभार	1246.12	1,204.40
रॉयल्टी	6703.04	5,924.31
परिवहन व्यय	703.10	726.11
मरम्मत और रखरखाव: (टिप्पणी 'क' देखें)		
– संयंत्र एवं मशीन	13215.24	11,800.32
– अन्य इमारते	848.36	2,593.85
माल ढुलाई और अग्रेषण शुल्क	1813.79	1,049.55
अप्रचलित स्टोर प्रावधान	444.80	121.33
दरें और कर	16.27	12.86
सुरक्षा खर्च	31.84	66.75
बीमा	7308.45	7,766.47
विज्ञापन	54.84	12.30
यात्रा और वाहन	93.42	316.04
वाहन किराया शुल्क	128.56	104.45
संचार लागत	1715.72	938.73
छपाई और लेखन सामग्री	73.63	79.62
परामर्श शुल्क	51.54	79.44
लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक (टिप्पणी 'ख' देखें)	1459.16	433.23
विधिक और पेशेवर शुल्क	6.01	5.18
सीएसआर व्यय (नोट 'ग' देखें)	16.49	3.84
जीएसटी व्यय	1294.08	746.65
टाउनशिप और सामाजिक सुविधाओं का व्यय	35.54	79.18
परियोजनाओं के बंद होने पर नुकसान	241.18	221.51
विविध व्यय	162.65	–
	468.20	525.50
	84235.59	78,625.65

टिप्पणी:

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
क) मरम्मत और रखरखाव में शामिल हैं :–		
– स्टोरध्भंडारण का उपभोग	2800.76	2,521.76
– पुर्जों का उपभोग	10499.71	9,081.35

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
ख) लेखा परीक्षकों को भुगतान का विवरण	4.59	3.76
– लेखा परीक्षा शुल्क	0.83	0.83
– कर लेखा परीक्षा	0.59	0.59
	6.01	5.18

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
ग) कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय	161272.87	1,11,564.61
वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर खर्च किए जाने वाली व्यय राशि और वित्तीय विवरण इस प्रकार है:–	53757.62	37,188.20
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों का कुल शुद्ध लाभ	2.00:	2.00:
शुद्ध लाभ का औसत	1075.15	743.76
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत सीएसआर गतिविधियों के लिए निर्धारित प्रतिशत	1294.08	746.65
वित्त वर्ष 2021–22 के लिए सीएसआर गतिविधियों के लिए खर्च की जाने वाली राशि	218.93	2.89
वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर वास्तविक व्यय राशि	80.45	61.96
अधिशेष / (कमी)	207.17	59.84
वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:	287.66	121.80
(i) किसी परिसपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण – नकद रूप में		
– अभी नकद में भुगतान किया जाना है	999.45	384.03
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा – नकद रूप में	6.97	240.81
– अभी नकद में भुगतान किया जाना है	1006.42	624.84
	1294.08	746.64

यूसीआईएल की सीएसआर पहल शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, विकास परियोजनाओं, कौशल विकास, खेल और संस्कृति को बढ़ावा देने और अन्य गतिविधियों के क्षेत्र में कंपनी के संचालन के क्षेत्र के समग्र सामाजिक आर्थिक संकेतकों में सुधार करने के लक्ष्य के साथ निम्नलिखित व्यापक विषयों पर केंद्रित है।

28. आयकर व्यय

लाभ और हानि के विवरण में मान्य कर व्यय

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
वर्तमान कर	21598.06	17,018.33
वर्ष के लिए कर योग्य आय पर कर	–	–
पहले के वर्षों से संबंधित कर	21598.06	17,018.33
आस्थगित कर	–1522.43	–879.30
आस्थगित कर प्रभार / (क्रेडिट)	–	–
मैट क्रेडिट (लिया गया) / उपयोग किया गया	–1522.43	–879.30
कुल आस्थगित आयकर व्यय / (लाभ)	20075.63	16139.03
कुल आयकर व्यय		

आय कर से पहले लाभ पर वैधानिक आयकर दर को लागू करके गणना की गई राशि के लिए आयकर व्यय का सारांश नीचे दिया गया है'

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
भारत में आयकर की अधिनियमित दर	25.17%	25.17%
कर से पूर्वलाभ	77747.64	62,320.73
भारत में लागू आयकर दर के अनुसार कर से पूर्वलाभ पर वर्तमान कर व्यय	19567.53	15,634.88
भुगतान के आधार पर अनुमति दिए गए आइटम	141.40	265.79
उन राशियों का कर प्रभाव जो कर योग्य आय की गणना में कटौती योग्य/(कर योग्य) नहीं है	366.70	188.42
पहले के वर्षों से संबंधित कर	–	–
कुल आयकर व्यय / (क्रेडिट)	20075.63	16,139.03

धारा 115बीएए, आयकर अधिनियम 1961, वित्त अधिनियम 2020 के अनुसार, वर्ष 2020–21 के लिए लागू कर की दर 25.17% (2020–21 : 25. 17%) है। प्रभावी कर की दर 25.17% (2018–19 : 25.17%) है।

आस्थगित कर (देयता) / परिसंपत्तियों में संचलन

विवरण	पीपीई	कर्मचारी लाभ	अप्रचलित स्टोर	अन्य वस्तुए	मैट क्रेडिट	कुल
01 अप्रैल 2020	(14594.86)	2883.06	129.25	208.79	–	(11477.56)
प्रभारित / (क्रेडिट) :						
– लाभ या हानि	619.56	245.29	(0.98)	15.33	–	879.30
– अन्य व्यापक आय						
31 मार्च 2021	–	(2.09)	–	–	–	(2.09)
प्रभारित / (क्रेडिट) :						
– लाभ या हानि	(14,075.00)	3126.26	124.27	224.12	–	(10600.35)
– अन्य व्यापक आय	1050.04	466.02	(11.42)	17.77	–	1522.41
31 मार्च 2022	–	286.00	–	–	–	286.00
	(13024.96)	3878.28	112.85	241.89	–	(8791.94)

29. प्रति शेयर आय

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	57672.01	46181.70
बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	20945178	20867011
प्रति शेयर बेसिक और डाइल्यूटेड आय (रु.) (प्रति शेयर रु.1000 का अकित) मूल्य	275.33	221.31

30. कर्मचारी लाभ दायित्व

क) परिभाषित अंशदायी योजना

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान	4168.78	4,097.16
सेनानिवृत्ति निधि में योगदान	229.61	244.25

ख) परिभाषित लाभ योजनाए

विवरण	31 मार्च 2022		31 मार्च 2021	
	वर्तमान	गैर वर्तमान	वर्तमान	गैर वर्तमान
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	70.89	4138.64	40.20	1979.98
ग्रेच्युटी	–	1826.83	–	–2166.76
अवकाश नकदीकरण	397.34	10122.08	327.79	9499.09

30. कर्मचारी लाभ दायित्व

I. सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना

कंपनी अपने सेवानिवृत्त कार्मिकों को सेवानिवृत्ति पश्चात स्वास्थ्य देखभाल का लाभ प्रदान करती है। इन लाभों के लिए पात्रता की शर्त आमतौर पर कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहना और न्यूनतम सेवा अवधि का पूरा करना होती है। इन लाभों की अपेक्षित लागतों को नियोजन की अवधि में उसी लेखांकन पद्धति का उपयोग करके उपार्जित किया जाता है जैसा कि परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए उपयोग किया जाता है। अनुभव समायोजन से उत्पन्न होने वाले पुनर्मापित लाभों और हानियों तथा बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन को अन्य व्यापक आय में उसी अवधि में प्रभारित या क्रेडिट किया जाता है जिस अवधि में वे उत्पन्न होते हैं।

क. तुलन-पत्र में मान्य की गयी राशि

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
योजना देनदारियों का वर्तमान मूल्य	4209.53	2,020.18
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–	–
शुद्ध देयता / (परिसंपत्ति)	4209.53	2,020.18

ख. योजना परिसंपत्तियों और योजना देनदारियों में संचलन

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
1 अप्रैल को	2,020.18	1,883.64
पिछली सेवा लागत	732.84	–
वर्तमान सेवा लागत	270.68	89.32
शुद्ध ब्याज	132.57	123.91
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशि को छोड़कर)	1136.09	213.23
निम्नलिखित में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ) / हानि	352.49	–
–जनसांख्यिकीय मान्यताएं	–337.57	–
– वित्तीय मान्यताए	1121.46	–8.30
– अनुभव समायोजन	1136.38	–8.30
भुगतान किए गए लाभ	–83.12	–68.39
	4209.53	2,020.18

ग. लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्य की गयी राशि

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
पिछली सेवा लागत	732.84	89.32
वर्तमान सेवा लागत	270.68	123.91
शुद्ध ब्याज	132.57	
	1136.09	213.23
कर से पहले लाभ / हानि पर शुद्ध प्रभाव	1136.09	213.23
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता का पुनर्मापन		
मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ) / हानि	1136.38	–8.30
कर से पहले अन्य व्यापक आय में मान्य शुद्ध (लाभ) / हानि	1133.33	–8.30

घ. मान्यताएं।

तुलन–पत्र की तारीख के अनुसार मुख्य बीमांकिक धारणाएँ:

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
छूट की दर (%)	7.20%	6.70%
पेंशन वृद्धि की दर	6.00%	6.00%

ङ. संवेदनशीलता

भारित प्रमुख मान्यताओं में परिवर्तन के लिए परिभाषित दायित्व की संवेदनशीलता निम्नलिखित है:

विवरण	31 मार्च 2022			31 मार्च 2021		
	मान्यता में परिवर्तन	दर बढ़ने पर डीबीओ पर प्रभाव	दर घटने पर डीबीओ पर प्रभाव	मान्यता में परिवर्तन	दर बढ़ने पर डीबीओ पर प्रभाव	दर घटने पर डीबीओ पर प्रभाव
छूट की दर (अधिकारियों)	1.00%	(330.09)	727.38			
छूट की दर (कर्मचारियों)	1.00%	(190.08)	260.45	1.00%	(333.76)	440.84
चिकित्सा वृद्धि दर(अधिकारियों)	1.00%	712.74	(348.95)			(331.63)
चिकित्सा वृद्धि दर(कर्मचारियों)	1.00%	256.26	(190.53)	1.00%	429.51	

उपर्युक्त के संवेदनशीलता विश्लेषण को उस विधि के आधार पर निर्धारित किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली प्रमुख मान्यताओं में उचित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव का बहिर्वेशन (एक्सट्रपलेशन) करनी है।

च. परिपक्वता

परिभाषित लाभ दायित्व निम्नलिखित रूप में परिपक्व होंगे:

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
2022	–	41.52
2023	73.40	47.72
2024	85.40	55.09
2025	99.45	63.70
2026	111.36	581.57
2027 और इसके बाद	1136.30	

परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि 10 वर्ष है ।

30. कर्मचारी लाभ दायित्व

II. अवकाश नकदीकरण

अवकाश नकदीकरण के लिए देयताएं जिस अवधि में कर्मचारियों ने सेवा प्रदान की है उस अवधि के समाप्त होने के बाद 12 महीने के भीतर पूर्णतः से निपटान होने की उम्मीद नहीं है। इसलिए उन्हें अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में किए जाने वाले अपेक्षित भविष्य के भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल का उपयोग करके लाभ को छूट दी जाती है जो संबंधित दायित्व की शर्तों से संबंधित होती है। अनुभव समायोजन के एक परिणाम के रूप में पुनर्मापन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तनों को लाभ और हानि विवरणी में मान्य किया जाता है।

क. तुलन-पत्र में मान्य की गयी राशि

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
योजना देनदारियों का वर्तमान मूल्य	10519.42	9,826.88
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–	–
शुद्ध देयता/ (परिसंपत्ति)	10519.42	9,826.88

ख. योजना परिसंपत्तियों और योजना देनदारियों में संचलन

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
01 अप्रैल को	9826.88	9,113.38
वर्तमान सेवा लागत	1313.96	1,272.30
शुद्ध ब्याज	580.04	551.29
(लाभ) / हानि की तत्काल मान्यता – अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाए	1137.59	660.25
शुद्ध अवकाश नकदीकरण लागत	3031.59	2,483.84
घटाए: राशि IEDC को हस्तांतरित	11.87	11.04
कर से पहले लाभ /हानि पर शुद्ध प्रभाव		
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल राशि को छोड़कर)	3019.72	2,472.80
निम्नलिखित में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ) / हानि	–	–
– जनसांख्यिकीय मान्यताए	–284.80	–
– वित्तीय मान्यताए	1822.39	660.25
– अनुभव समायोजन	–1137.59	–660.25
(लाभ) / हानि की तत्काल मान्यता – अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजना	–	–
अन्य व्यापक आय में मान्य शुद्ध लाभ	–2339.05	–1770.34
भुगतान किए गए लाभ		
31 मार्च तक	10519.42	9,826.88

ग. मान्यताए

तुलन–पत्र की तारीख के अनुसार मुख्य बीमांकिक धारणाएँ:

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
छूट की दर (%)	7.00%	6.70%
वेतन वृद्धि दर	5.00%	5.00%

घ. संवेदनशीलता

भारित प्रमुख मान्यताओं में परिवर्तन के लिए परिभाषित दायित्व की संवेदनशीलता निम्नलिखित है:

विवरण	31 मार्च 2022			31 मार्च 2021		
	मान्यता में परिवर्तन	दर बढ़ने पर डीबीओ पर प्रभाव	दर घटने पर डीबीओ पर प्रभाव	मान्यता में परिवर्तन	दर बढ़ने पर डीबीओ पर प्रभाव	दर घटने पर डीबीओ पर प्रभाव
छूट की दर	1.00%	(861.60)	1,009.09	1.00%	(884.65)	1000.62
वेतन वृद्धि दर	1.00%	1,013.58	(334.85)	1.00%	1008.04	(875.32)

उपर्युक्त के संवेदनशीलता विश्लेषण को उस विधि के आधार पर निर्धारित किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली प्रमुख मान्यताओं में उचित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव का बहिर्वेशन (एक्सट्रपलेशन) करनी है।

ङ. परिपक्वता

परिभाषित लाभ दायित्व निम्नलिखित रूप में परिपक्व होंगे:

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
2022	–	338.59
2023	411.01	700.96
2024	964.47	982.64
2025	1129.39	1,107.60
2026	1234.35	9,175.14
2027 और उसके बाद	10040.59	

परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि 10 वर्ष है।

30. कर्मचारी लाभ दायित्व

III. ग्रेच्युटी

कंपनी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार भारत में कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी का प्रावधान है। 5 साल की अवधि तक निरंतर सेवा में रहने वाले कर्मचारी ग्रेच्युटी के लिए पात्र हैं। सेवानिवृत्ति / समाप्ति पर देय ग्रेच्युटी की राशि की गणना कर्मचारियों द्वारा अतिम माह में आहरित मूल वेतन के आधार पर आनुपातिक रुप से सेवा के कुल वर्षों की संख्या में 15 दिनों के वेतन से गुणा करके की जाती है। ग्रेच्युटी योजना एक वित्त पोषित योजना है और कंपनी भारत में मान्यता प्राप्त फंडों में योगदान करती है।

क. तुलन-पत्र में मान्य की गयी राशि

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
वित्त पोषित योजना देनदारियों का वर्तमान मूल्य	29456.23	26,695.62
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	30283.06	28,862.38
शुद्ध देयता / (संपत्ति)	−1926.83	−2,156.76

ख. योजना परिसंपत्तियों और योजना देनदारियों में संचलन

विवरण	31 मार्च 2022			31 मार्च 2021		
	योजना देयताए	योजना परिसंपत्तियों	शुद्ध (देयता-परिसंपत्तियों)	योजना देयताए	योजना परिसंपत्तियों	शुद्ध (देयता-परिसंपत्तियों)
1 अप्रैल को	26695.62	28862.38	−2166.76	25399.66	24362.17	1231.49
वर्तमान सेवा लागत	1063.68	1874.96	1063.68	1075.75	–	1075.75
ब्याज व्यय / आय	1729.79		−145.17	1658.67	1689.23	−30.56
विगत सेवा लागत –	**2,798.47**	**1,874.96**	**918.51**	**2734.42**	**1689.23**	**1045.19**
योजना में संशोधन	–	–	–	–	–	–
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	–	1,301.55	−1301.55	–	1110.67	−1110.67
(शुद्ध ब्याज व्यय में शामिल		–	–	–	–	–
राशि को छोड़कर)		–	–			–
निम्नलिखित में परिवर्तन से	−654.37	–	−634.37	–	–	–
उत्पन्न बीमांकिक (लाभ) / हानि	137.34		137.34	42.45	–	42.45
– जनसांख्यिकीय मान्यताए						
– वित्तीय मान्यताए	**-517.03**	**1,301.55**	**-1818.58**	**42.45**	**-1110.67**	**1068.22**
– अनुभव समायोजन	−1755.83	−1755.83	–	−1674.91	−1674.91	–
भुगतान किए गए लाभ	–	–	0.00	–	3375.22	3375.22
नियोक्ता का योगदान	**27,216.23**	**30,283.06**	**-2,066.83**	**26695.62**	**28862.38**	**-2166.76**
31 मार्च तक						

ग. कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त राशि

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
वर्तमान सेवा लागत	1063.68	1,075.75
विगत सेवा लागत	–	–
शुद्ध ब्याज	−145.17	−30.56
घटाए: राशि IEDC को हस्तांतरित	918.51	1,045.19
कर से पहले लाभ / हानि पर शुद्ध प्रभाव	1.47	
पुन दृ शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व की माप		3.98
एक्ट्युरियल (लाभ) / मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न हानि	917.04	1,041.21
घटाए: राशि IEDC को हस्तांतरित		
कर से पहले अन्य व्यापक आय में शुद्ध (लाभ) / हानि को मान्यता दी गई	−578.58	−1068.22
	–	
	−578.58	−1068.22

घ. योजना परिसंपत्तियों के निवेश का विवरण

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
भारत सरकार की प्रतिभूति	–	–
ii. कॉरपोरेट बॉन्ड	–	–
iii. विशेष जमा योजना	–	–
iv. अन्य (भारतीय जीवन निगम)	100.00%	100.00%
	100.00%	100.00%

ङ. मान्यताए

तुलन–पत्र की तारीख के अनुसार मुख्य बीमांकिक धारणाएँ :

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
छूट की दर (%)	7.00%	6.70%
वेतन वृद्धि दर	5.00%	5.00%

30. कर्मचारी लाभ दायित्व

III. ग्रेच्युटी

च. संवेदनशीलता

भारित प्रमुख मान्यताओं में परिवर्तन के लिए परिभाषित दायित्व की संवेदनशीलता निम्नलिखित हैं:

विवरण	31 मार्च 2022			31 मार्च 2021		
	धारणा में परिवर्तन	दर बढ़ने पर डीबीओ पर प्रभाव	दर घटने पर डीबीओ पर प्रभाव	धारणा में परिवर्तन	दर बढ़ने पर डीबीओ पर प्रभाव	दर घटने पर डीबीओ पर प्रभाव
छूट की दर	1.00%	(2001.12)	2,290.58	1.00%	(1,968.90)	2,258.16
वेतन वृद्धि दर	1.00%	1,499.10	(1,529.70)	1.00%	1,691.79	(1,689.56)

उपर्युक्त के संवेदनशीलता विश्लेषण को उस विधि के आधार पर निर्धारित किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली प्रमुख मान्यताओं में उचित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्वों पर प्रभाव का बहिर्वेशन (एक्सट्रपलेशन) करनी है।

छ. परिपक्वता

परिभाषित लाभ दायित्वों के रूप में परिपक्व होगा:

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
2022	–	1,114.94
2023	1482.21	2,019.24
2024	2598.90	2,551.84
2025	2704.26	2,621.59
20256	3179.27	18,531.83
2027 और उसके बाद	19017.25	

परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि 10 वर्ष है।

31. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताए

विवरण				31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
क. ऋण के रूप में न स्वीकार किया गया दावा				1,855.00	1,855.00
– झारखंड बिजली बोर्ड द्वारा ईधन अधिभार का दावा				–	–
– इसकी कटौती और कर देयता के लिए आयकर					
	वर्ष	(राशि लाख में)	लंबित है		
	वित्त वर्ष 2017–18	128.22	सीआईटी (ए)		
	वित्त वर्ष 2018–19	204.70	सीपीसी		
	वित्त वर्ष 2019–20	1681.26	सीपीसी	2014.18	–
– खरकई नहर डिवीजन आदित्यपुर द्वारा खरकई नदी से जल आपूर्ति हेतु दावा किया गया जल शुल्क				1933.00	1,967.00
– अन्य				0.59	0.59
ख. अनपेक्षित शाख–पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट)				–	–
ग. पूँजी खाते (अग्रिमों का शुद्ध) पर निष्पादित होने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि				378861.96	4,290.67

विभिन्न अदालतों में सेवा मामलों सहित अन्य मामले लंबित हैं जिनके मुकाबले लेखा में कोई प्रावधान नहीं किया गया है /आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट नहीं किया गया है क्योंकि इस स्तर पर वे मात्रात्मक मापम योग्य नहीं है।

32. सम्बंधित पक्ष प्रकटीकरण

I. संबंधित पक्षों का नाम और संबंध का विवरण:

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

क. पूरे समय के निर्देशक

श्री सी के असनानी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री देबाशीष घोष, निदेशक (वित्त) (31.01.2022 तक)
श्री राजेश कुमार, निदेशक (तकनीकी) (15.06.2021 से प्रभावी)

ख. निदेशक, उनके रिश्तेदारों और उद्यम, जिन पर वे महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालने में सक्षम है

श्री सुखदेव सिंह, आईएएस, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार
श्री एस.आर. सुले, संयुक्त सचिव (आई एंड एम), डीएई
श्री संजय कुमार, संयुक्त सचिव (प्रशासन और लेखा), पऊवि
डॉ. दिनेश श्रीवास्तव, मुख्य कार्यकारी, एनएफसी
डॉ. डी.के. सिन्हा, निदेशक, एएमडी
कर्नल (सेवानिवृत्त) श्री पी.के.पांडा (24.09.2022 से प्रभावी)

ग. कंपनी सचिव

श्री बी.सी. गुप्ता, कंपनी सचिव

II. संबंधित पक्ष लेनदेन

पूरे समय के निदेशकों और कंपनी सचिव का मुआवजा

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
अल्पावधि कर्मचारी लाभ	215.37	215.60
नियोजन पश्चात लाभ	28.61	29.67

33. उचित मूल्य मापन
श्रेणी के अनुसार वित्तीय साधन

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
वित्तीय परिसंपत्तियां		
लाभ / (हानि) के माध्यम से उचित मूल्य	–	–
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	–	–
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मूल्यांकन	128764.81	1,48,886.13
– व्यापार प्राप्य	29741.32	69,806.53
– नकद और बैंक शेष	3676.60	3,717.92
– ऋण	84171.62	8,408.76
– अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	246354.35	2,30,819.34
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		
वित्तीय देयताए	–	–
लाभ / (हानि) के माध्यम से उचित मूल्य		
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	–	–
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों का मूल्यांकन	–	–
– उधारियां	10,207.34	10,125.39
– व्यापार देय	49827.56	61,584.66
– अन्य	60034.90	71,710.05
कुल वित्तीय देयताएं		

उचित मूल्य पदानुक्रम

वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं जिन्हें 31 मार्च 2022 तक परिशोधित लागत पर मापा गया	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
परिसंपत्तियां	–	–	128764.81	128764.81
– व्यापार प्राप्य	–	–	29741.32	29741.32
– नकद और बैंक शेष	–	–	3676.60	3676.60
– ऋण	–	–	84171.62	84171.62
– अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	–	–	246354.35	246354.35
देयताएं	–	–	–	–
– उधारियां	–	–	10207.34	10207.34
– व्यापार देयताए	–	–	49827.56	49827.56
– अन्य	–	–	60034.90	60034.90

33. उचित मूल्य मापन
उचित मूल्य पदानुक्रम

वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं जिन्हें 31 मार्च 2021 तक परिशोधित लागत पर मापा गया	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
परिसंपत्तियां	–	–	1,48,886.13	1,48,886.13
– व्यापार प्राप्य	–	–	69,806.53	69,806.53
– नकद और बैंक शेष	–	–	3,717.92	3,717.92
– ऋण	–	–	8,408.76	8,408.76
– अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	–	–	2,30,819.34	2,30,819.34
	–	–	–	–
देयताएं				
– उधारियां	–	–	10,207.34	10,207.34
– व्यापार देयताएं	–	–	49827.56	49827.56
– अन्य	–	–	60034.90	60034.90

व्यापार प्राप्तियाँ, नकद एवं नकदतुल्यों, व्यापार देय, बैंक जमा उपार्जित ब्याज तथा उस समय की वर्तमान उधारियों की मात्रा उनकी अल्प कालिक प्रवृति के कारण अपने उचित मूल्य के बराबर होती है। दिए गए ऋणों के लिए उचित मूल्य की गणना वर्तमान ऋण दर का उपयोग करके रियायती नकदी प्रवाह के आधार पर की गई थी। अप्रमाणित इनपुट शामिल किए जाने के कारण उन्हें स्तर 3 उचित मूल्य पदान क्रम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

34. वित्तीय जोखिम प्रबंधन
कंपनी का वित्तीय जोखिम प्रबंधन अपनी व्यावसायिक रणनीतियों की योजना बनाने और निष्पादित करने का एक अभिन्न अंग है। कंपनी की गतिविधियों को तरलता जोखिम और ऋण जोखिम के लिए उजागर किया जाता है।

जोखिम	निम्नलिखित से उत्पन्न होने वाला जोखिम	माप	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकद और नकद समतुल्य व्यापार प्राप्य बैंक जमा	आयुवृद्धि विश्लेषण	जमा क्रेडिट सीमा का विविधीकरण
तरलता जोखिम	उधार और अन्य देनदारियां	रोलिंग नकदी प्रवाह पूर्वानुमान	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों और उधार सुविधाओं की उपलब्धता

पूंजी जोखिम प्रबंधन
कंपनी का लक्ष्य अपनी पूजी का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना है ताकि कि एक निरंतर कारोबार को जारी रखने की कंपनी की क्षमता और शेयरधारकों के समुचित प्रतिफल (रिटर्न) को सुरक्षित किया जा सके। कंपनी की नीति कुल इक्विटी पर ध्यान देने के साथ एक स्थिर और मजबूत पूंजी संरचना बनाए रखना है ताकि भविष्य के विकास और अपने व्यवसाय के विकास को बनाए रखने के लिए निवेशक और लेनदारों का विश्वास बनाए रखा जा सके। कंपनी अपनी पूजी संरचना को बनाए रखने या आवश्यक समायोजन करने के लिए उचित कदम उठाएगी।

टिप्पणी- 35

लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणियां

31 मार्च, 2022 को समाप्त लेखा वर्ष के लिए

35.1 परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) की धारा 18 के तहत जारी परमाणु ऊर्जा विभाग के आदेश संख्या 7/6/69-Min दिनांक 7 अगस्त,1973 और आदेश संख्या 7/6/69-Min (PSU) दिनांक 3 जुलाई, 1974 के माध्यम से कंपनी को टर्नओवर, कच्चे माल की खपत से संबंधित मात्रात्मक जानकारी तथा उत्पादित माल के प्रारंभिक एवं अतिम स्टॉक, खरीदी की गई या अधिग्रहित कच्ची सामग्री, लाइसेंस प्राप्त क्षमता, स्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन से संबंधित जानकारी को प्रकाशित करने या उपलब्ध कराने से प्रतिबंधित किया गया है।

हालांकि, वर्ष 2003–04 से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के तहत उच्च स्तर पर नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा परीक्षकों को गोपनीयता समझौते के साथ कंपनी के खातों के सार्थक अकेक्षण के उद्देश्य से दिनांक 9 जुलाई, 2004 के आदेश संख्या 10/8(12)/2004–पीएसयू/448 के माध्यम से कंपनी के संचालन से संबंधित समस्त जानकारी हासिल करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें यह कहा गया है कि यह जानकारी किसी भी अन्य एजेंसी को प्रस्तुत नहीं की जाएगा और ना ही विशेष रूप से किसी अकेक्षण रिपोर्ट में इन आकड़ों का उल्लेख किया जाएगा।

35.2 कंपनी ने तुम्मलापल्ली में 813.412 हेक्टेयर (गत वर्ष 813.412 हेक्टेयर) भूमि, तुरामडीह में 557.18 एकड़ (गत वर्ष : 557.18 एकड़) भूमि, बंदुहुरांग में 686.86 एकड़ (गत वर्ष : 686.86 एकड़) भूमि, बागजाता में 303.14 एकड़ (गत वर्ष : 303.14 एकड़) भूमि, जादूगोड़ा में भाटिन समेत 1312.62 एकड़ (उपयुक्त अधिकारियों के साथ पत्राचार में गत वर्ष : 1312.62 एकड़) भूमि, और मोहुलडीह में 288.20 एकड़ (उपयुक्त अधिकारियों के साथ पत्राचार में गत वर्षः 288.20 एकड) भूमि के लिए खनन पट्टा प्राप्त किया है। 1128.32 एकड़ भूमि के नरवापहाड़ खनन पट्टे क्षेत्र का विस्तार 27.01.2013 से पूर्वव्यापी रूप से संपूर्ण निक्षेप समाप्त होने तक, और गोगी परियोजना में 8.62 हेक्टेयर का अधिग्रहण किया गया है।

35.3 कंपनी 1986 से, मोसाबनी, झारखंड में 3 (तीन) एकड़ जमीन का इस्तेमाल कर रही है। झारखंड सरकार द्वारा उठाए गए मांग–पत्र (डिमांड नोट) का भुगतान कर दिया गया है और झारखंड सरकार के साथ लीज हस्तांतरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

35.4 परियोजना पूर्व/चालू परियोजना पर व्यय :–

परियोजना पूर्व व्यय :-

(क) लांबापुर परियोजना (रु. 938.96.96 लाख) :

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) और खान और भूविज्ञान विभाग, तेलंगाना सरकार से क्रमशः स्थापना के लिए सहमति (सीएफई) और खनन पट्टे के अनुदान की प्रतीक्षा है।

ख) के.पी.एम. परियोजना (रु. 1004.76 लाख):

परमाणु ऊर्जा विभाग के निर्देश के बाद, शिलांग में यूसीआईएल का कार्यालय बंद है और परियोजना संबंधी

अचल संपत्ति के मालिकाना हक कंपनी के नाम पर नहीं हैं

बैलेंस शीट में प्रासंगिक लाइन आइटम	संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य (रु.लाख में)	के नाम मालिकाना हक	क्या मालिकाना हकदार एक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/ निदेशक के रिश्तेदार हैं या प्रमोटर/ निदेशक के कर्मचारी हैं	संपत्ति किस तारीख से है	कंपनी के नाम पर नहीं होने का कारण
पीपीई	निःशुल्क भूमि/ पट्टे की भूमि	15.85	राज्य सरकार/निजी पार्टियां	नहीं	1986	पंजीकरण प्रक्रियाधीन है

सभी गतिविधियाँ निलंबित हैं।

ग) आंध्र प्रदेश के वाईएसआर जिले में तुम्मलापल्ले विस्तारीकरण परियोजना (रु. 238.15 लाख):

यूसीआईएल ने 3000 टीपीडी से 4500 टीपीडी तक की मौजूदा सुविधा की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए तुम्मलापल्ले परियोजना, आंध्र प्रदेश का विस्तार किया है। परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) 2010 में तैयार की गई थी। ईआईए/ईएमपी अध्ययन किया गया है और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) को सौंप दिया गया।

इसके बाद आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (APPCB) ने 06.01.2021 को पर्यावरण जन सुनवाई के लिए अधिसूचित किया। इस बीच, स्थानीय एनजीओ ने यूसीआईएल की विस्तार गतिविधि को चुनौती देते हुए आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में 29.12.2020 को एक रिट याचिका (पीआईएल) संख्याः 323/2020 दायर की। रिट याचिका के आधार पर, आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने 31.12.2020 को स्टे ऑर्डर जारी किया।

फलस्वरूप, यूसीआईएल ने स्थगन आदेश को रद्द करने के लिए 04.01.2021 को जवाबी हलफनामा दायर किया। दिनांक 16.01.2021 को माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन को खाली करने का आदेश जारी किया और जनसुनवाई करने की अनुमति दी। हालांकि, हमारे अनुरोध पत्र दिनांक 17.05.2021 के जवाब में, एपीपीसीबी ने अपने पत्र संख्याः के–216/पीसीबी/आरओ/केडीपी/2021–48 दिनांक 19.05.2021 के माध्यम से सूचित किया कि COVID-19 महामारी के कारण लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध के कारण जन सुनवाई आयोजित नहीं की जा सकती है। राज्य सरकार से मामले की जांच की जा रही है।

घ) आंध्र प्रदेश के वाईएसआर जिले में कन्नमपल्ले परियोजना (रु. 227.17 लाख) :

मेकॉन को तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार करने और अन्य पूर्व–परियोजना गतिविधियों को करने के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। कन्नमपल्ले जमा की खान पट्टा सीमा का सीमांकन एएमडी को प्रस्तुत करने के लिए खान और भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी), आंध्र प्रदेश सरकार को प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात, एएमडी ने एएमसीआर–2016 के नियम 4(5) (बी) के अनुसार डीएमजी, आंध्र प्रदेश सरकार को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

मेकॉन ने कन्नमपल्ले परियोजना के लिए तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) का मसौदा और विस्तृत परियोजना निष्पादन रिपोर्ट (डीपीईआर) का मसौदा प्रस्तुत किया है। एमओईएफएंडसीसी को टीओआर के लिए आवेदन राज्य सरकार द्वारा (नियम –6 (2), एएमसीआर, 2016 के तहत) आशय पत्र (एलओआई) जारी करने के बाद यूसीआईएल को खनन और भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी), आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

ङ) कर्नाटक के यादगीर जिले में गोगी और कंचनकई परियोजनाएं (रु. 547.49 लाख):

मेकॉन को तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार करने और अन्य पूर्व–परियोजना गतिविधियों को करने के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। गोगी जमा की खान पट्टा सीमा का सीमांकन एएमडी को प्रस्तुत करने के लिए खान और भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी), कर्नाटक सरकार को प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात, एएमडी ने एएमसीआर–2016 के नियम 4(5) (बी) के अनुसार डीएमजी, कर्नाटक सरकार को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

इस बीच, गोगी से सटे कंचनकई में एक नई जमा की खोज एएमडी द्वारा पूरी की गई है। कंचनकई जमा की खान पट्टा सीमा का सीमांकन एएमडी को प्रस्तुत करने के लिए खान और भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी), कर्नाटक सरकार को प्रस्तुत किया गया है। फलस्वरूप, एएमडी ने एएमसीआर–2016 के नियम 4(5) (बी) के अनुसार डीएमजी, कर्नाटक सरकार को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

एक सामान्य अयस्क प्रसंस्करण सुविधा की दृष्टि से, मेकॉन ने कंचनकई परियोजना के लिए तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) का मसौदा प्रस्तुत किया है, जबकि गोगी परियोजना के लिए टीईएफआर का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। खनन और भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी) कर्नाटक द्वारा राज्य सरकार {नियम –6 (2), एएमसीआर, 2016} के तहत, यूसीआईएल को आशय पत्र जारी करने के बाद दोनों परियोजनाओं के लिए एमओईएफएंड सीसी को टीओआर

के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। इन स्थलों पर सीएसआर गतिविधियां जारी हैं।

च) राजस्थान के सीकर जिले में रोहिल अन्वेशी खनन परियोजना (रु. 1706.23 लाख):

राजस्थान के सीकर जिले में रोहिल यूरेनियम निक्षेप का अन्वेषण परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसन्धान निदेशालय (एएमडी) द्वारा किया जा रहा है। एएमडी की ओर से अन्वेशी खनन गतिविधियां, यूसीआईएल और एएमडी के बीच समझौते के अनुसार, एएमडी की ओर से, यूसीआईएल द्वारा शुरू किया गया है। भूमिगत कामकाज तक पहुँचने के लिए एक डिक्लाइन का पोर्टल 188 मीटर तक विकसित किया गया है। बाद में एक चरण में किए जाने वाले वाणिज्यिक खनन अभियान के दौरान आवश्यक औद्योगिक और पीने के पानी की भविष्य की आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए सीकर के नगर परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। परियोजना से संबंधित गतिविधियों को करने के लिए, मेसर्स मेकॉन को सलाहकार के रूप में व्यस्त किया गया है। मेकॉन ने अयस्क निकाय का 3डी मॉडल तैयार किया है और उसने यूसीआईएल द्वारा समीक्षा के लिए तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) का मसौदा प्रस्तुत किया है। एएमडी ने पहले ही भूवैज्ञानिक रिपोर्ट को डीएमजी, राजस्थान को सौंप दिया है। राज्य सरकार द्वारा {नियम –6 (2), एएमसीआर, 2016, के तहत खनन और भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी), राजस्थान द्वारा यूसीआईएल को पत्र जारी करने के बाद एमओईएफ और सीसी को टीओआर के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। खनन पट्टा एवं वन स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। डीएई ने यूसीआईएल को खनन पट्टा (एलओआई) प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश की है।

छ) यूरेनियम प्राप्ति संयंत्र (मुसाबनी) (शून्य) :

यूसीआईएल ने मुसाबनी में 0.9 MTPA की कुल क्षमता वाले दो यूरेनियम रिकवरी प्लांट के निर्माण का प्रस्ताव दिया है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) के मुसाबनी कॉन्सेंट्रेटर प्लांट में उत्पन्न होने वाले कॉपर टेलिंग्स के भौतिक लाभ (टैबलिंग) द्वारा यूरेनियम सांद्रता करने के लिए, इसके बाद यूसीआईएल के जादुगोड़ा के यूरेनियम अयस्क प्रसंस्करण संयंत्र में हीट ट्रीटेड यूरेनियम पेरोक्साइड (HTUP) के उत्पादन के लिए की जाएगी। परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी (ईसी) एमओईएफसीसी द्वारा प्रदान की गई है। परियोजना को परमाणु ऊर्जा विभाग की परियोजना मूल्यांकन समिति (PAC) द्वारा अंतिम अनुमोदन के लिए अनुशंसित किया गया है। पानी, बिजली की आपूर्ति और भूमि के अधिग्रहण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवेदन दिए गए हैं और प्रक्रिया में हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा कॉपर टेलिंग का अनुमानित उत्पादन कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया जिसकी हमारी ओर से जांच की गई है। कॉपर टेलिंग का अनुमानित उत्पादन कार्यक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसकी हमारी ओर से जांच की गई है। उनके हालिया संयंत्र प्रदर्शनों, लंबित वैधानिक मंजूरी और मैसर्स एचसीएल से निर्धारित क्षमता पर टेलिंग की फीड आपूर्ति की अनिश्चितता के कारण, यूसीआईएल ने इस परियोजना के साथ आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है। तदनुसार, पीएसी, पऊवि ने परियोजना को कम समय के लिए बंद करने की सिफारिश की है।

ज) छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में जाजवाल परियोजना (रु. 110.93 लाख):

एएमडी ने छत्तीसगढ़ राज्य में अंबिकापुर के पास प्रस्ताव जाजवल परियोजना के लिए खोजपूर्ण ड्रिलिंग पूरी कर ली है। MECON को टेक्नो–इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट (TEFR) की तैयारी के लिए सलाहकार के रूप में लगाया गया है। एएमडी ने एएमसीआर–2016 के नियम 4(5) (बी) के अनुसार डीएमजी, छत्तीसगढ़ सरकार को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। राज्य सरकार द्वारा {नियम –6 (2), एएमसीआर, 2016,} के तहत खनन और भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी), छत्तीसगढ़ द्वारा यूसीआईएल को पत्र जारी करने के बाद एमओईएफ और सीसी को टीओआर के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। मेकॉन ने तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) और विस्तृत परियोजना निष्पादन रिपोर्ट (डीपीईआर) का मसौदा प्रस्तुत किया है।

झ) झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में गराडीह परियोजना (रु. 27.04 लाख रुपये):

मेकॉन को तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार करने और अन्य पूर्व–परियोजना गतिविधियों को करने के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। एएमसीआर–2016 के नियम

4(5)(बी) के अनुसार भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के साथ खान एवं भूविज्ञान निदेशालय, झारखंड सरकार को प्रस्तुत करने के लिए खनन पट्टा सीमा का सीमांकन एएमडी को प्रस्तुत किया गया है। यूरेनियम खनिजकरण 280–300 मीटर के ऊर्ध्वाधर प्रभाव तक स्थापित किया गया है। आगामी वार्षिक कार्यक्रम 2021–22 के दौरान, एएमडी ने 450–570 मीटर के ऊर्ध्वाधर प्रभाव के लिए खनिजकरण की दृढ़ता को साबित करने के लिए क्षेत्र में खोजपूर्ण ड्रिलिंग करने की योजना बनाई है। एएमडी गहन अन्वेषण ड्रिलिंग के परिणामों के आधार पर झारखंड सरकार को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। राज्य सरकार द्वारा {नियम –6 (2), एएमसीआर, 2016} के तहत खनन और भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी), झारखंड द्वारा यूसीआईएल को पत्र जारी करने के बाद एमओईएफ और सीसी को टीओआर के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। मेकॉन ने तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) और विस्तृत परियोजना निष्पादन रिपोर्ट (डीपीईआर) का मसौदा प्रस्तुत किया है।

झ) झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में बानाडुंगरी परियोजना (शून्य):

मेकॉन को तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार करने और अन्य पूर्व–परियोजना गतिविधियों को करने के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। एएमसीआर–2016 के नियम 4(5) (बी) के अनुसार भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के साथ खान एवं भूविज्ञान निदेशालय, झारखंड सरकार को आगे प्रस्तुत करने के लिए खनन पट्टा सीमा का सीमांकन एएमडी को प्रस्तुत किया गया है। एएमडी ने दिनांक 17.09.2021 को झारखंड सरकार के खान एवं भूविज्ञान निदेशालय को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट सौंप दी है। मेकॉन ने बानाडूंगरी जमा के संबंध में तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) का मसौदा प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार द्वारा {नियम –6 (2), एएमसीआर, 2016} के तहत खनन और भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी), झारखंड द्वारा यूसीआईएल को पत्र जारी करने के बाद एमओईएफ और सीसी को टीओआर के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

चालू परियोजना :

(क) तुरामडीह मिल विस्तार परियोजना (रु. 4624.27 लाख):

हालांकि एमओईएफसीसी ने पर्यावरण मंजूरी के लिए सिफारिश की है, लेकिन चरण–I लंबित होने के कारण पर्यावरण मंजूरी अभी भी प्रतीक्षित है। पर्यावरण मंजूरी मिलने के बाद, एईआरबी मंजूरी के लिए आवेदन जमा किया जाएगा।

(ख) तुरामडीह मैग्नेटाइट रिकवरी प्लांट (रु. 2326.59 लाख):

तुरामडीह और बंदुहुरांग खान के यूरेनियम अयस्क में मैग्नेटाइट खनिज की मात्रा काफी कम होती है। तुरमडीह मैग्नेटाइट रिकवरी प्लांट को उप–उत्पाद के रूप में, कोयला वॉशरियों में इसके उपयोग के लिए चुंबकीय सामग्री और सूक्ष्मता के संदर्भ में बहुत उच्च गुणवत्ता के मैग्नेटाइट के रूप में उत्पादन करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्लांट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वैधानिक मंजूरी का इंतजार है।

(ग) सिंहभूम और तुम्मलापल्ले में डिबॉटलनेकिंग परियोजना (रु. 4448.35 लाख):

तुम्मलापल्ले में पर्यावरणीय निर्वहन की उन्नत गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए मेकॉन द्वारा डिजाइन आधार रिपोर्ट, तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। टीईएफआर के मसौदे की जांच की जा रही है। जादूगोड़ा मिल में मिश्रित निक्षालित घोल को संभालने के लिए सिस्टम संशोधन का काम पूरा हो गया है।

(घ) झारखंड में भूमिगत खानों का आधुनिकीकरण (रु. 105.31 लाख):

भू–खनन की बदलती स्थिति, विकसित हो रहे भूमिगत खनन लेआउट और खनन उपकरणों की बिगड़ती स्थितियों को देखते हुए, भूमिगत खदानों के निष्पादन को बनाए रखने और सुधारने के लिए एक कार्य योजना बनाई गई है। इसलिए, इस परियोजना को झारखंड में ट्रैकलेस भूमिगत खानों में अगले पांच वर्षों के लिए उत्पादन के वर्तमान स्तर को बनाए रखने के लिए नए उपकरणों की खरीद के साथ–साथ मौजूदा उपकरणों के ओवरहालिंग के माध्यम से नवीनतम उपलब्ध मशीनीकरण/प्रौद्योगिकी के उन्नयन और अपनाने के लिए लिया गया है। इस परियोजना में नए उपकरणों की खरीद और चल रहे उपकरणों की ओवरहालिंग शामिल है। उपकरणों की मरम्मत की प्रक्रिया चल रही है। नए उत्पादन उपकरणों की खरीद के लिए खरीद आदेश दिया गया है।

35.5 लेनदारों, देनदारों की शेष राशि और ठेकेदारों तथा आपूर्तिकर्ताओं का अग्रिम, समाधान, पुष्टीकरण और संबंधित परिणामी समायोजन के अधीन है, यदि कोई हो तो।

35.6 आतंरिक और बाहरी कारकों के मूल्यांकन के आधार पर, परिसंपत्तियों के मिलान के लिए किसी भी तुलनात्मक प्रावधान का विचार आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि परिसंपत्तियों का वास्तविक मूल्य परिसंपत्तियों की वहन लागत से अधिक है।

35.7 कंपनी कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 (ईपीएफ एक्ट) के अंतर्गत नहीं आती है, परंतु कंपनी 1967 से एक न्यास के माध्यम से भविष्य निधि का प्रबंधन करती है, जिसके अपने स्वयं के नियम हैं और इसे क्षेत्रीय प्रोविडेंट फंड आयुक्त (आरपीएफसी), पटना एवं आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया गया है। तथापि, आरपीएफसी, जमशेदपुर ने अपनी सूचना दिनांक 01.01. 1997 द्वारा दावा किया है कि कंपनी ईपीएफ अधिनियम 1952 के अंतर्गत आती है और कंपनी को 1967 से बकाया पीएफ तथा 1997 से परिवार पेंशन अंशदान जमा करने के लिए कहा है। कंपनी ने दावे पर आपत्ति जताई है और इस पर अपील दायर की है जो वर्तमान में सीजीआईटी, धनबाद के पास लंबित है। चूकि कंपनी ईपीएफ एक्ट 1952 के तहत प्रदत्त अंशदान के बराबर ट्रस्ट के लिए पीएफ का भुगतान करती है, अतः कोई अतिरिक्त वित्तीय दायित्व सीजीआईटी, धनबाद के समक्ष अपील लंबित होने का कारण नहीं बनता है।

35.8 तुलन–पत्र तिथि पर कार्य दायित्व अभियंता प्रमाण पत्र के अनुसार दी गई है। अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन अभियंता प्रमाण पत्र के अनुसार बिलों के लंबित अंतिम निपटान का उपयोग करने के लिए लगाई गई संपत्ति के मामले में पूंजीकरण अंतिम आधार पर किया जाता है।

35.9 वित्तीय वर्ष 2012–2013 में मेसर्स एनपीसीआईएल से 100 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया था। वित्तीय वर्ष 2019–2020 के दौरान मेसर्स एनपीसीआईएल को 100 करोड़ रुपये की मूल राशि चुका दी गई थी। वर्ष के दौरान ऋण पर ब्याज का भुगतान ऋण लेने की तिथि से मेसर्स एनपीसीआईएल को कर दिया गया है।

35.10 बगजाता खनन परियोजना के लिए 375 मीटर गहराई वाले वर्टिकल शाफ्ट की डिजाइनिंग, सिंकिंग, लाइनिंग और लैस करने का कार्य मेसर्स माहेश्वरी एंटरप्राइजेज एंड अंबिका एंटरप्राइजेज (जेवी) को कुल 24.76 करोड़ रुपये की लागत से प्रदान किया गया था। चूंकि, ठेकेदार ने काम को पूरा किए बिना साइट छोड़ दी, कंपनी जोखिम और लागत के लिए 103.47 करोड़ रुपये की वसूली और उत्पादन के नुकसान के दावे के लिए विवाचन की है। ठेकेदार आर्बिट्रेटर की नियुक्ति के संबंध में वाणिज्यिक न्यायालय रांची गया। अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। उक्त के आधार पर मैसर्स यूसीआईएल ने माननीय उच्च न्यायालय झारखंड, रांची के समक्ष अपील की है। मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है।

35.11 मोहुलडीह खदान में 283 मीटर वर्टिकल शाफ्ट सिंकिंग और इसके उपकरण का काम मेसर्स माहेश्वरी एंटरप्राइजेज एंड अंबिका एंटरप्राइजेज (जेवी) को कुल 18.63 करोड़ रुपये की लागत से दिया गया था। चूंकि, ठेकेदार ने काम को पूरा किए बिना साइट छोड़ दी, कंपनी जोखिम और लागत के लिए 102.42 करोड़ रुपये की वसूली और उत्पादन के नुकसान के दावे के लिए विवाचन की है। मध्यस्थता की कार्यवाही मध्यस्थ के पास लंबित है।

35.12 परमाणु ऊर्जा विभाग के निर्देश पर केपीएम परियोजना को बंद कर दिया गया था। केपीएम परियोजना के लिए किए गए संपूर्ण पूर्व–परियोजना खर्च के लिए वित्तीय वर्ष 2019–2020 में 1004.75 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था। प्रावधान चालू वित्तीय में दिखाया गया है।

35.13 आस्थगित कर देयता को वित्त वर्ष 2020–2021 में रु.10600.36 लाख के बजाय रु.9708.08 लाख के रूप में दिखाया गया था। उपरोक्त के प्रभाव पूर्व अवधि से लिए गए हैं और वित्त वर्ष 2020–21 के लिए लाभ और हानि खाता और बैलेंस शीट को तदनुसार फिर से स्थापित किया गया है।

35.14 विश्व स्तर पर और भारत में COVID-19 के प्रकोप के कारण, कंपनी के प्रबंधन ने व्यापार और वित्तीय जोखिमों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं होने का प्रारंभिक मूल्यांकन किया है। प्रबंधन को कंपनी की क्षमता में कोई मध्यम से दीर्घकालिक जोखिम नहीं दिखता है और जब भी वे देय हों, अपनी देनदारियों को पूरा करते हैं। महामारी के कारण, कंपनी भविष्य की अवधि में राजस्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं की पहचान करने के लिए विकास की निगरानी करती है।

35.15 अनुपात विश्लेषण

क्र.सं.	अनुपात विश्लेषण	अंश-गणक	रुपये लाख में		विभाजक	रुपये लाख में		अनुपात		% भिन्नता का
			31 मार्च 22	31 मार्च 21		31 मार्च 22	31 मार्च 21	31 मार्च 22	31 मार्च 21	
1	वर्तमान अनुपात (समय में)	वर्तमान संपत्ति	195,163	251,853	वर्तमान देनदारियां	61,409	88,212	3.18	2.86	11%
2	ऋण इक्विटी अनुपात (समय में)	कुल देनदारियों	87,232	112,937	शेयरधारकों की इक्विटी	394,470	354,584	0.22	0.32	–31%
3	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	शुद्ध परिचालन आय	लागू नहीं	लागू नहीं	ऋण सेवा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	इक्विटी अनुपात पर रिटर्न (प्रतिशत में)	अवधि के लिए लाभ	57,672	46,182	औसत शेयर–धारक इक्विटी	374,527	338,601	15:	14:	13%
5	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात (समय में)	बिके माल की लागत	43,404	38,799	औसत सूची	21,505	22,315	2.02	1.74	16%
6	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (समय में)	शुद्ध ऋण बिक्री	257,176	230,353	औसत व्यापार प्राप्तियां	138,825	152,194	1.85	1.51	22%
7	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (समय में)	कुल खरीद	42,889	36,867	औसत व्यापार देय	10,166	8,810	4.22	4.18	1%
8	शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात (समय में)	कुल बिक्री	257,176	230,353	औसत कार्यशील पूंजी	133,754	163,641	1.92	1.41	37%
9	शुद्ध लाभ अनुपात (प्रतिशत में)	शुद्ध लाभ	57,672	46,182	कुल बिक्री	257,176	230,353	22:	20:	12%
10	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (प्रतिशत में)	ईबीआईटी	77,748	62,321	नियोजित पूंजी	420,293	379,310	18:	16:	13%
11	निवेश पर प्रतिलाभ (प्रतिशत में)	वापसी / लाभ / आय	लागू नहीं	लागू नहीं	निवेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

35.16 पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए जब भी आवश्यक हो, पुनः समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

टिप्पणी '1' से '35' तक हस्ताक्षर

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

बी सी गुप्ता
कंपनी सचिव
एईआरपीजी9596सी

राजेश कुमार
निदेशक(तकनीकी)
डीआईएनः 09217107

सी के असनानी
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
निदेशक वित्त के अतिरिक्त प्रभार
डीआईएन 03497356

हमारी संलग्न समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार हस्ताक्षरित
कृते मेसर्स कदमावाला एड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 323212E

CA राकेश कुमार जैन
भागीदार
सदस्यता संख्याः 063654
स्थानः मुंबई
दिनांकः 28.06.2022
यूडीआईएन : 22063654ACTWQ 08152

नकदी प्रवाह विवरणी

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष
संचालनीय गतिविधियों से प्राप्त रोकड़			
कर से पहले लाभ / (हानि)		77747.64	62,320.73
के लिए समायोजन :			
– मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	26	22819.06	22,698.62
– बैंकों के पास जमा पर ब्याज	22	-2054.83	-1,671.58
– ऋण और अग्रिमों पर ब्याज	22	-177.02	-160.24
– वित्तीय खर्च	25	71.05	68.07
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ		98405.90	83,255.60
कार्यशील पूंजी समायोजनः			
– (वृद्धि) / व्यापार प्राप्य में कमी	9	20121.32	6,616.12 -138.42
– (वृद्धि) / ऋण और अग्रिमों में कमी	6	41.32	1,799.46
– (बढ़ाएँ) / आविष्कारों में कमी	8	-179.52	-4,313.14
– (बढ़ाएँ) / अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों में कमी	13	-3329.57	-644.90
– (वृद्धि) / अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी	12	-75762.86	2,631.04
– व्यापार के भुगतान में वृद्धि / (कमी)	16(b)	81.95	-1,356.37
– प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	17	2725.19	-6,888.10
– अन्य वित्तीय देनदारियों में वृद्धि / (कमी)	16(c)	-11757.10	-729.41
– अन्य वर्तमान देनदारियों में वृद्धि / (कमी)	20	-1935.76	
संचालन से नकदी उत्पन्न हुई		**28410.87**	**80,231.88**
आयकर चुकाया		-34989.92	-17,840.21
ऑपरेटिंग गतिविधियों / (में) से (उपयोग में) शुद्ध नकदी प्रवाह		**-6579.05**	**62,391.67**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद	3	-12951.26	-15,677.48
(वृद्धि) / कैपिटल WIP में कमी	4	-4351.27	3,877.98
पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम	7	-652.47	165.58
ऋण और अग्रिम पर ब्याज (वित्त आय)	22	177.02	160.24
बैंकों के पास जमा राशि पर प्राप्त ब्याज	22	2054.83	1,671.58
नकद / नकद समकक्षों के अलावा बैंक शेष में वृद्धि / कमी (कमी)	11	998.68	-975.73
नेट कैश फ्लो / (इस्तेमाल में) निवेश गतिविधियों (बी) से		**-14724.47**	**-10,777.83**
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
इक्विटी शेयर पूंजी के मुद्दे से कार्यवाही (लंबित आवंटन सहित)	15	-	1,000.00
उधार से आगे बढ़ता है			
उधार का भुगतान	16(a)	-	0.00
सूद अदा किया	15	-17763.00	-16,042.00
लाभांश वितरण कर	15	-	0.00
ब्याज भुगतान	25	-	0.00
वित्तीय गतिविधियों (/ में) से (उपयोग में) शुद्ध नकदी प्रवाह (सी) से		**-17763.00**	**-15,042.00**
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि (A + B + C)	10	-39066.52	36,571.84
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	10	68776.63	32,204.79
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष		29710.11	68,776.63

संलग्न समतिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स कदमावाला एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

FRN: 323212E

CA राकेश कुमार जैन
भागीदार
सदस्यता संख्याः 063654

बी सी गुप्ता
कपनी सचिव
एईआरपीजी9596सी

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

राजेश कुमार
निदेशक(तकनीकी)
डीआईएनः 09217107

सी के असनानी
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
निदेशक वित्त के अतिरिक्त प्रभार
डीआईएन 03497356

स्थान : मुंबई

दिनांक : 28.06.2022

यूडीआईएन : 22063654ACTWQ 08152

पच्चीस वर्ष का सार-संग्रह

वर्ष	आय	सामग्रियाँ	वेतन/मजदूरी तथा अन्य सुविधाएँ	मूल्यह्रास	उत्पादन एवं अन्य व्यय	कर पूर्व लाभ/हानि
1997-98	11140.5	1107	3429.6	1067.3	5019.9	516.7
1998-99	13417.5	1252.7	4255.9	1236.4	6495	177.5
1999-00	14533	1461.9	4522.2	1685.2	5361.4	1307.9
2000-01	14797	1612.7	4768.8	1842.9	6167.4	405.2
2001-02	16597.1	1746.8	5524.9	2054.1	6399.3	872
2002-03	19357.1	1740.5	5274.5	2069.9	7500	2772.4
2003-04	21396.9	2248.4	5596.8	2236.3	9389.7	1925.7
2004-05	25497	2590.01	5945.24	2443.43	9896.72	4621.6
2005-06	28156	3121	7309	2468	10332	4926
2006-07	29781	4138	8817	2592	9856	4378
2007-08	30436	4786	9929	2518	11061	2142
2008-09	41462	6143	12728	2755	13832	6004
2009-10	54306	7494	14539	6661	17827	7785
2010-11	76025	10072	19815	8245	21836	16057
2011-12	70728	10469	18572	7184	25526	8626
2012-13	85512	12882	21988	7795	28447	14417
2013-14	81430	13106	24806	7793	33979	1633
2014-15	89024	14138	27869	8186	37693	1133
2015-16	102463	12694	29566	8581	35816	15806
2016-17	127270	8874	30167	13663	53582	20984
2017-18	179195	17335	40739	21963	86747	12410
2018-19	203479	17984	47126	21085	77501	39783
2019-20	241959	18174	54070	25723	84309	59683
2020-21	235290	15378	54059	22695	80837	62321
2021-2022	261472	16831	58743	22815	85335	77748

कर पश्चात लाभ / हानि	पूँजी	आरक्षित तथा अतिरिक्त	सकल निरुद्ध पूँजी	कुल मूल्यह्रास	शुद्ध निरुद्ध पूँजी	31 मार्च को कर्मचारियों की संख्या
251.4	37075.3	1523	25203.8	8644.3	16559.5	4312
367.1	41982.3	1808	34057.7	10039.8	24018	4385
1151.1	41982.3	2666.4	36438.7	11894.8	24543.9	4408
303.7	41982.3	2902.3	38041.5	13915.3	24126.3	4420
588.2	38339.3	4971.5	38510.6	16076.3	22434.3	4218
480.84	41839.3	4398.8	43443.2	18062.2	25381	4147
978.7	49839.3	4981.8	48591.2	20109.6	28481.6	4064
2925.1	63389.3	7222.8	52746.6	22813.5	29933.1	4034
3161	69094	9472	57074	25509	31566	4103
2751	71265	11403	61942	28192	33750	4276
1463	84165	12433	67254	31012	36242	4439
1801	107765	13684	117101	33914	83187	4643
4626	134793	16957	123150	40842	82308	4539
10153	143962	24146	126383	49131	77251	4696
6484	143962	28742	135090	56446	78644	4624
9078	143962	35697	145358	64418	80940	4613
1069	146962	36516	148617	71878	76739	4642
818	153962	36116	153054	81715	71339	4685
10212	156462	42641	159762	90401	69362	4757
12618	161562	55173	253703	22446	231257	4834
10673	181562	84559	255073	44477	210596	4781
21420	206962	76432	259256	65559	193693	4629
48205	206962	113865	281910	91339	190571	4672
47074	209462	146263	284804	103759	181047	4536
57672	209462	185008	297755	124762	172993	4533

जादुगोड़ा मिल में हॉरिजॉन्टल बेल्ट फिल्टर का उद्घाटन।

सीएसआर पहल

सीएसआर 2021-22 के तहत रोहिल परियोजना के आस-पास के गांवों में यूसीआईएल द्वारा विभिन्न विकास कार्य।

सुहागपुरा में ग्रामीण सड़क का विकास।

सुहागपुरा गांव में सामुदायिक केन्द्र का विकास।

रॉयल गांव में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का विकास।

यूसीआईएल, जादुगोड़ा में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण समारोह।

यूसीआईएल में हर-घर तिरंगा समारोह।

डॉ. सी. के. असनानी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूसीआईएल को पुरस्कारों से सम्मानित।

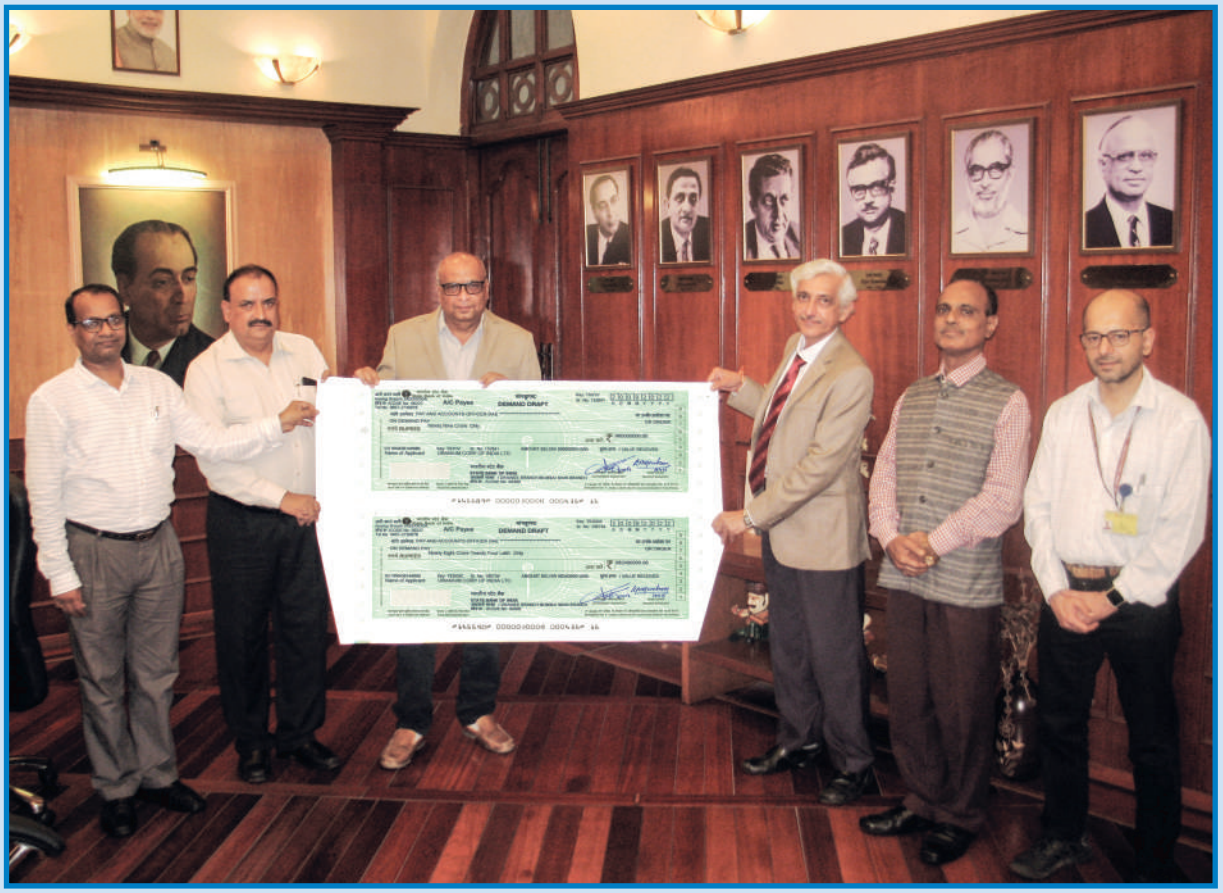

डॉ. सी. के. असनानी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूसीआईएल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लाभांश राशि 19724 लाख रुपये डॉ. के. एन. व्यास, अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग एवं सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग को सौंपते हुए।

TECHNOLOGIES FOR
NEW INDIA@75
आज़ादी का अमृत महोत्सव

G20
भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & IS 18001:2007 Company